sarvodayajagat.com

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

Sarvodaya Jagat - Voice of Nonviolent Revolution

वर्ष: 45, अंक: 12, 01-15 फरवरी 2022

₹ 20/-

मां गंगा को जानबूझकर मारा जा रहा है

सर्व सेवा संघ (अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

Sarvodaya Jagat - Voice of Nonviolent Revolution

वर्ष: 45, अंक: 12, 01-15 फरवरी 2022

sarvodayajagat.com

संपादकीय कार्यालय
सर्वोदय जगत
राजघाट, वाराणसी - 221001 (उ.प्र.) | फोन.: 0542-2440385
मुख्यालय: **सर्व सेवा संघ** , सेवाग्राम, वर्धा - 442102

अतिथि संपादक
रामदत्त त्रिपाठी
(ramdutt.tripathi@gmail.com)

संपादक
बिमल कुमार (9235772595)
bimalkumar1950@gmail.com

सह संपादक
प्रेम प्रकाश (9453219994)
sarvodayajagat.desk@gmail.com

कार्यालय प्रभारी:
वाराणसी : सुरेन्द्र नारायण सिंह (9451938269)
सेवाग्राम : अविनाश काकड़े (9730216700)

कम्पोजिंग, लेआउट:
तारकेश्वर सिंह (9450243008)
sarvodayajagat@gmail.com

प्रसार व्यवस्था:
अजय कुमार मिश्रा (9555395582)
sales.sarvodayajagat@gmail.com

विज्ञापन:
सुशील कुमार (9453731402)
ads.sarvodayajagat@gmail.com

प्रभारी सर्वोदय साहित्य स्टाल :
अनूप नारायण आचार्य (8765113621)

सर्व सेवा संघ के पदाधिकारी
अध्यक्ष, **चंदन पाल**
9433022020 / *chandanpalsecre44@gmail.com*
प्रबंधक ट्रस्टी, **अशोक कुमार शरण**
9810948870 / *sharanashok@yahoo.co.in*
महामंत्री, **गौरांग चन्द्र महापात्रा**
9040135842 / *gcmohapatra@gmail.com*
मंत्री, **अरविन्द कुशवाहा**
9451764659 / *akkm159@gmail.com*
संयोजक, प्रकाशन समिति, **अरविन्द अंजुम**
8874719992 / *arvindanjum5@gmail.com*

अंदर के पन्नों में

03 संपादकीय
गंगा की जीवनदायिनी क्षमता पर संकट

04 काशी की आंखों का पानी मर चुका है!

08 बनारस में बिक रहे हैं गंगा के घाट

06 गंगा को जान-बूझकर मारा जा रहा है

09 असि - एक नदी की हत्या की आतुरता
10 गंगा उठो कि नींद में सदियां गुजर गयीं
12 जीवित मानव शरीर की तरह है गंगा यमुना
13 गंगा का संकट और समाधान
16 गंगा नादानों के बीच एक अबूझ पहेली-सी
17 नदियों का कायाकल्प कैसे हो!
29 नदियों को बाजार की वस्तु बनाने की साजिश

श्रद्धांजलि
36 पद्मश्री शांति देवी का निधन
36 हरेकृष्ण ठाकुर एवं त्रिभुवन नारायण सिंह के निधन पर शोक
36 हीरा भाई नहीं रहे

गतिविधियां एवं समाचार
35 ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की दखलंदाजी बन्द हो
37 विकास और विरासत को जोड़कर होगा सनातन विकास
37 ओड़िशा के ढिंकिया गांव में प्रदर्शनकारी ग्रामीणों पर पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज
38 वर्ष 2021 के लिए सर्व सेवा संघ का 'गांधी पुरस्कार' कुसुम बोरा मोकाशी को
38 शंकरगढ़ में आदिवासियों के सत्याग्रह की जीत
39 महात्मा गांधी की स्मृति में

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत

गंगा की जीवनदायिनी क्षमता पर संकट

बिमल कुमार

गंगा को निर्मल ही नहीं करना है, उससे जुड़े सभी का अधिकार ही नहीं संरक्षित करना है, बल्कि उसकी अविरल धारा को भी बनाये रखने की जरूरत है। विकास के नाम पर गंगा पर बने 900 से अधिक बांध एवं बैराज गंगा के प्रवाह को बाधित कर रहे हैं। बिना प्रवाह में सुधार लाये, गंगा का पुनर्जीवन संभव नहीं है।

दुनिया भर में संस्कृतियों का विकास नदियों के किनारे हुआ। इन संस्कृतियों पर प्रहार एवं नदियों का प्रदूषण एक साथ हुआ। औद्योगिक सभ्यता का विकास एवं उस विकास का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर, ये दोनों नदियों के प्रदूषण का कारण बने। वस्तुत: नदी ही नहीं, भूमंडल पर सभी तरह के प्रदूषणों एवं इकोलॉजी को जो खतरा है, उसका कारण वर्तमान औद्योगिक विकास है। इसीलिए कहा जाता है कि नदियों को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें प्रदूषित न करें, वे अपने को स्वयं शुद्ध करती जाती हैं। नदियों के फेफड़े, उनके बगल के कछार होते हैं। कछारों पर बस्ती बसाना बंद करें, क्योंकि कछार सारे प्रदूषण को अवशोषित कर लेते हैं। कछार नदियों का हिस्सा हैं, उनसे अलग नहीं। इसलिए उच्च बाढ़ विन्दु जैसे शब्दों का प्रयोग बंद करें, क्योंकि वहां तक नदियों का फैलाव उनका सहज स्वरूप है, उनकी आक्रामकता नहीं।

आने वाले समय में गंगा नदी पर परिवहन की बड़ी परियोजनाएं लागू करने का निर्णय हो चुका है। ये नदी परिवहन व्यवस्था भी कारपोरेट इकाइयों के हाथों सौंप दी जायेगी। उन्हें परिवहन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए कई अधिकार भी दे दिये जायेंगे और गंगा पर कारपोरेट कंट्रोल का विस्तार होता जायेगा।

उसी तरह नदी एवं नदी के बगल में विकसित संस्कृतियों व समुदायों को अलग करके न देखें। ऐसा करके, नदियों के प्रदूषण की समस्या को महज तकनीकी दृष्टि से देखा जाने लगता है। नदियां संस्कृतियों एवं समुदायों का हिस्सा हैं।

गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित बेसिन ने दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले क्षेत्र को विकसित किया। यहां की जमीन सबसे उपजाऊ रही तथा इसी कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा रहा है। इस क्षेत्र में बसने वालों की संख्या 40 करोड़ से अधिक है। गंगा के प्रति एक धार्मिक आस्था भी रही है। कहा जाता है कि गंगा का पानी कभी अशुद्ध नहीं होता था। वर्तमान प्रदूषण के दौर के पहले तक लोग गंगा का पानी भर-भर कर ले जाते थे और सालों साल उसमें कोई विकार नहीं आता था। इतना ही नहीं, गंगा की एक विशेषता यह भी थी कि जो सहायक नदियां और जलधाराएं गंगा में मिलती हैं, गंगा से मिलकर वे भी गंगा के इस गुण को ग्रहण कर लेती थीं।

गंगा के आसपास का क्षेत्र सैकड़ों प्रजातियों के वृक्षों (जिनमें फलदार वृक्ष भी शामिल हैं) से आच्छादित एवं तमाम प्रकार के जीवों का जीवनदायी क्षेत्र रहा है। नदी के जीवों, उसके आसपास के लघु वनों तथा जनजीवों को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। अत: नदी को केवल प्रदूषण मुक्त करने की बात पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्राकृतिक हक सबका है। नदी व उसके आसपास के क्षेत्र में उन हकों को भी संरक्षित करना होगा। इन संदर्भों में विकास पर पनुर्विचार की जरूरत है।

गंगा को निर्मल ही नहीं करना है, उससे जुड़े सभी का अधिकार ही नहीं संरक्षित करना है, बल्कि उसकी अविरल धारा को भी बनाये रखने की जरूरत है। विकास के नाम पर गंगा पर बने 900 से अधिक बांध एवं बैराज गंगा के प्रवाह को बाधित कर रहे हैं। बिना प्रवाह में सुधार लाये, गंगा का पुनर्जीवन संभव नहीं है। इतना ही नहीं, सीवेज व मल, ठोस कचरा, औद्योगिक कचरा एवं उद्योगों से निकले रसायन, गंगा की जीवनदायीनी क्षमता को निरंतर कम करते जा रहे हैं। गंगा में सबसे ज्यादा कचरा उत्तर प्रदेश में छोड़ा जाता है।

एक और खतरा है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। दुनिया भर में एक नये चलन की शुरुआत हो चुकी है और वह है जल स्रोतों के प्रबंधन एवं जल के वितरण पर पूंजीवादी कारपोरेट जगत का बढ़ता नियंत्रण। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के दो निजी और एक सरकारी बांध संचालक ने गंगा का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बनी गाइडलाइन (दिशा निर्देश) मानने से इनकार कर दिया है। पर्यावरणीय प्रवाह के नियम सितंबर 2018 में गंगा की सफाई और पुनरोद्धार के लिए बने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा अधिसूचित किये गये थे एवं 15 दिसंबर 2019 से लागू हो गये हैं। बांधों का संचालन निजी हाथों में सौंपे जाने पर उनका क्या रूख होगा, यह स्पष्ट है।

आने वाले समय में गंगा नदी पर परिवहन की बड़ी परियोजनाएं लागू करने का निर्णय हो चुका है। ये नदी परिवहन व्यवस्था भी कारपोरेट इकाइयों के हाथों सौंप दी जायेगी। उन्हें परिवहन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए कई अधिकार भी दे दिये जायेंगे और गंगा पर कारपोरेट कंट्रोल का विस्तार होता जायेगा।

नदियों का ही नहीं, निजी इकाइयों द्वारा झीलों, तालाबों, भूगर्भ-जल एवं अन्य जल स्रोतों का भी एकमुश्त वृहद मात्रा में उपयोग बढ़ता गया है, जिससे हम पानी के निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। शहरी जल आपूर्ति के निजीकरण के अनुभव कटु रहे हैं। प्रकृति प्रदत्त जल की शुद्धता को बनाये रखने के लिए जरूरी है कि जल प्रबंधन एवं वितरण को निजी हाथों में सौंपे जाने के सभी प्रयसों का सशक्त विरोध हो। ❐

यह संस्कृति के विकास की कहानी है। वरुणा के घावों को छूने की हमारी कोशिश, उस पार पड़े कूड़े के ढेर और वरुणा-जल को मल बनाते पॉलीथीनों के पहाड़ में बिला जाती है। आज वह अपने दु:ख पर रोये भी तो आंसू बहाने को पानी नहीं है उसके पास। उसके किनारों पर विकास की दहाड़ गूंजती है। बीच में आते हैं किला कोहना के जंगल। राजघाट की इन जंगली वादियों तक आते-आते कारखानों के रसायनों से मिलकर वरुणा झाग-झाग हो उठती है। अपना बचा-खुचा मन और संवरा चुके पानी की एक क्षीण-सी नाली, गंगा को सौंप कर वरुणा अपना मुंह जंगलों की ओर फेरकर लजाती है, तो संगम की चटखदार दुपहरिया भी काली पड़ जाती है।

काशी की आंखों का पानी मर चुका है!

प्रेम प्रकाश

मेरे गांव से चलने वाली बस तब 9 रूपये के किराये में बनारस पहुंचा देती थी, जहां से आने में अब 120 रूपये लगते हैं। यह 1984 की बात है। कम्प्यूटर नाम की किसी नयी मशीन का दुनिया में तब बहुत शोर मचा हुआ था, जो लाखों और करोड़ों के जोड़-घटाने पलक झपकते कर देती थी। दुनिया विकास के नये-नये मानदण्ड स्थापित कर रही थी। हमारा देश भी विकसित होने लगा था। अपने गांव के देहाती वातावरण से निकलकर जब हम बनारस पहुंचते थे, तो शहर का चमत्कार और विकास की रफ्तार देखकर चमत्कृत रह जाते थे। बनारस में महमूरगंज नाम की कोई जगह है, ये देहात से आने वाला हर व्यक्ति जानता था, क्योंकि वह रेडियो सुनता था और बनारस का रेडियो स्टेशन महमूरगंज में था। सारनाथ में रेडियो का टॉवर है, यह जान लेने के बाद हम ट्रेन या बस में से ही उसे देख लिया करते थे। बड़े-बड़े, पक्के-पक्के मकान, चारों ओर सड़कें, टैम्पो, रिक्शे... सब अजीब लगता था। पाण्डेयपुर, कचहरी से होते हुए जब हमारी बस वरुणा के पुराने पुल पर पहुंचती थी, तो कोर्स में पढ़ी हुई जयशंकर प्रसाद की कविता- अरी! वरुणा की शान्त कछार, तपस्वी के विराग की प्यार... सहज ही कानों में गूंजने लगती थी।

मन वरुणा जल की कल-कल सुनकर शहर में घुसते ही हरिया उठता था। मुख्य शहर शुरू होने से पहले, इसी पुल पर हमें हमारे देहात का अंतिम वातावरण मिलता था। नीचे वरुणा की किल्लोलें... कल-कल, छल-छल... और दूर-दूर तक दिखते हरी नदी के हरे पाट। स्वच्छता और हरियाली की चादर-सी बिछी दिखती थी। मेरा गांव मुझे इसी जगह छोड़कर वापस चला जाता था। इतने में बस आगे बढ़ जाती और शहर-शहर होते हुए हम गंगा के किनारे राजघाट पहुंच जाते थे। तब हमारे मन में गांव और नदी दोनों साथ-साथ रहते थे। फिर धीरे-धीरे हम भी विकसित होने लगे। गंगा, वरुणा, प्रसाद और कविता... धीरे धीरे सब विकास का शिकार हो गये। कल काफी समय बाद मैं वरुणा के उसी पुराने पुल पर खड़ा था। दोनों पुलों के बीच वरुणा के किनारे शास्त्री घाट का सरकार ने कायाकल्प कर दिया है। सुंदर सीढ़ियां ऊंची होती हुई दूर सड़क तक दिखायी देती हैं। एक मंच भी बना है 'ओपेन एयर थियेटर' जैसा। यहां हर साल एक या दो बार कोई बड़ा कार्यक्रम होता है और काफी भीड़ जुटती है। लेकिन यह भीड़ अपनी संस्कृति का केचुल, प्लास्टिक का कचरा घाट पर ही छोड़कर वापस चली जाती है। हम दो घंटे से ज्यादा समय तक वहीं खड़े रहे।

वरुणा काशी की निजी धरोहर है, भौगोलिक रूप से ही नहीं, सांस्कृतिक और पौराणिक रूप से

अरी! वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार

भी। प्रसाद जी की कविता अचानक मन में सिर उठाने लगी। विराग के प्यार की ध्वनि और शांत कछार की बदबू एक साथ मन से टकराये। विषैले हो चुके पानी को अपने गर्भ में समेटे वरुणा के पेट से दुर्गंध आ रही थी। काशी ने अपने मिजाज के हिसाब से कई सारी निजी संस्कृतियां भी विकसित की हैं, बहुत कुछ उसे प्रकृति से भी मिला है। न जाने कितनी संस्कृतियों की गवाह दक्षिणवाहिनी गंगा जब बनारस पहुंचती है तो उत्तरवाहिनी हो जाती है और काशी की विशिष्ट सांस्कृतिक छटा में एक हार की तरह टंग जाती है। लेकिन वरुणा तो काशी की अपनी नदी है, क्योंकि इसका उदय-अस्त दोनों काशी और प्रयाग के बीच ही है। यह सत्य बड़ा भयानक है कि तिल-तिल कर मरती वरुणा बहुत कष्ट में है। वह अपनी झुर्रियायी हथेलियों से अपने माथे पर भिनभिनाती हुई मक्खियों को हटाती है तो दुर्गंध का एक भभूका-सा उठता है। वरुणा दर्द में है, उसके घाव रिस रहे हैं। लेकिन काशी अपनी ही रौ में विकास के रास्ते पर बेतहाशा दौड़ रही है। वरुणा और असी के बीच बसी काशी अपने तटबंध तोड़कर अनियंत्रित फैल रही है।

सड़कों पर विकास का सैलाब आया है, लेकिन असी और वरुणा की धारा में अब सैलाब नहीं आता। लोग भ्रम में हैं कि नदी कल-कल कर रही है, वह तो त्राहि-त्राहि कर रही है। लोग भ्रम में हैं कि नदी बह रही है, वह तो ठहरी हुई है। लोग भ्रम में हैं कि काशी में गंगा भी है, वरुणा भी है, यह तो नदी की देह भर बची है, जो अब शव होने ही वाली है। समाज की संस्कृति समाज के लोगों से ही बनती है- गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, खुद समाज हो या सरकार। समाज के विकास के लिए सरकार ने जो दिशा पकड़ी, उसने समाज को अमीर और गरीब में बांट कर रख दिया। धीरे-धीरे गरीब आदमी आम आदमी में और अमीर आदमी पूंजीपति में बदल गया। पूंजीपति कारखाने चलाता है, मुनाफा कमाता है और अपने कारखानों का कचरा नदी में फेंकता है। पूंजपति आम आदमी का शोषण करता है। वह नदी का भी शोषण करता है। पूंजीपति नदियों के पेटे में होटल बनाता है और इस तरह नदी की जमीन पर कब्जा करता है। आम आदमी नदी के पेटे में हल चलाता है और नदी के साथ ही जीता-मरता है। नदी की भी अपनी जमीन होती है। यह जमीन नदी को समाज या सरकार नहीं, प्रकृति देती है। लेकिन वरुणा की अपनी कोई जमीन नहीं है। काशी में तो इतनी जमीन गंगा को भी नसीब नहीं है, असी को तो पूरी ही खा गया विकास।

तिल-तिल कर मरती वरुणा बहुत कष्ट में है। वह अपनी झुर्रियायी हथेलियों से अपने माथे पर भिनभिनाती हुई मक्खियों को हटाती है तो दुर्गंध का एक भभूका-सा उठता है। वरुणा दर्द में है, उसके घाव रिस रहे हैं। लेकिन काशी अपनी ही रौ में विकास के रास्ते पर बेतहाशा दौड़ रही है। वरुणा और असी के बीच बसी काशी अपने तटबंध तोड़कर अनियंत्रित फैल रही है।

कारखानों के रसायनों से मिलकर झाग-झाग हुआ वरुणा का पानी

यह संस्कृति के विकास की कहानी है। यह काशी की विकासशील नयी संस्कृति है। हम देख रहे हैं वरुणा का फैलाव, उसके शहरी हो चुके झुकाव, उसका विस्तार और दोनों पाटों पर सिकुड़ती हुई उसकी सीमाएं। वरुणा के घावों को छूने की हमारी कोशिश, उस पार पड़े कूड़े के ढेर और वरुणा-जल को मल बनाते पॉलीथीनों के पहाड़ में बिला जाती है। वरुणा की स्वच्छता में कभी हरियाली समाहित थी, तब वरुणा हंसती थी, इठलाती थी और गंगा से मिलने के लिए दौड़ती हुई जाती थी। आज वह अपने दु:ख पर रोये भी तो आंसू बहाने को पानी नहीं है उसके पास। इस घाट से संगम तक के बीच वरुणा रेंगते हुए चलती है। उसके किनारों पर विकास की दहाड़ गूंजती है। बीच में आते हैं किला कोहना के जंगल। राजघाट की इन जंगली वादियों तक आते-आते कारखानों के रसायनों से मिलकर वरुणा झाग-झाग हो उठती है। अपना बचा-खुचा मन और संवरा चुके पानी की एक क्षीण-सी नाली, गंगा को सौंप कर वरुणा अपना मुंह जंगलों की ओर फेरकर लजाती है। नाली बन चुकी वरुणा, नाला बन चुकी गंगा को भींचकर जब रोती है, तो संगम की चटखदार दुप-हरिया भी काली पड़ जाती है। वरुणा के घाट पर खड़ा मैं संगम तक की इस यात्रा में वरुणा के दर्द को महसूस करना चाहता हूं। आज काशी अपनी नदियों का पानी नहीं पी सकती। उधर गंगा लजाती है, इधर वरुणा लजाती है। अपनी नदी की मौत पर काशी को रूदन ठानना चाहिए, पर लगता है गंगा और वरुणा के साथ-साथ काशी की आंखों का पानी भी मर चुका है। ❐

साक्षात्कार

गंगा को जान-बूझकर मारा जा रहा है–राजेन्द्र सिंह

जलपुरुष और पानी बाबा के लोकप्रिय नामों से जाने जाने वाले राजेन्द्र सिंह 1 जनवरी को बनारस में थे। काशी विश्वनाथ कॉरीडोर के नाम पर राजनीतिक हलकों में मचे शोर के पीछे का सच जानने और गंगा की धारा में बड़े पैमाने पर चल रहे निर्माणों का जायजा लेने वे गंगा के घाटों की ओर निकले। बनारस को एक शो रूम की तरह दुनिया के सामने पेश करने के लिए अच्छे अच्छे कैमरों से लिए चित्र और वीडियो सोशल मीडिया पर उतार दिए गये हैं। लोग समझ रहे हैं कि बनारस का बहुत विकास हो रहा है और गंगा का पुनरुद्धार कर दिया गया है। इस योजनाबद्ध प्रचार अभियान की कलई तब उतर गयी, जब हम ललिता घाट और मणिकर्णिका पहुंचे। नवनिर्मित खिड़किया घाट की भव्यता के पीछे का नंगा सच देखकर राजेन्द्र सिंह आक्रोश से भर गये और कहा कि गंगा को जान-बूझकर मारा जा रहा है। सर्वोदय जगत के पाठकों के लिए हमने उनसे बातचीत की। पढ़ें, बनारस में गंगा की दशा पर राजेन्द्र सिंह की बेबाक टिप्पणी।

राजेन्द्र जी, बनारस में गंगा का पानी एकदम निर्मल हो गया है, तभी तो प्रधानमन्त्री ने स्वयं वहां स्नान किया, ऐसी बातें प्रचार माध्यमों के जरिये फैलाई जा रही हैं. बड़े बड़े मीडिया हाउस इस काम में लगे हुए हैं. कभी प्रचारित किये गये गुजरात मॉडल की तर्ज पर आज बनारस मॉडल के चर्चे हैं. आप क्या कहेंगे, इस बार की बनारस यात्रा, खासकर गंगा यात्रा में आपने क्या देखा, क्या महसूस किया?

आज सुबह जब मैं बनारस में गंगा जी के घाटों पर गया, तो ललिता घाट से पैदल गुजरते हुए मैंने लक्ष्य किया कि दक्षिणवाहिनी गंगा जब बनारस में उत्तरवाहिनी होती है तो एक अर्द्धचन्द्राकार हार सी आकृति बनाती है. पहले वहां एक निरवरोध प्रवाह बना रहता था. ललिता घाट पर बनने वाला वह प्राकृतिक वृत्त, आज देखा तो नष्ट कर दिया गया है और वहां अब एक त्रिकोण सा निर्मित हो गया है. इसका सबसे पहला नुकसान तो ये हुआ है कि अब गंगा की गाद वहां से आगे बढ़ ही नहीं पाएगी. अब सारी गाद घाटों और सीढ़ियों पर जमा होगी. हमारा जो प्राचीन और पारम्परिक ज्ञान रहा है, अपनी धरोहरों के प्रति, अपनी विरासतों के प्रति, अपनी नदियों और जलाशयों के प्रति, असल में वह लोक की सम्पदा रहा है. यह ज्ञान पीढ़ियों से पीढ़ियों को

गंगा के ब्लू जोन में हो रही तहस-नहस देखते हुए राजेन्द्र सिंह

हस्तांतरित होता चला आया है. जैसे नदियों के किनारे बसने वाले मल्लाहों और निषादों को परम्परा से यह ज्ञान रहा है की धारा का प्रवाह कैसे बना रहेगा. घाट कैसे बनाने हैं. कहाँ किस मोड़ पर कितना घुमाव रखना है आदि. अब यहाँ बनारस में तो इन मूल बाशिंदों को घाटों से बेदखल कर दिया और ये सारे अनियोजित और आधुनिक निर्माण विज्ञान के सहारे किये जा रहे हैं. सदियों से जो हमारी मूल समझ थी, उसे दरकिनार करके विकास के नाम पर आधुनिक विज्ञान का यह जो तांडव किया जा रहा है, दरअसल यह विनाश का रास्ता है.

आज आपने बनारस में जो गंगा देखी, आप बता रहे हैं कि घाटों का स्वरूप बदलने से, अर्द्धवृत्ताकार घुमाव को त्रिकोणात्मक करने से घाटों पर सिल्ट जमा होने की आशंका बढ़ गयी है. लेकिन मुझे लगता है कि समस्या केवल इतनी ही तो नहीं है. जब हम नदी के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो नदी की प्राकृतिक संरचना या हमारे

शुभ लाभ की संस्कृति वाली पीढ़ियों को हमने शुभ पढ़ाना बंद कर दिया, अब केवल लाभ पढ़ा रहे हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र पर भी तो उसका कुप्रभाव पड़ने वाला है. उस पर कुछ रोशनी डालें.

देखिये, किसी भी नदी का जो अपना ईकोसिस्टम होता है, उससे अधिक महत्वपूर्ण उस नदी के जीवन के लिए और कुछ नहीं होता. गंगा के किनारे बसी वह आबादी, जिसका जीवन नदी की धारा के साथ जुड़ा होता है, उनसे बड़ा कोई दूसरा नदी वैज्ञानिक आप सारी धरती पर कहीं नहीं पायेंगे. गंगा के लोगों ने, इनके पूर्वजों ने जो घाट अपने ज्ञानतंत्र से बनाये थे, वे कहीं ज्यादा वैज्ञानिक थे, बनिस्पत आज के अवैज्ञानिक और इस घातक बदलाव के. यह गंगा के लिए डिजास्टर पैदा करेगा. आज तो मैंने देखा, इन घाटों पर होटल खड़े कर दिए गये हैं और इन होटलों का सारा वेस्ट गंगा में बहा रहे हैं, तो इस वैज्ञानिकता और इस विकास में तो एक धोखा भी है, लोक-आस्था के साथ मजाक भी है और अहंकार व मनमानी तो है ही.

अभी यहाँ बनारस में खिड़किया घाट पर नदी के पेटे में लगभग पचास मीटर तक अंदर घुस के घाट और हाइड्रोलिक हेलीपैड आदि बना रहे हैं. जहाँ यह माना जाता है कि नदियों के किनारे पक्के घाट तक नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि अपने कच्चे घाटों पर नदी सांस लेती है. विज्ञान के इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अगर हम नदी के प्रवाह क्षेत्र में घुसकर इस तरह अनियंत्रित, अनियोजित निर्माण करेंगे, घाट बनायेंगे तो ऐसे में क्या नदी का सोता सूख जाने की भी आशंका है?

देखिये, कहते हैं कि गंगा अपने पंच महाभूतों के साथ जीती और सांस लेती है. गंगा को गंगा की आज़ादी चाहिए, गंगा को गंगा की अविरलता चाहिए, गंगा को गंगा का सूरज और गंगा को गंगा की मिट्टी चाहिए, उसे अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ सांस लेने की आज़ादी चाहिए. यह गंगा की मांग है. जब आप गंगा की यह आज़ादी छीनते हैं, तो आप विकास नहीं कर रहे हैं, आप गंगा का मरना सुनिश्चित कर रहे हैं. जब गंगा को गंगा की मिट्टी का स्पर्श नहीं मिलेगा तो वह गंगा नदी नहीं, गंगा नहर हो जायेगी. अगर मैं केवल बनारस की गंगा की बात करूं तो गंगा के पेट में प्लेटफार्म और चबूतरे बनाकर इन लोगों ने गंगा की हत्या कर दी है. यह विकास के नाम पर गंगा का विनाश है.

वाराणसी के खिड़किया घाट पर गंगा के प्रवाह क्षेत्र के लगभग 50 मीटर भीतर चल रहा निर्माण

सरकार के बड़े बड़े झूठे दावों के बावजूद हम रोज़ अपने सामने देख रहे हैं कि जगह-जगह गंगा में सीवर के बड़े-बड़े नाले गिर रहे हैं. हम जहाँ बैठे हैं, यहीं हमारे नीचे से शाही नाले का सीवर गुजर रहा है. जिम्मेदार लोगों के जब दौरे होते हैं तो ये नाले बैनरों और पोस्टरों से ढक दिए जाते हैं. जानते सब हैं कि क्या हो रहा है, पर प्रतिकार नहीं होता और न तो जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में एक समाज के तौर पर हम क्या और किस तरह के कदम उठा सकते हैं कि गंगा के साथ यह अत्याचार बंद हो?

यह सही है कि गंगा को जानबूझकर मारा जा रहा है. इसके खिलाफ जो लोग आवाज़ उठाते भी हैं, आप सोच भी नहीं सकते, खुलेआम उनकी हत्या करवा दी जाती है. आप जानते हैं कि हमारे दो साथी डॉ जीडी अग्रवाल और निगमानन्द जी यही आवाज़ उठाते हुए, सत्याग्रह करते हुए मार डाले गये. उनकी मृत्यु को मैं हत्या ही मानता हूँ. बाकी लोगों को डरा दिया जाता है. इसलिए अब गंगा का सच बोलने वाले बहुत कम लोग रह गये हैं. लेकिन इसके बावजूद हर खतरा उठाकर भी मेरा कहना है कि गंगा के लिए उठने वाली आवाजें कमजोर नहीं पड़नी चाहिए. अगर गंगा की आवाज़ कमजोर पड़ गयी तो हमारी गंगेय संस्कृति भी मर जायेगी. यदि अपने देश और सत्यमेव जयते के आदर्श को बचाना है तो हमें गंगा को बचाने के लिए अब निर्णायक सत्याग्रह करने की ठान लेनी चाहिए.

इसके बाद राजेन्द्र सिंह के आग्रह पर हम सभी खिड़किया घाट पहुंचे. वहां चल रहे सीमेंट कंक्रीट के निर्माण और गंगा के अंदर घुसकर बनाये जा रहे हेलीपैड को देखकर वे वहीं ठिठक गये. उनके मुंह से स्वतःस्फूर्त ये शब्द निकले.

यहाँ का जो दृश्य देख रहा हूँ, काशी के इस ज्ञानक्षेत्र और मोक्षक्षेत्र की विरासत का जो विनाश किया जा रहा है, वह देखकर मुझे उस कहावत का अर्थ समझ में आ गया कि नौ सौ चूहे खा के जो बिल्ली हज को गयी थी, उसका चेहरा कैसा होगा, ऐसा ही होगा! यह विनाश करते हुए गंगा में नहाने का नाटक करना और भक्त बनना, यह सब याद करके मुझे इस कहावत का अर्थ समझ में आ गया. कोई मुझे बताये कि जो गंगा में आस्था रखता होगा, जिसे मां गंगा ने अपनी सेवा के लिए बुलाया होगा, ऐसा कोई भक्त गंगा के सौ मीटर अंदर उसके पेट में घुसकर ऐसा दुराचार कैसे कर सकता है? गंगा के प्रवाह पथ में कंक्रीट के प्लेटफॉर्म और हेलीपैड बना डाला. गंगा के तीन ज़ोन हैं, याद रखिये. घाट की इन सीढ़ियों पर, जहाँ हम बैठे हैं, यह गंगा का बहाव क्षेत्र है, इसे गंगा का ब्लू ज़ोन कहते हैं. जहाँ 25 सालों में गंगा कम से कम पांच बार पहुंचती है, वह गंगा का ग्रीन ज़ोन है और जहाँ गंगा सौ साल में एक बार पहुंचती है, वह गंगा का रेड ज़ोन है. इस रेड ज़ोन तक गंगा की जमीन है, यह सब इनकी क़ानून की किताबों में लिखा पड़ा है. गंगा की अपनी जमीन में घुसकर ऐसा अत्याचार करने की इजाजत किसी को नहीं है. इस अत्याचार को रोकने के लिए सत्याग्रह के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है. यह अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे.

यह साक्षात्कार विस्तार से पढ़ने के लिए सर्वोदय जगत की वेबसाइट https://sarvodayajagat.com पर क्लिक करें।

बनारस में बिक रहे हैं गंगा के घाट

मीडिया इसे विकास और टूरिज़्म बता रहा है और लोग इस अदा पर मरे जा रहे हैं। इस खेल का नाम है पीपीपी मॉडल। बनारस के 6 घाट 2020 में ही बिक चुके हैं। सरकार इस पर बोलने से बचती है।

सौरभ सिंह

काशी लोक-आस्था और संस्कृति का भारत का सबसे पुराना शहर है। गंगा को हमारे शास्त्रों में जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी कहा गया है, लेकिन 8 साल पहले एक राजनीतिक बयान में यह कहा गया कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, मुझे गंगा और गंगा के 84 घाटों को साफ करना है। गंगा सफाई कार्यक्रम को एक नये नाम 'नमामी गंगे के साथ पूरे तामझाम के साथ लांच किया गया। इसके लिए वाराणासी को खास तौर से चुना गया। 2017 तक गंगा सफाई, एसटीपी और सीवर पर सरकारी कार्य समान्य रुप से चलते रहे। हालांकि उसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। एक बार फिर मंत्रालय के नेतृत्व में बदलाव हुआ और नितिन गड़करी को यह महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया। जलमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय पहले से ही उनके पास था। अब यहां से नई नई चीजें होने लगीं। गंगा सफाई का मुद्दा पीछे धकेला जा चुका था।

मोक्षदायिनी गंगा, अब एक रेवेन्यू मॉडल और नये प्लान में बदल गई। इसी वक्त गंगा के व्यापारीकरण के लिए गंगा जल-मार्ग की घोषणा हुई और तुरंत काम भी शुरू हो गया। 2019 में भारत में चुनाव भी होने थे। उसके ठीक पहले यह सब चल रहा था। 40 रीवर बेसिन की सफाई, गंगा सफाई बांड, गंगा म्यूज़ियम, गंगा तारिणी, गंगा दर्पण के नाम से गंगा को महिमामं-डित करती योजनाएं इसी बनारस से 2017 में शुरू की गईं, लेकिन सरकार की असली मंशा कुछ और थी। हल्दिया से बनारस-इलाहाबाद फिर यमुना से दिल्ली तक जलमार्ग की योजना सरकार में लम्बे समय से अटकी पड़ी थी। कुछ कारपोरेट्स को इस योजना से लगाव था। सिविल एवियेशन और जल मार्ग उनके प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र थे और समय भी उनके अनुकूल था। गंगा जलमार्ग और अन्य योजनाओं को जामा पहनाने का वक्त आ चुका था।

वाराणासी के विश्वविख्यात घाटों पर सरकार की नज़र थी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ दर्शन और गंगा आरती के अवलोकन में सुगमता के लिए गंगा घाटों के विपरीत दिशा में प्रस्तावित चार लेन मॉडल सड़क सहित कई अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं के प्रोजेक्ट पर अभी भी काम चल रहा है। इस सड़क के साथ हेलीपैड की सुविधा भी रहेगी। वीआईपी, हेलीपैड पर सीधे हेलीकॉप्टर से उतर कर ज्योतिर्लिंग दर्शन और गंगा आरती का अव-लोकन कर सकेंगे। मॉडल सड़क के साथ ग्रीनफी-ल्ड भी बनेगा। असल में ये गंगा के मोनेटाइजेशन

बनारस में गंगा की टूटती लहरों पर सवार लग्जरी क्रूज

का प्लान है। गंगा टूरिज़्म प्लान का एक वृहद रूप, नया गंगा जलमार्ग इसी वक्त सरकार ने प्रस्तुत किया है। इसे जलमार्ग और टूरिज़्म का नाम देकर सरकार ने इसे लोकलुभावन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

मीडिया इसे विकास और टूरिज़्म बता रहा है और लोग इस अदा पर मरे जा रहे हैं। इस खेल का नाम है पीपीपी मॉडल और इसके दो फायदे हैं- गंगा सफाई के मुद्दे को गायब करना और कार्पोरेट्स के लिए पैसा कमाने के नये रास्तों को सुगम बनाना। बनारस के 6 घाट 2020 में ही बिक चुके हैं। सरकार इस पर बोलने से बचती है। खिड़किया घाट पर हेलीपैड, रेस्त्रां, आर्ट गैलरी, एम्फीथिएटर, सीएनजी स्टेशन पीपीपी मॉडल के तहत बनकर लगभग तैयार हो चुका है। यही हाल इलाहाबाद, पटना और कानपुर में हैं। हां, हर शुरुआत बनारस से होती है। पैसे और बाज़ार का खेल खेलकर पहले गंगा सफाई प्रोजेक्ट से पैसा खाना अब घाट और गंगा को बेचना, नये मंत्री का विकास मॉडल है।

नये साल की पूर्वसंध्या को 31 दिसम्बर की रात गंगा में क्रूज पार्टी हुई थी। क्रूज स्टाफ के हवाले से ऐसी खबरें हैं कि बनारस से चुनार तक गंगा में चलने वाले क्रूज पर मांस और शराब परोसी जा रही है। खबर है कि नये साल में गंगा के उस पार टेंट सिटी बसायी जाने वाली है। एक मिनी चौपाटी गंगा के उस पार तैयार हो भी गई है। ये कौन लोग है? ये क्या चाहते हैं? ये बनारस की संस्कृति के बारे मे क्या जानते हैं? सवाल ये है कि यह संस्कृति आ कहाँ से रही है? हल्दिया से वाराणसी तक वाटरवेज बन गया, हेलीपैड बन गया, रेस्त्रां बन गया, आर्ट गैलरी बन गई, फूड कोर्ट बन गया, गंगा को साफ करने की बात कही गयी थी, लेकिन गंगा के घाट बिकने लगे।

खिड़किया घाट और सूजाबाद के विस्थापितों को आजतक घर नहीं मिला। गंगा का बीओडी आज 5000 है। गंगा के तटवर्ती गावों में आर्सेनिक बढ़ता जा रहा है, लाखों लोग आर्सेनिक जनित कैंसर से मर चुके हैं। इस पर मानवाधिकार की भी रिपोर्ट है, लेकिन उस पर ध्यान देने की किसी को फुरसत नहीं है। गंगा के क्षेत्रों में रिवर्स रीचार्ज हो रहा है। जिस एसटीपी को मैला साफ करने काम करना था, वह अपने प्लांट का अनट्रीटेड पानी गंगा में डाल रहा है। एनजीटी ने पांच करोड़ जुर्माना लगा दिया। उसके प्लांट की वजह से बीएचयू के पीछे के मुहल्लों में लोगों के मकानों में दरारें आ गईं।

आधुनिक भव्यता और ऐतिहासिक धरोहरों में अंतर होता है। गंगा नदी अब व्यापार और मुनाफ़े का केन्द्र है। इन्तज़ार करिये, गंगा एक नये उद्योग, मौज मस्ती और सैर सपाटे के केंद्र के रूप में हमारे सामने आ रही है। ❐

असि - एक नदी की हत्या की आतुरता

आज असि की कोख तक निर्माण कर इमारतें तान दी गयी हैं। वाराणसी प्रशासन ने खुली छूट दे रखी है। छूट दे भी क्यों न, जब असि-गंगा संगम स्थल पर पूर्व में गंगा मंत्री रहीं उमा भारती से जुड़ा हुआ उडुपी मठ सीना तानकर खड़ा है! कोरोना की पिछली बंदी का फायदा उठा कर असि के किनारे बहुत तेजी से निर्माण हुए।कोरोना काल में घरों में रहने की मजबूरी, असि को पाटने वालों के लिए संजीवनी बन गयी।

गणेश शंकर चतुर्वेदी

मानव जीवन श्रेष्ठ है। अनमोल है। जिन पांच तत्वों के सम्मिश्रण से मानव शरीर की संरचना मानी जाती है,वास्तव में इन्हीं पांच तत्वों से जीवन संचालित भी होता है। इतिहास गवाह है कि मनुष्य अपनी बौनी आधुनिकता के सवाल पर या छद्म विकास के नाम परो लोभ, लालच और स्वार्थ के वशीभूत होकर इन्हीं का गला भी सबसे ज्यादा घोंटता है।

काशी, दुनिया की प्राचीनतम नगरी के रूप में जानी जाती है। काशी, वाराणसी और बनारस, ये तीन नाम शायद तीन अलग अलग कालखंडों को दर्शाते हैं। काशी को वाराणसी नाम यहां की दो नदियों - वरुणा और असि ने दिया। वरुणा और असि के मेल से ही वाराणसी बना। काशी का मोक्ष क्षेत्र वाराणसी ही है। वरूणा से असि के बीच के ही क्षेत्र को मान्यताओं के मुताबिक मोक्षक्षेत्र कहते हैं। काशी एक धार्मिक नगरी है। पौराणिक मान्यताओं पर नजर डालें तो वामन पुराण के अनुसार वरुणा और असि के क्षेत्र को योगसायी का क्षेत्र कहा जाता है। असि नदी में स्नान से महादेव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली ऐसा वामन पुराण बताता है। काशी के असि घाट पर गंगा-असि संगम पर आज भी एक मंदिर है, असि संगमेश्वर मंदिर, जिस पर इसकी मान्यताओं का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि दुनिया के सारे तीर्थों से जो पुण्य मिलता है, उसके बराबर का पुण्य इस गंगा-असि संगम पर गोता लगाने मात्र से मिलता है।

धार्मिक आस्था से इतर अगर अगर देखें, तो असि इस शहर को बाढ़ काल में डूबने से बचाती रही है। क्या आप जानते हैं कि आज किस हाल में हैं ये दोनों नदियां! वरुणा तो नदी रूप में कम से कम विद्यमान है, लेकिन असि अपने अस्तित्व से जूझती हुई

यह असि नदी है

नाला होने की गाली सुन रही है। आचमन के लायक जब गंगा ही नहीं रही, तो वरुणा और असि से क्या उम्मीद?

वर्ष 2009 में असि के उद्धार हेतु आंदोलित और कटिबद्ध काशी प्रेमियों के एक सम्मिलन असि बचाओ संघर्ष समिति द्वारा असि को बचाने की मुहिम शुरू हुई। वाराणसी प्रशासन कई सालों के संघर्ष के बाद इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमानित ब्यौरा दे पाया। उसके बाद जब असि आंदोलन मुखर हुआ, तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 8 करोड़ अस्सी लाख रुपये असि के उद्धार हेतु पास किये गए,जिसकी मीटिंग तत्कालीन एडीएम सिटी एम पी सिंह की अध्यक्षता में राइफल क्लब में हुई। यह धनराशि अखबारों तक ही सिमट के रह गयी। उसके बाद महाराष्ट्र के एक इंजीनियर द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत एक करोड़ रुपये लगाकर इसके पचास मीटर के दायरे में तार लगा कर कुछ पत्थर बिछाए गए,जिसमें एक मीडिया हाउस की आपत्तिजनक भूमिका भी उभर कर सामने आयी।

गंगा के किनारे 200 मीटर दोनों तरफ, वरुणा के किनारे 100 मीटर दोनों तरफ और असि के किनारे 50 मीटर दोनों तरफ हरित क्षेत्र घोषित कर निर्माण प्रतिबंधित रहा है। 2031 की महायोजना के तहत इसे घटा कर वरुणा के किनारे 50 मीटर और असि के किनारे 25 मीटर कर दिया गया। कालांतर में असि चुनाव के भाषणों तक पहुंच गयी। 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनावी सभा में असि के उद्धार को भी कई जगह माननीयों ने मुद्दा बनाया। हद तो तब हो गयी, जब विकलांग को दिव्यांग कहने की छप्पन इंची आसमानी छाती वाले लोग असि को राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ने की बातें करने लगे।

आज असि की कोख तक निर्माण कर इमारतें तान दी गयी हैं। वाराणसी प्रशासन ने खुली छूट दे रखी है। छूट दे भी क्यों न, जब असि-गंगा संगम स्थल पर पूर्व में गंगा मंत्री रहीं उमा भारती से जुड़ा हुआ उडुपी मठ सीना तानकर खड़ा है! कोरोना की पिछली बंदी का फायदा उठाकर असि के किनारे बहुत तेजी से निर्माण हुए। कोरोना काल में घरों में रहने की मजबूरी, असि पाटने वालों के लिए संजीवनी बन गयी। वर्तमान में असि के किनारे घसियारी टोला के समीप असि के हरित क्षेत्र की खाली जमीन पर उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री की शह पर खुल्लम खुल्ला चहारदीवारी खड़ी कर दी गयी है। वहां इमारत बनाने की तैयारी भी है।

हां, इधर दो सफलताएं असि प्रेमियों के हाथ लगी हैं। अब इसे नाला कहने वालों की संख्या थोड़ी कम हुई है। अब गाहे बगाहे लोग इसका हाल जानने में रुचि दिखाते मिल जाते हैं ।दूसरी ये कि जो वाराणसी प्रशासन इसे नाला करार देता था, वह नगर निगम की पट्टिकाओं पर अब अस्सी नहीं, असि लिखता है। बाकी हमें यकीन है कि ये कुहासा छटेगा, क्योंकि, अगर असि नहीं, तो फिर वाराणसी कैसी? ❐

* *लेखक असि बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं।*

कृष्णदत्त पालीवाल

आधुनिकता से उपजा विकास और प्रगति का जो दंभी दावा है, उससे गंगा को बचाना होगा। 'विकास' का पूरा ढांचा प्रकृति-विनाश पर खड़ा है और इसी से वन-पर्वत सभी उजड़ रहे हैं। महानगरीय सभ्यता-संस्कृति का मैलापन गंगा के प्राणों को निकाल रहा है। इसलिए गंगा-मंत्रालय को गंगा को बचाने के लिए कई कोणों से सोचना होगा। इस दृष्टि से भी सोचना होगा कि गंगा के ग्लेशियर क्यों कमजोर पड़ कर मरियल हो रहे हैं? भारतीय जन-जीवन का गंगा पर जो अडिग आस्था-विश्वास रहा है, उसे वैचारिक तल की तह तक जाकर सोचना-समझना होगा। विश्व बैंक के पैसे और अंधी धार्मिकता से गंगा को निर्मल कर पाना बहुत बड़ी चुनौती है।

गंगा उठो कि नींद में सदियां गुजर गयीं

महाकवि कालिदास की एक प्रसिद्ध उक्ति ध्यान में आती रहती है कि संदेह के अवसरों पर अंत:करण की आवाज को प्रमाण मानना चाहिए। ठीक बात है, लेकिन आत्मबोध, ज्ञान-बोध दोनों के बीच संदेह झूल रहा है। यह संदेह संस्कृति रूपी चित्त की खेती को बर्बाद करने का जाल बिछा रहा है। विश्वास का अंत कर रहा है और संशय सभी को ढहाए दे रहा है। भारतीय जन मानस की अवधारणा का अर्थ ही समझ से परे हो गया है और लोक में आलोक न पाकर अंधकार उमड़ रहा है। मन का संदेह कह रहा है कि भारतीय जन को जीवन देने वाली गंगा नदी का क्या होगा? गंगा की चिंता को लेकर नई सरकार गंगा मंत्रालय बना कर शीर्षासन कर रही है। गंगा की सफाई को लेकर चर्चा राजीव गांधी ने 1986 में शुरू की थी और बना डाला गंगा एक्शन प्लान। इस प्लान में अरबों रुपया स्वाहा हो गया और नतीजा कुछ नहीं निकला। पैसे के पुजारी आरती उतारते रहे और गंगा की देह जलती रही। देश की कुबुद्धियां कहती रहीं कि गंगा धार्मिकता से जुड़ी है और यह धार्मिकता बेहद एकांगी है। पता नहीं चल रहा है कि धर्म और धार्मिकता का क्या अर्थ है? क्या पाठ-विमर्श है? क्या तात्पर्य वृत्ति है? क्या पार्टनर की पॉलिटिक्स है? सोच का क्या अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मिथकशास्त्र है? क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए गंगा केवल नदी नहीं है- जीवन है, संस्कृति है, हिमालय के इतिहास से नाभिनाल जुड़ी अविरल रस धारा है।

इतिहास गवाह है कि इस देश में अंग्रेजों के आने के बाद नदियों, तीर्थों, पर्वों, उत्सवों मेले-ठेले आदि के प्रति हमारे मन में अंधी आधुनिकता का पागलपन आ गया है। हम गंगा को 'गंगा मैया' कहने की खिल्ली उड़ाने लगे और कहने लगे कि गंगा कोई मैया-वैया नहीं है- अन्य नदियों की तरह एक नदी है; इस नदी पर हिंदू धर्म में अनेक मिथक बने हैं; ये सभी झूठे और लाचार मिथक है; गंगा नदी को 'धर्म' में घेरना हिंदुओं की साजिश है और उसमें स्नान-ध्यान ढोंग और अज्ञान प्रतिदिन हिंदू गंगा की पवित्रता के गीत गाता है; साहित्य लिखता है; कला-दर्शन, इतिहास, भूगोल की प्रज्ञापारमिता का भाष्य रचता है; इस भाष्य भाषा ने गंगा के साथ प्रकृति के संबंध को समझने में बाधा खड़ी कर दी है। इस तरह गंगा चिंतन पाश्चात्य चिंतन नहीं है। पश्चिमी चिंतन पर भरोसा करने वाले लोकाचार, शिष्टाचार भूल कर लोक-जन की गंगा-भक्ति का उपहास करते हैं। उन्हें यह मिथक समझ में नहीं आता कि गंगा विष्णु के अंगूठे से निकली है, ब्रह्मा के कमंडल में निवास कर चुकी है और उसे लोक देवता शिव ने अपने सिर पर धारण किया है। लाड़-प्यार में पली गंगा सिर चढ़ी है। इस गंगा की महिमा के गीत रामायण, महाभारत, वेद, पुराण गाते हैं तुलसीदास के साथ अब्दुल रहीम खानखाना गाते हैं। रहीम तो भारत से बाहर जन्मे थे, पर उनके मन में गंगा ऐसी रची-बसी कि उसे सिर पर धारण करने का वरदान मांगा। उन्होंने लिखा 'अच्युत चरण तरंगिणी शशिशेखर मौलि मालती माले' और अनुवाद किया 'अच्युत तरन तरंगिणी शिव शिर मालती माल'। रहीम की गंगा-विनय किसी मजहब की श्रेष्ठता का गान नहीं है- वह लोक-हृदय की भाव-भूमि का पवित्र विस्तार है।

आज गंगा सफाई अभियान के समय हमें उसकी समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि का लोक और शास्त्र दोनों की दृष्टि से 'विमर्श' करना चाहिए। गंगा को राजनीतिक हाथों में न सौंप कर एक नए आधुनिक भाव-बोध के बौद्धिक समाज के हाथों में सौंपना चाहिए। यह समाज चेतना मानती रही है कि गंगा ने विराट जन-समूह की सामूहिकता को संवारने गढ़ने का कार्य किया है। गंगा की यात्रा इस देश के सामूहिक मन की अंतर्यात्रा है। गंगा सफाई अभियान ही अकेला क्यों? सभी नदियों को कचरा-मुक्त करने का संकल्प लेना होगा। इस संकल्प को लेने का कारण यह है कि गंगा के इतिहास के साथ कई इतिहास नाभिनाल जुड़े हैं। यह यमुना प्रयाग में गंगा के गले मिलकर पता नहीं क्या-क्या कह रही है। इस गंगा का एक इतिहास राम की नदी सरयू से जुड़ा है- इसका यश 'सीय राममय सब जग जानी' का दर्शन इस देश को देता रहा है। इसी नदी में बुद्ध का अमृत जल है। विद्यानिवास मिश्र ने 'हम और हमारी नदियां' शीर्षक निबंध में यह ध्यान दिलाया था कि 'गंगा में एक इतिहास नारायणी या गंडकी का भी है। गंडकी एक क्वांरी नदी है, क्वांरी है इसलिए प्रबल है, अनियंत्रित है, पर इसके बावजूद वह नारायण को प्रिय है। नारायण उसकी धार की तोड़ से बने पत्थरों में रहते हैं। तब वे शालिग्राम कहलाते हैं। नदी का एक नाम इसीलिए शालिग्राम भी पड़ गया है।

इस गंगा से एक इतिहास क्वारे सोन का भी जुड़ता है, जो बारात लेकर नर्मदा मैया को ब्याहने गया और यह कह कर बारात वापस ले आया कि लड़की की जात छोटी है, कन्या का कुल छोटा

है। बस, नर्मदा नाराज हो गई, उसने सोनभद्र का गर्व झाड़ दिया और विपरीत दिशा में भागती चली गई। कुलदंभी सोन से कोई समझौता नहीं किया। इस मिथक पर नारी विमर्श वालों ने कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने पर इस मिथक से तमाम जाति, धर्म, कुल-गोत्र-वंश की परतें खुलेंगी। यह सोचने को मिलेगा कि क्यों सोन विंध्याचल में ही मारा-मारा फिरता रहा। उसे वह गंगा मिली, जो पहले से ही परि-

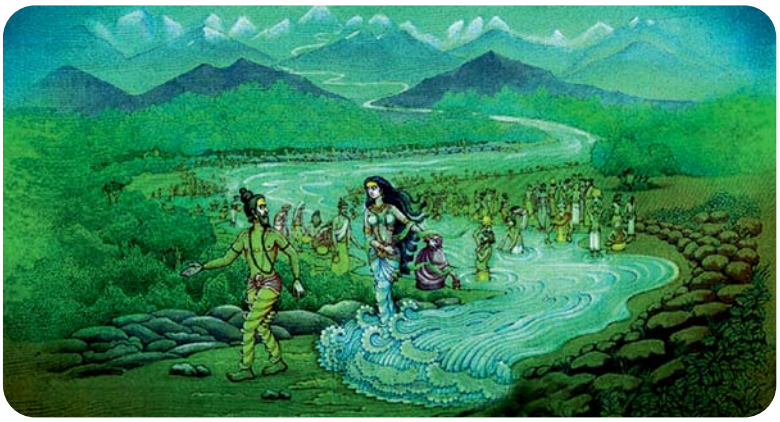

तृप्त थी, सरयू के कारण। सोन को भाग्य फूटे पठार मिले- उसकी कुलीनता का दंभ पठार बन गया। लेकिन गंगा कहीं न झुकी, न रुकी न कुलीनता का दंभ किया, वह सबकी होकर सबमें रची-बसी और अनथक सागर तक गतिमान रही।

गंगा ने एक से अनेक का भाव अपना कर अपने को अनेक धाराओं में बांटा, अनगिनत तीर्थ बनाए, अनेक मृतात्माओं को तार दिया। हम कैसे भूल सकते हैं कि महात्मा गांधी का अस्थि-विसर्जन प्रयाग में किया गया। शिव के सिर चढ़ी गंगा, हिमालय की कन्या है, इसलिए लोकमंगल के प्रति सदैव समर्पित है। वह इस देश की कृषि-संस्कृति का न जाने कब से प्राण रही है और अन्न के अक्षय भंडार की अन्नपूर्णा भी। ब्रह्मा के ज्ञान कमंडल को त्याग कर निकली गंगा आज तड़प रही है- लाचार हो रही है। बांधों ने उसका खून चूस लिया है और कानपुर जैसे नगरों ने चमड़े का कचरा डाल कर उसके प्राण लेने की तैयारी की है। गंगा गंदगी से पट गई है, हमारे कुकृत्यों का मैल उसे मारे डाल रहा है। हम भूल गए हैं कि गंगा मैया तो हमें जीवन देती है। गंगा के लिए जब तक माता भाव नहीं आएगा, तब तक गंगा को साफ नहीं किया जा सकता। आजादी के आंदोलन के दिनों में हम सब गाते रहे- 'गंगा उठो कि नींद में सदियां गुजर गईं'। आज उस नवजागरण की सांस्कृतिक चेतना के प्रति हम विमुख क्यों हैं? इसलिए कि जो भाव आदमी को गंगा बना देता था, वह भाव ही उपभोक्तावादी संस्कृति, बाजारवाद, भूमंडलीकरण के दांव-पेंचों में भटक गया है।

इधर गंगा से विपरीत दिशा में बहने वाली नर्मदा का बुरा हाल है। नर्मदा तप-त्याग और विक्षोभ की धारा है। इसका इतिहास परशुराम और कार्तवीर्य, परमारों, कलचुरियों से जुड़ा है। नर्मदा की क्वांरी पवित्र चोट से पत्थर ओंकारेश्वर हो गया, नर्मदेश्वर जन्म ले गए और इसकी घाटी में विक्रमों, मालवों, राष्ट्रकुटों का विजय अभियान धन्य हो गया। इसने भारतीय सभ्यता-संस्कृति-परंपरा के इतिहास को उदात्त गरिमा से चमका दिया। स्मृति की खुली खिड़की से कोई कह रहा है कि भूलो मत, गोदावरी के किनारे हमारे राम की पंचवटी है और कावेरी-कृष्णा के किनारे दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का भक्ति-रस। गाना चल रहा है- स्नान के साथ कि गंगा-यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी इन सभी नदियों का जल एक साथ मिले उसी से स्नान-जप-तप हो। हमारी संस्कृति में नदियों के जल के बिना न पूजा होती है, न उपासना, न कोई यज्ञ, न कोई ज्ञानसत्र चलता है। जल ही ब्रह्म है, रस ही जीवन है। इसी अभिप्राय में गंगा कर्म है, गंगा धर्म है, गंगा ज्ञान है, गंगा भाव है, गंगा तप है, गंगा परंपरा और गंगा संस्कृति है। इसी महाभाव से सभाएं करनी चाहिए। आंदोलन चलाना चाहिए, ताकि गंगा में गंदगी डालने की मानसिकता को बदला जा सके।

डॉ. राममनोहर लोहिया ने 'नदियों' पर लेख लिखा और पूरे देश में गंगा को बचाने की आवाज उठाई। काका साहब कालेलकर ने 'हम और हमारी नदियां' पुस्तक लिख कर नदी मातृक संस्कृति में एक नया भाव-बोध जागृत किया। जीवन भर यह विचार जीवित रखा कि नदी का हमारी संस्कृति में महत्व अनेक कारणों से रहा है। हमारा अधिकतर व्यापार नदी-मार्गों से होता था और हर नदी संगम पर सुरक्षा की व्यवस्था रहती थी। गंगा हमारी पूरी जीवन-प्रणाली है। प्राचीन साहित्य में विशेषकर पुराण साहित्य में नदियों को पुराण पुरुष या विराट पुरुष की नाड़ी कहा गया है। उनसे ही देश की भौगोलिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक, मिथकीय एकता को आधार मिलता रहा। जल ही ब्रह्म है, हमारे नर के नारायण जल में ही निवास करते हैं। यह मिथक अनेक भाष्य लिए है कि गंगा तो विष्णु के पैरों से निकली है। गंगा की इस महिमा को लोक और शास्त्र दोनों गाते हैं। 'रामचरित मानस' में राम केवट संवाद इसका लोक-प्रमाण है। हम जिन वनवासियों, गंगातटवासियों को अज्ञानी समझते हैं, वे कैसे अद्भुत ज्ञानी हैं, उनके पास लोक से प्राप्त ज्ञान है। आज की उत्तर आधुनिकता लोक-संस्कृति और लोक परंपराओं को मिटाने पर आमादा है। बड़े-बड़े शहर गंगा के प्राणों में जहर घोल रहे हैं। हमारे शहरी मानस में गंगा के प्रति वह पवित्र भाव ही नष्ट हो चुका है और हम गंगावरण और गंगाधर शिव का वह मिथक ही भूल चुके हैं, जिसमें हमारी जातीय स्मृति का निवास रहा है।

औपनिवेशिक आधुनिकता में गर्क उपभोक्तावादी संस्कृति के नर-नारियों के लिए यह पाठ पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है कि गंगा का एक बड़ा समाजशास्त्रीय अर्थ है, जो इस देश के इतिहास-भूगोल, साहित्य से जुड़ा है। भारतीयों के लिए वह नदी मात्र नहीं है, मूल्यचेतना है। एक ऐसा कीमती विचार है, जिसे छोड़ कर हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। आधुनिकता से उपजा विकास और प्रगति का जो दंभी दावा है, उससे गंगा को बचाना होगा। 'विकास' का पूरा ढांचा प्रकृति-विनाश पर खड़ा है और इसी से वन-पर्वत सभी उजड़ रहे हैं। महानगरीय सभ्यता-संस्कृति का मैलापन गंगा के प्राणों को निकाल रहा है। इसलिए गंगा-मंत्रालय को गंगा को बचाने के लिए कई कोणों से सोचना होगा। इस दृष्टि से भी सोचना होगा कि गंगा के ग्लेशियर क्यों कमजोर पड़ कर मरियल हो रहे हैं? भारतीय जन-जीवन का गंगा पर जो अडिग आस्था-विश्वास रहा है, उसे वैचारिक तल की तह तक जाकर सोचना-समझना होगा। विश्व बैंक के पैसे और अंधी धार्मिकता से गंगा को निर्मल कर पाना बहुत बड़ी चुनौती है। ❐

* *कृष्णदत्त पालीवाल (1895-1968) स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। वे भारत की संविधान सभा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद भी संभाला था।*

जीवित मानव शरीर की तरह हैं गंगा यमुना

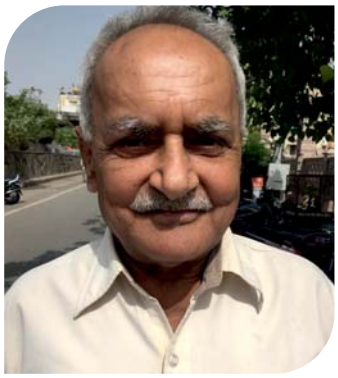

प्रो यू के चौधरी

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2017 को एक ऐतिहासिक फैसले में गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा देने का आदेश दिया था। इस फैसले की व्याख्या करें तो जीवित इन्सान का दर्जा मिलने के बाद गंगा, यमुना और उनकी सभी सहायक नदियों को एक जीवित इंसान के सभी कानूनी अधिकार मिल जाते हैं। फैसले में गंगा और यमुना को नाबालिग श्रेणी में रखा गया है। मतलब ये कि वे स्वयं अपने हितों की रक्षा करने में अक्षम हैं। इन नदियों को दूषित करने वाले लोगों के खिलाफ सीधे नदियों के नाम से मुकदमा दायर किया जाय। जीवित इंसान का दर्जा मिलने के कारण नदियों को स्वतंत्रता से बहने का अधिकार दिया गया है। प्रो यूके चौधरी सुप्रसिद्ध नदी वैज्ञानिक हैं. गंगा यमुना को वे भी मानव शरीर का दर्जा देने की वकालत करते हैं।

गंगा यमुना की विशेषता इनके जल में निहित है। इनकी खासियत है कि ये ऑक्सीजन ज्यादा ग्रहण करती हैं और अधिक समय तक ऑक्सीजन को अपने भीतर बनाए रखती हैं। मनुष्य को तेजी से चलने या दौड़ने के लिए अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार इन नदियों का जल प्रवाह जितनी तीव्रता से होता है, उनका जल उतनी ही तेजी के साथ ऑक्सीजन को अपने में समाहित करने में सक्षम होता है। इंसानी शरीर की तरह ही स्थान परिवर्तन के साथ इनकी जलधारा में शामिल धूल, कण व रासायनिक अवयव भी बदलते रहते हैं। इससे इन नदियों में पल रहे जलीय जीवों की प्रजनन क्षमता बढ़ती है। जिस तरह से जख्म होने पर मनुष्य के घाव भर जाते हैं, उसी तरह ये नदियाँ हैं। ये जितना कटाव करती हैं, उतना भराव भी करती हैं। हमारा शरीर जिन पाँच तत्वों से मिलकर बना है, वही इन नदियों में सन्तुलन के कारक हैं।

मानव शरीर में सबसे महत्त्वपूर्ण अंग उसका माथा है। वैसे ही नदियों का माथा पर्वत है, जहाँ से इनका उद्गम होता है। मनुष्य का रक्त एक दूसरे से मेल नहीं खाता। इसी तरह नदियों के जल के रंग भी हैं, जो एक-दूसरे से अलग होते हैं। मनुष्य अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन ग्रहण करता है, उसी तरह नदियाँ भोजन के रूप में मिट्टी व रसायन लेती हैं। नदियों का संगम कटाव को रोकने में सहायक है। बालू का अधिक जमाव बाढ़ का कारण है। यही वजह है कि जहाँ ज्यादा जरूरत होती है, संगम भी वहीं होता है। इन स्थानों पर बालू जमा होने का तरीका वैसे ही है, जैसे मनुष्य मलमूत्र परित्याग करता है। नदी के रक्त संचार का जरिया भूजल है। हमारे शरीर की कोशिकाएँ ये बता देती हैं कि हम किस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं। उसी तरह नदियों की मिट्टी के कणों के कम्पन उनके स्वास्थ्य का हाल बयाँ कर देते हैं। नदी के शरीर की तुलना मानव शरीर से की गई है। जिस तरह मनुष्य उल्टी करता है, उसी तरह नदियों में बाढ़ आती है। मानव शरीर के गुण व बीमारियाँ नदियों के समतुल्य हैं। गंगाजल की विशेषता यह है कि बैक्टीरिओफेज वायरस के कारण इसमें जीवाणु नहीं पनपते हैं। इससे ये अपने भीतर अधिक ऑक्सीजन समाहित कर लेती है। भोजन, सेंटीमेंट, बीमारियाँ, रक्त संचार, पाचन क्रिया, ऑक्सीजन, ऑब्जर्वेशन आदि एक मनुष्य के जो भी गुण हैं, वे सभी नदियों से मेल खाते हैं।

इस समानता से संभव दिखते समाधान

नदी जल के वितरण का सिद्धान्त मानव शरीर के क्रियाकलाप से जुड़ा है। नदी के न्यूनतम जल से अधिक जल का कहाँ से कितना और कैसे उपयोग किया जाये, इसके लिये उपयुक्त तकनीक का अन्वेषण मानव शरीर के रचना के तहत सम्भव है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसे बेसिन तथा नदी पेट की व्यवस्था से ही नियंत्रित किया जा सकता है। बेसिन की व्यवस्था से ही अकाल को भी नियंत्रित किया जा सकता है। प्राकृतिक नदी संगम तथा संपोषिकता के सिद्धान्त पर नदी से मृदा क्षरण के नियंत्रण के लिए एक कम खर्चीली स्थायी तकनीक विकसित की जा सकती है, जो मानव शरीर की व्यवस्था के समरूप है। नदियों के अन्तर्गठबन्धन एवं बड़े-बड़े बाँधों के निर्माण से उत्पन्न पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं तथा लाभ-हानि का तुलनात्मक अध्ययन मानव शरीर के अंतर्सम्बन्धों पर आधारित है। नदी के प्रवाह की मात्रा तथा शक्ति के सम्बन्धों का अध्ययन करके कम खर्च में अधिकतम जलविद्युत उत्पादन करने की उपयुक्त तकनीक मानव जीवन के आधार पर बनाई जा सकती है। जल जीवों एवं अन्य उपभोक्ताओं के बदलते जीवन चक्र का अध्ययन मानव जीवन के आधार पर किया जा सकता है।

गंगा और यमुना देश की पवित्र नदियों में से एक हैं। प्रत्येक भारतीय के दिल में इनका विशेष स्थान है। विभिन्न संस्कृतियों के समावेश से बने इस देश में इन नदियों का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व है। दुर्भाग्यवश पिछले कई दशकों से हमारी नदियाँ अवहेलना का शिकार हैं। शहरों की और भागती आबादी ने इनकी दुर्दशा कर दी है। अशोधित सीवेज नदियों में प्रदूषण की प्रमुख वजह बन गया है। सॉलिड वेस्ट, औद्योगिक कचरा, कृषि रसायन और पूजा पाठ की सामग्री नदियों में प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रही है। सूखे महीनों में ये कचरा नदियों के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। गंगा के आसपास के इलाकों में इस्तेमाल हो रहे केवल 26 फीसद पानी का शोधन हो पाता है, बाकी सीधा नदी में छोड़ दिया जाता है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 138 नालों के जरिए रोजाना छह अरब लीटर दूषित पानी गंगा में छोड़ा जा रहा है। इससे सीधे तौर पर लोगों की सेहत पर खतरा मँडरा रहा है। और तो और इससे बड़े स्तर पर जल भी प्रदूषित हो रहा है। ❐

निलय उपाध्याय

अंग्रेजों ने गंगा के साथ वही सलूक किया, जो यहां के लोगों के साथ किया। गंगा के साथ सरकार का अंग्रेजों वाला ही रिश्ता आज भी है। आजाद होने के बाद गंगा को तो पता ही नहीं चला कि यह सब इतना चुपके चुपके कैसे और कब हो गया। गंगोत्री से हरिद्वार तक की यात्रा में गंगा बस गंगनानी के ऊपर ही दिखती है, इसके बाद गंगा का दर्शन तो बस झील दर्शन है। केदार नाथ और बद्रीनाथ के रास्तों पर भी बांधों के ही दर्शन होते हैं। गंगा का संकट जल के चरित्र का संकट है। आने वाले समय में यह जल संकट भयानक रूप लेने वाला है। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि अगर नदी और लोगों के बीच से सरकार हट जाय, तो गंगा ही नहीं, देश की सारी नदियां वापस अपने रूप में आ सकती हैं और हमारा जल चक्र ठीक हो सकता है।

गंगा का संकट और समाधान

चार महीनों तक गंगा के साथ रहा। स्वर्ग लोक की ऊंचाइयों से मृत्युलोक और पाताल लोक की गहराई तक यात्रा करते हुए, गंगा के अनगिनत संकटों को प्रवृत्तियों की तरह देखने और गहन विश्लेषण के बाद मुझे मूलत: पांच संकट नजर आए। बंधन, विभाजन, प्रदूषण, गाद और भराव। ये संकट नदी को मौत तक पहुंचा देते है। इन अर्थों में गंगा मौत के बहुत करीब है।

बंधन : गंगा घाटी में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर कितने बांध बनाये गये हैं, इसका एक काल्पनिक चित्र बनाकर देखें कि वह चित्र कैसा लगता है और तब खुद से पूछें कि इतने सारे बंधनों में बंधी गंगा, क्या राष्ट्रीय नदी हो सकती है। क्या यह नदी न्यायालय से मानवीय अधिकार प्राप्त नदी हो सकती है? देश गुलाम था, यहां के लोग गुलाम थे। अंग्रेजों ने गंगा के साथ वही सलूक किया, जो यहां के लोगों के साथ किया। गंगा के साथ सरकार का अंग्रेजों वाला ही रिश्ता आज भी है। आजाद होने के बाद गंगा को तो पता ही नहीं चला कि यह सब इतना चुपके चुपके कैसे और कब हो गया। गंगोत्री से हरिद्वार तक की यात्रा में गंगा बस गंगनानी के ऊपर ही दिखती है, इसके बाद गंगा का दर्शन तो बस झील दर्शन है। केदार नाथ और बद्रीनाथ के रास्तों पर भी बांधों के ही दर्शन होते हैं। गंगा का संकट जल के चरित्र का संकट है। आने वाले समय में यह जल संकट भयानक रूप लेने वाला है। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि अगर नदी और लोगों के बीच से सरकार हट जाय, तो गंगा ही नहीं, देश की सारी नदियां वापस अपने रूप में आ सकती हैं और हमारा जल चक्र ठीक हो सकता है। इस बंधन के घाटे का आकलन नहीं हो सकता। जब हम इसका आकलन करते हैं तो यह सरकारों की मूर्खता या अदूरदर्शिता नहीं, लूट का तरीका समझ में आता है। जैसे गांव में रात को डकैत आते थे।

विशाल बांधों में इकट्ठा पानी किसी प्राकृतिक दुर्घटना में लाखों का काल बन सकता है

घर के लोगों की पिटाई करते थे और उन्हें बांध देते थे। किसी को बांध दो तो लूटना आसान हो जाता है। गंगा को जहां-जहां बांधा गया है, वहां-वहां जितनी जल की लूट हुई है, उतनी कमीशन की भी नहीं हुई। इस लूट में जितने देशी लोग शामिल हैं, उतने ही विदेशी भी हैं। वे कर्ज देते हैं और कमीशन देकर काम करने के बहाने अपना पैसा वापस ले जाते हैं। इन बांधों का एकमात्र लाभ यह है कि हमें बिजली मिलती है। लेकिन

हमने प्राकृतिक व्यवस्था को अपनी सुविधाओं के हिसाब से तोड़ा है

एक नजर घाटे पर भी डालते हैं। गंगा की मिट्टी जो हिमालय से चलती है, बांध में जाकर रुक जाती है और बिहार के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता, टनल से गुजरती गंगा के जल को धूप नहीं मिलती। झील में जाकर पानी रुक जाता है और प्रदूषित होता है। प्रोटेक्शन वाल न होने के कारण पानी रिसकर पहाड़ में जाता है। कई गांव गिरकर झील में समा चुके हैं। यह इससे भी खतरनाक खबर है कि हिमालय की कॉपर प्लेट गल चुकी है। हिमालय खतरे में है। गांव लगभग खाली हो चुके हैं। अकेले टिहरी में इतना पानी जमा है कि अगर कहीं यह बाँध दरका, तो ऐतिहासिक हादसे का कारक बनेगा। हरिद्वार तिनके की तरह बह जाएगा, दिल्ली भी नहीं बचेगी। यह भूकंप क्षेत्र है, यह जानते हुए भी ये बांध बनाए गए। अगर जीवन की रक्षा करनी है, तो अब नए बांधों की मंजूरी नहीं देनी चाहिए। पुराने बांधों को भी धीरे-धीरे चरणबद्ध ढंग से खाली कर देना चाहिए। बिजली बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, गंगा बनाने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। अगर अब भी नहीं चेते, तो परिणाम भयावह हो सकते है।

विभाजन : जहां-जहां गंगा बंधी है, वहीं पर विभाजित भी हुई है। पहाड़ में विभाजित होने के बाद झील में सड़कर टनल में गई है और अपना औषधिय गुण खोकर वापस आई है। हरिद्वार, बिजनौर और नरोरा आते आते पूरी तरह लुट गई है। कानपुर तक गंगा का जल खेतों में है, नदी के पाट में नहीं है। गंगा का जल उद्योगों में है, क्योकि हर उद्योग को माल धोने के लिए भारी मात्रा में जल की आवश्यकता है।

हरिद्वार में जमीन पर उतरते ही गंगा के जल की लूट मच जाती है। सरकार गंग नहर से खेतों की सिंचाई और दिल्ली के निवासियों के पीने के लिए सारा पानी ले जाती है। हरिद्वार नहर से तीन धाराएं अलग से निकलती हैं। एक धारा पुराने श्मशान के लिए, दूसरी धारा आश्रमों के दरवाजों पर चक्कर लगाने के लिए और तीसरी धारा खेती और हरिद्वार का नाला धोने के लिए जाती है। इसके बाद जो थोड़ा सा जल बचता है, वह गंगा की मूल धारा में मिलता है और आगे जाता है। उत्तर प्रदेश में नेता साफ़ कहते है की नहर वोट देती है, गंगा नहीं | पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह नहरों का जाल बिछा है, उसके बाद गंगा मे नालों और रसायन का पानी भी नही बचता। नरोरा एटमिक प्लांट से निकलने वाली गंगा का हाल यह होता है कि उसे बकरी पैदल पार कर जाती है। यह उस भारत की विडम्बना है, जहाँ पंच तत्व चिंतन पर जोर दिया गया है, जहां जल को देवता और गंगा को मां का मान दिया गया है।

प्रदूषण : गंगा में प्रदूषण गंगोत्री से ही आरम्भ हो जाता है। गंगोत्री में गंगा के मंदिर का नाला सबसे पहले गंगा को प्रदूषित करता है। उसके बाद गंगा तट पर जितने भी शहर बने हैं, जितने आश्रम बने हैं, सबका नाला गंगा में गिरता है। इसकी शुरूआत पुराण काल में ही हो गई थी, जब वैदिक मर्यादा का उल्लंघन कर गंगा का पाट तोड़ दिया गया था और तट पर लोग बसने लगे थे। पहले गंगा के तट पर देवता आए, फ़िर राजा और अब तो नगर बस गए हैं। सबका नाला गंगा में ही गिरता है।

आगे जब हम गंगा के प्रदूषण की बात करते हैं तो सिर्फ़ गंगा ही नहीं, उन तमाम नदियों के प्रदूषण की बात करनी होगी, जो गंगा में आकर मिलती हैं। कन्नौज में जहां राम गंगा और काली नदी आ कर मिलती हैं, वहां गंगा पूरी तरह से नाला बन जाती है। इसके चार कारण हैं। 1. जल की कमी, 2. सहायक नदियां, 3. नगर और उद्योग तथा 4. धार्मिक क्रिया कलाप। अगर गंगा में जल की मात्रा रहे तो वह अपने प्रवाह, मिट्टी और हवा के कारण अपने को कुछ स्वच्छ कर सकती है। मगर बिलकुल आपाधापी में गंगा के किनारे नगर बसाए गए, उद्योग लगाए गए, जल निकासी के लिए आज भी हमारे पास कोई नीति नहीं है। इसे समझने के लिए मैंने कई जगहों की यात्रा की और उसी क्रम में अहमदाबाद भी गया। अहमदाबाद का मल-जल वहां की नदी में नहीं जाता, बल्कि उसका शोधन होता है। वहां से निकलने वाला जल खेतों में सिंचाई के लिए जाता है और मल का खाद बनता है, जो 300 रूपए किलो बिकता है और लाभ में है। यह विज्ञान का समय है। आज कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। हर शहर से निकलने वाले मल जल से वहां की बिजली जलाई जा सकती है। जिस नगर के नाले गंगा में या किसी नदी में गिरते है वहां की नगर पालिका लोगों से टैक्स लेती है कि वे जल मल निकासी की व्यवस्था करेंगे। क्या लोग इसलिए टैक्स देते है कि आप हमारा मल गंगा में गिरा दें? टेम्स नदी को लंदन की गंगा कहा जाता है। लंदन टेम्स के किनारे है। आबादी बढ़ने के साथ ही टेम्स नदी में भी प्रदूषण बढ़ता गया और वह मरने के कगार पर आ गई। सफाई के अभियान शुरू किए गये, लेकिन सफ़लता तब मिली जब महीने में एक दिन जहां-जहाँ से टेम्स नदी गुजरती है, लोग सफाई करते हैं। लोगों ने टेम्स को डेढ़ सौ साल पहले जैसी बना दिया है। गंगा नदी की सफ़ाई को मासिक पर्व बना दिया जाय।

गाद : गाद को समझने के लिए गंगा का पथ और प्रवाह समझना होगा। जिस पथ पर मैंने

यात्रा की, वह गंगा का सदियों पुराना पथ था, जिस प्रवाह के साथ यात्रा की वह गंगा का प्रवाह था। पथ तो वहीं था, पर प्रवाह वह नहीं था। इसे समझने के लिए समुद्र तल से उंचाई और दूरी को समझना पडेगा क्योंकि समुद्र तल मानक है। यह पृथ्वी गोल है। उंचाई मापने के लिए समुद्र तल का इस्तेमाल किया जाता है। यह भी माना जाता है कि पूरी दुनिया में समुद्र का तल एक होता है इसलिए उंचाई मापने के लिए समुद्र के जल से अच्छा मानक दूसरा नहीं है।

समुद्र तल से गंगोत्री की उंचाई 3415 मीटर है। केदार नाथ की उंचाई 3584 मीटर है। बद्री नाथ की उंचाई 3300 मीटर है। समुद्र तल से हरिद्वार की उंचाई 250 मीटर है। समुद्र तल से बनारस की उंचाई 81 मीटर है। समुद्र तल से भागलपुर की उंचाई 52 मीटर है। समुद्र तल से फ़रक्का की उंचाई 12 मीटर है। समुद्र तल से कलकत्ता की उंचाई 9 मीटर है। गंगोत्री से हरिद्वार की दूरी 300 किलोमीटर है। हरिद्वार से बनारस की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। बनारस से भागलपुर की दूरी 600 किलोमीटर है। भागलपुर से फ़रक्का की दूरी 150 किलोमीटर है। फ़रक्का से कलकत्ता की दूरी 300 किलोमीटर है।

गंगा की जितनी धाराएं हैं, वे गंगोत्री, केदार नाथ और बद्री नाथ की ओर से आती है जो 3300 मीटर से उपर है। जब गंगा हरिद्वार आती है, तो 3000 मीटर की ऊंचाई से लुढ़कती हुई आती है। पहाड़ में टनल बनाने का काम इसीलिए होता है कि इस ऊंचाई से उसके उतरने की गति का इस्तेमाल किया जा सके। हरिद्वार से वाराणसी की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। समुद्र तल से बनारस की उंचाई 81 मीटर है। यानी गंगा हर मीटर की दूरी 3 सेन्टीमीटर की ढलान के साथ करती है। वाराणसी से भागलपुर और कलकत्ता तक उसका प्रवाह घटता जाता है, मगर उसका पाट चौड़ा होता जाता है। बक्सर के बाद गंगा का पाट दो किलोमीटर से बढता हुआ 8 किलोमीटर तक हो जाता है। कलकत्ता तक समुद्र की लहरें आती हैं और कई बार ऐसी घटनाएं हुईं, जब गंगा में नहाते लोगों को समुद्र खींच कर ले गया है और बड़ी कठिनाई से लोगों के प्राण बचाए गए हैं। जब वेग कम होगा और पाट बढ़ेगा तो जल में कचरा जमता है। यह कचरा मल का नहीं, बल्कि भारी और नकली रसायनों का है। गंगा के पास इतना पानी नहीं रहता कि वह अपने जल से उस गाद को बहा सके। इसके फ़लस्वरूप नदी के बीच गाद जम

हिमालय और गंगा

जाती है और वह किनारे से होकर बहने लगती है, इसके कारण गंगा का पाट चौड़ा होता जाता है और कटाव होने लगता है। कटाव के कारण हजारों गांवों के लोग विस्थापित होते हैं।

गाद पर दियारा क्षेत्र बनता है, जो अपराधियो का स्वर्ग बन जाता है। गाद से भूतल जल में रसायन समाता है और बीमारियों का कारण बनता है। नदी के तट पर बोल्डर गिराने के बजाय, उसके गर्भ को साफ़ कर दिया जाय तो नदी अपनी मूल धारा में रहेगी। गंगा गर्भ, गंगा तट और गंगा क्षेत्र का सीमांकन किया जाना चाहिए। यह सच्चाई है कि बाढ़ में भी नदी उसी जगह तक जाती है, जहां कभी उसकी धारा थी। अगर बनारस तक यानी समुद्र तल से 81 मीटर की उंचाई तक बाढ़ का असर दिखता है, तो समझा जा सकता है कि गंगा में कितनी गाद जमा है।

भराव : झारखंड के दो जिले साहबगंज और राज महल गंगा तट पर बसे हैं। यहां गंगा का प्रवाह प्रति कोस आठ इंच है। इस इलाके में हजारों क्रशर मशीनें लगी हैं। पत्थर तो बिक जाते हैं, मगर मिट्टी, बारिश में बहकर गंगा में समा जाती है। इस भराव और फ़रक्का बांध के कारण पानी नहीं निकल पाता और बाढ़ आती है, तो बिहार को डुबा जाती है। फ़रक्का में हजारों एकड़ लंबा चौड़ा मिट्टी का द्वीप बन चुका है। इस इलाके से क्रशर उद्योग को हटा देना चाहिए। अगर जरूरी हो तो मिट्टी का भी अलग उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि मिट्टी गंगा में न जा सके। फ़रक्का बांध बनाने के बाद वह इंजीनियर, जिसने बांध बनाया था, आज यह बयान दे रहा है कि फ़रक्का में यह नहीं बनना चाहिए था। यह गलत हुआ, किन्तु उसे गलत कहने वाला इंजीनियर गुमनाम जिन्दगी जीकर मर गया। हल्दिया की भी वही स्थिति हो गई है, जो उसके पहले के बंदरगाह हुगली की थी।

समाधान : कपिल मुनि ने कहा है कि प्रकृति का सम्यक ज्ञान ही मोक्ष है। कर्ता पुरुष नहीं होता, प्रकृति होती है। हमारे ऋषि कहते हैं कि अगर गुणों में साम्य हो तो प्रकृति के परिणाम दिखाई नहीं देते। अगर विषम हों, तो परिणाम दिखाई देते हैं और जीवन पर उसका असर दिखाई देता है। यह उसी तरह है, जैसे माया। विषम परिणाम विनाशी होता है। पुरूष का यज्ञ प्रकृति को साम्य अवस्था में लाने का दूसरा नाम है। भारतीय दर्शन इसे समझाने के लिए पूछता है- गंगा का दुःख क्या है? वह मरण शय्या पर है| गंगा के दुःख का कारण क्या है? पानी रोकना और नाला गिरना। समाधान क्या है? नाला रोको, पानी छोड़ो| जल चक्र से नाता जोड़ो। सुख की अवस्था कैसी हो? गर्भ हो, घाट हो, तट हो, पाट हो और गंगा का मान हो| गंगा ही नहीं तमाम नदियों पर बंधन, विभाजन, प्रदूषण, गाद और भराव के कारण उसके विषम परिणाम साफ़ साफ़ दिखाई दे रहे हैं। राज्यों का आर्सेनिक मैप और राज्य का मैप बराबर हो चुका है। यह विषमता 2500 किलोमीटर के प्रवाह में अनगिनत है। ❐

गंगा नादानों के बीच एक अबूझ पहेली-सी

रामसागर दुबे

वैदिक विमर्श से लेकर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान तक भगवती गंगा अत्यंत गंभीर चिंतन का केंद्र बिंदु रही हैं। गंगा की उत्ताल लहरों से भ् तरंगित होती है। लोक मानस का धार्मिक और आध्यात्मिक वैभव मां गंगा को पाकर गौरवान्वित होता है। जीवन का सार तत्व मां गंगा में समाहित है। अफसोस, आज गंगा गोमुख से लेकर गंगासागर तक कलियुगी विसंगतियों से जूझ रही है। अपने प्रत्येक बूथ में अमृत लुटाने वाली गंगा आज नादानों के बीच एक अबूझ पहेली सी बनकर रह गई है। वास्तव में जो संस्कृति विहीन तथाकथित विकासवादी हैं, उन्हें गंगा मात्र एक नदी दिख रही है। स्मरण रहे भारतवर्ष एक यज्ञ मंडप है, जिसमें गंगा ओंकार की तरह गूंज रही है।

भारतीयों की अंतरात्मा में गंगा की पैठ बहुत गहरी है। परंतु गंगा के प्रति सरकारों द्वारा हो रहे दुर्व्यवहार से भारतीय लोक मानस बहुत व्यथित है, दुखी है, विवश है, लाचार है। जन-जन द्वारा पूजित गंगा पर सरकारें कहर ढहा रही हैं। लोक आस्था में रची बसी गंगा पर कुठाराघात कोई और नहीं, अब सरकारें कर रहे हैं। अपनी आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय जनमानस ने आशा के दीप तले कई सरकारें बदलीं, परंतु एक नागनाथ तो दूसरा सांप नाथ जैसा व्यवहार पाकर अब निराज जनता इस सोच में डूबी है कि क्या किया जाए? यह सत्य है कि गंगा संपूर्ण विकास की धुरी है। गंगा चेतना की बुनियाद है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से विकास की आड़ में गंगा का दोहन गोमुख से गंगासागर तक किया जा रहा है। इसका नवीनतम उदाहरण आज काशी में देखा जा सकता है। ललिता घाट काशी का हृदय प्रदेश है, जिसके सामने गंगा को विशाल क्षेत्र में पाट दिया गया, हमारा आपका अर्थात जनता का पैसा बेतहाशा खर्च किया गया और लोकमानस मूक द्रष्टा बना रहा, क्योंकि लोग भय के साए में जी रहे हैं। सभी विवश होकर सारे कुकृत्य को चश्मदीद गवाह की तरह देखते हुए मौन हैं। वाराणसी में ही गंगा के दूसरे तट पर 5.5 किमी लंबी 45 मीटर चौड़ी और 6 मीटर गहरी गंगा नहर खोदी गई, जिस पर जनता का 12 से 15 करोड़ खर्च किया गया। अंततः नहर बाढ़ के बाद खत्म हो गई, बाढ़ के बालू से पट गई। सरकार का उद्देश्य है नहर के माध्यम से जल का संभरण कर क्रूज अर्थात आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जहाज चलाना, जो आमोद प्रमोद का साधन है। अंततोगत्वा सरकारों का इरादा स्पष्ट है कि मां गंगा का तट या गंगा के सीने पर ऐशगाह विकसित करना है, जिससे धन कमाया जा सके, व्यापार किया जा सके। स्मरण रहे कि भगवती गंगा का तट और उनका परिक्षेत्र साधना का केंद्र बिंदु है, व्यापार का नहीं। मां गंगा के आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र को भोग विलास का क्षेत्र बनाना अपराध है। बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के जीवन का संचरण संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य की चेतना वहीं से बलवती होती हैं और मनुष्य के भविष्य को समृद्ध बनाती है।

मैदानी इलाकों में बेलगाम जीवनशैली का शिकार हुई गंगा

सबसे दुःखद पहलू है कि गंगा के प्रति लोक जागरण हेतु गंगा तट पर बसे अनेक शहरों में विभिन्न संस्थाएं कार्य कर रही थीं, अपने दायित्व को निष्ठा पूर्वक निभा रही थीं, परंतु आज सरकार ने उनको भी सरकारी माध्यम बनाकर लोक मानस को हतोत्साहित कर दिया है। इससे यह संदेश मिल रहा है कि लोक मानस की आस्था अमृतवाहिनी शाप-ताप-हारिणी गंगा अब केवल सरकारी उपक्रमों का केंद्र बनती जा रही है। सरकारों द्वारा भगवती गंगा के विज्ञान परक धार्मिक मूल्यों की अवहेलना की जा रही है। सरकारी संयंत्रों में उलझी मां गंगा हिमालय के सत्व को अपने आस्थावान पुत्रों तक नहीं पहुंचा पा रही है, इसीलिए हमारी मेधा अनवरत क्षीण हो रही है और हम अनेक कुंठाओं के शिकार हो रहे हैं। सरकारों से हमारा निवेदन है कि गंगा के आध्यात्मिक क्षेत्र को छोड़कर अपने विकास का वितान कहीं और तानें, भौतिक संसाधनों का क्षेत्र कहीं और बनाएं, क्योंकि आधुनिक संसाधनों से उस भारतीय मेधा का विकास नहीं हो सकता, जिसे गंगा अपने अमृत जल से सिंचित करती है। ❐

गंगा को 2009 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और डॉल्फ़िन को राष्ट्रीय जलीय जीव। डॉल्फ़िन गंगा प्रणाली के लिए अद्वितीय जलचर है। पहले बंगाल की खाड़ी से लेकर हरिद्वार तक गंगा में डॉल्फ़िन हुआ करती थीं। गंगा की डॉल्फ़िन के पुराने रिकॉर्ड हैं। लेकिन जब बैराज बनाये, तो डॉल्फ़िन के प्राकृतिक नेविगेशन या प्रवास या स्पॉनिंग में बाधा उत्पन्न की। बैराज के निर्माण के कारण नदी के विखंडन के बाद, डॉल्फ़िन को भीमगोड़ा बैराज से नरोरा, नरोरा से बिजनौर और फिर बिजनौर से कानपुर बैराज तक सीमित कर दिया गया। इन तीन-चार बैराजों ने गंगा नदी के आवास में रुकावट या विखंडन पैदा कर दिया। मछलियों की कई प्रजातियां, घड़ियाल और डॉल्फ़िन गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। गंगा के मुख्य चैनल में उनकी आबादी 2500 से भी कम हो सकती है। नरोरा और कानपुर के बीच निचली धारा में डॉल्फ़िन की कुछ आबादी है, लेकिन उनकी संख्या 100 से नीचे है।

नदियों का कायाकल्प कैसे हो!

वेंकटेश दत्ता

हम सभी जानते हैं कि दुनिया की प्रमुख सभ्यताएं नदियों के किनारे पली-बढ़ी हैं, आप उदाहरण ले सकते हैं, प्राचीन काल से लेकर आज तक, सभ्यताएं सिंधु से लेकर टिग्रिस-यूफ्रेट्स तक नदियों के किनारे ही बसी हैं, 'मेसोपोटामिया' शब्द का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि- वे दो नदियां टिग्रिस और यूफ्रेट्स थीं। इसी तरह यदि आप गंगा और यमुना 'दोआब' को देखें - हरिद्वार से इलाहाबाद तक दो नदियों का मिलन - तो पूरा गंगा मैदान एक दोआब है। यह गंगा की सहायक नदियों या स्वयं गंगा द्वारा बनाया गया है। इसी तरह, आप मिस्र में नील नदी को देखे, जहां हमने लगभग 3100 ईसा पूर्व के इतिहास का दस्तावेजीकरण किया है। हमारे पास सिंधु नदी है, जो भारत और पश्चिमी दक्षिण एशिया का बड़ा हिस्सा है, जहां हमारे पास लगभग 2600 ईसा पूर्व का जीवन और उपनिवेश के प्रमाण मिलते हैं। इसी तरह पीली नदी (येलो रिवर) के किनारे चीन बसा और यूरोप में डेन्यूब नदी है, जो यूरोप और आसपास के क्षेत्रों में पनपने वाली पूरी सभ्यता का भरण पोषण करती आयी है।

मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे पास कितना पानी है। आप सोचते हैं कि पानी अनंत है और हमारे पास बहुत पानी है, हमारे पास बहुत बारिश है, लेकिन मैं आपको एक झलक देना चाहता हूं कि हमारे पास कितना पानी है। मेरे पास एक बोतल है, जिसमें 100 मिली पानी है। कल्पना कीजिए कि आपने इस बोतल में धरती का पूरा पानी रखा है। अब 97.5 फीसदी पानी खारा है, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ताजा पानी बहुत सीमित है, बस एक बहुत छोटा हिस्सा यानी 2.5 मिली। उस 2.5 मिलीलीटर में से, हम पूरे मीठे पानी का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पानी बर्फ के आवरण के नीचे है, कुछ गहरे एक्वीफर्स (भूजल भंडार) में है और केवल एक छोटा सा हिस्सा 0.0075 मिली हमारी झीलों और नदियों में उपलब्ध है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक चम्मच पानी लेता हूं, तो उसमें से केवल तीन बूंद हमारी नदियों और झीलों में समा पाता है। अब कल्पना कीजिए कि हम एक जलाशय में पानी रखना चाहते हैं, अगर आप टिहरी बांध देखें, तो यह भारत के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। यह लगभग 260 मीटर ऊंचा है और गंगा के ऊपर भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध में पानी लगभग 4 किमी क्यूब है। यानी जितना पानी आप छोड़ सकते हैं, निश्चित रूप से आप इसे एक बार में नहीं छोड़ सकते हैं, आपको पैकेट में छोड़ना होगा, ताकि नदी कम पानी के मौसम में पर्याप्त पानी बनाये रखे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने नदियों के ऊपरी हिस्सों में जो बड़े जलाशयों का निर्माण किया है, वे जलविद्युत के स्रोत हैं और कम मौसम के दौरान अतिरिक्त पानी छोड़ते हैं। टिहरी बांध दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बांध है, जो प्रतिदिन 270 मिलियन गैलन पेयजल शहरों तक पहुंचाता है और हजारों एकड़ खेतों की सिंचाई करता है। इस बांध से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए 2,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, लेकिन इस बांध ने 40 गांवों और पुराने टिहरी शहर को जल-मग्न कर दिया, जिससे लगभग 100,000 लोगों का विस्थापन हुआ।

नदियां प्राकृतिक धरोहर हैं

भारत नदियों का देश है - हमारे पास हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्य रेंज और मैदानों से बहने वाली सैकड़ों-हज़ारों नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी आदि नदियां अरब सागर में गिरती हैं, जबकि कई बड़ी नदियां - गंगा और उसकी सहायक नदियां, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ये नदियां हज़ारों वर्षों से बहती आ रही हैं। वास्तव में ये नदियां प्राकृतिक धरोहर हैं, हालांकि हम आधिकारिक तौर पर इन्हें प्राकृतिक विरासत नहीं मानते हैं। इन नदियों पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर है। जलीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर की प्राथमिकताओं के रूप में पहचाने जाने वाले विश्व के 30 प्रमुख नदी बेसिन में से नौ भारत में हैं। ये बेसिन हैं गंगा-ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी,

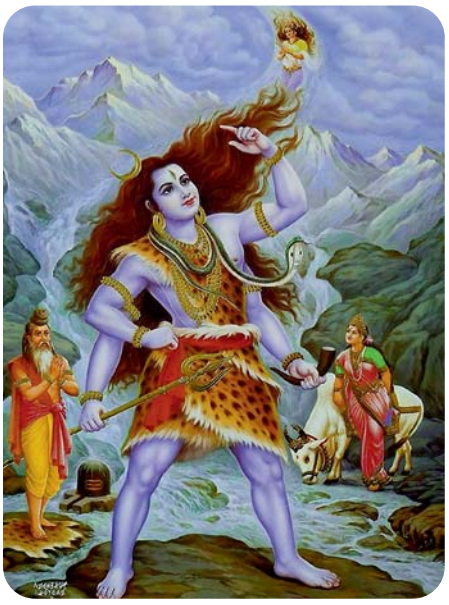

गंगा अवतरण

हरिद्वार से लेकर गंगा जलोढ़ मैदान के लगभग अंत तक जाने वाली इस तरह की सबसे बड़ी समतल भूमि आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं दिखेगी। यह समतल भूमि गंगा नदी द्वारा बनाई गई थी।

सिंधु, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, पेन्नार और तापी। गंगा-ब्रह्मपुत्र को छोड़कर, इन सभी नदियों को मानव क्रियाओं के कारण प्रवाह विखंडन और नियमन द्वारा 'अत्यधिक प्रभावित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन नदियों के प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा कृषि, शहरी जल आपूर्ति और उद्योग के लिए आवंटित किया गया है। गंगा बेसिन स्वयं भारत के कुल क्षेत्र का 26.2% हिस्सा है। हिमनदों के पिघलते पानी के अतिरिक्त वर्षा और भूजल प्रवाह इन नदियों के प्रमुख स्रोत हैं।

भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है कृषि। कुल उपलब्ध मीठे पानी का लगभग 85% हिस्सा खेती-किसानी में लग जाता है। देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है, क्योंकि यह सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18% का योगदान करती है। अधिकांश वर्षा मानसून के चार महीनों के दौरान होती है। इसलिए, जब मानसून की बारिश अपर्याप्त होती है, तब गैर-मानसून मौसम में फसलों की मांग को पूरा करने के लिए सिंचाई आवश्यक होती है, लेकिन हम अभी भी बड़े पैमाने पर बाढ़ सिंचाई को अपनाते हैं और भारी मात्रा में मीठे पानी की बर्बादी करते हैं। बेहतर और सटीक सिंचाई तकनीकों के माध्यम से हम अपनी नदियों पर दबाव को कम करते हुए 30 से 40% तक पानी बचा सकते हैं।

मेरी धारणा यह है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को हाइड्रेट करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को निर्जलित या डिहाइड्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम पारिस्थितिकी तंत्र से बहुत अधिक सामान और सेवाएं लेते हैं, लेकिन कभी कुछ वापस नहीं देते हैं। प्रश्न है कि गंगा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हम पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन के बारे में क्यों बात करते हैं? सबसे पहले मैं आपको प्राकृतिक विरासत की एक झलक देता हूं। हमने ताजमहल और लाल किले जैसी विरासतों का निर्माण किया है, लेकिन अपनी प्राकृतिक विरासतों के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। नदियां हमारी प्राकृतिक विरासत का हिस्सा हैं। वे मानव द्वारा नहीं बनायी गयी हैं। वे मानव कलाकृतियां नहीं हैं, अधिकांश परिदृश्य या स्थलरूप, पारिस्थितिकी तंत्र जो हम नदी के चारों ओर देखते हैं, उन्हें विकसित होने में लाखों साल लगे हैं, हजारों चक्रीय बाढ़ प्रतिक्रिया, सूखा चक्र और सेडीमेंट लोड से नदियों का मैदान बना है। जो कुछ भी पारिस्थितिकी तंत्र, जो परिदृश्य हम देखते हैं वह प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। नदियां मीठे पानी के सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं। वे मीठे पानी के जीवों का उत्पादन और संरक्षण करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हम हमेशा यह भूल जाते हैं, वह यह कि नदी बहुत ही अंतरंग तरीके से भूजल से जुड़ी होती हैं। यह भूजल ही है, जो कम मौसम में भी नदी को पानी देता है। हिमालय के हिमनदों से प्रवाह बनता है, वर्षा होती है, लेकिन देखें कि अत्यधिक गर्मी में उन नदियों का क्या हो रहा है, जो हिमपात से भी नहीं भरती हैं, जैसे यमुना की सहायक नदियां - केन, बेतवा, चंबल, और यहां तक कि गोमती भी। ये सभी मैदानी नदियाँ हैं। बर्फ पिघलने से इन्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। गर्मी के मौसम में जब बारिश नहीं होती है, तब भी यदि नदी में पानी बना रहता है, नदी बारहमासी है, तो इसका मतलब है कि यह भूजल है, जो शुष्क मौसम में नदियों को लगातार पानी देता रहता है। वास्तव में, हिमालय के हिमनद गंगा में केवल 30% पानी प्रदान करते हैं; भूजल पर भारी निर्भरता के कारण मानसून की बारिश से पहले शुष्क मौसम में प्रवाह कम हो जाता है।

गंगा अवतरण का काल खंड

मैं आपको गंगा अवतरण के काल खंड में ले चलूंगा। आपने भगवान शिव को गंगा को अपने सिर में, जटाओं में बांधे हुए देखा है। हम कहते हैं कि गंगा उनके बालों में उतर रही है और फिर वह नीचे उतरकर बह रही है, सागर से मिल रही है। मैं इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता हूं, तो मुझे लगता है कि शिव का सिर पहाड़ों की साक्षात् श्रृंखला और हिमनदों के अलावा और कुछ नहीं है। उनकी जटाएं जंगलों, पेड़ों और यहां तक कि कंकड़ों और चट्टानों के समान हैं, जिनसे पानी गुजर रहा है नदी के प्रवाह को समेटते हुए, और उनके सिर पर आप पाते हैं कि नदी उत्पन्न हो रही है, लेकिन यह हिमनदों के अलावा और कुछ नहीं है। हर शिखर स्वयं शिव हैं। हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। बर्फ से ढके इन पहाड़ों से निकलने वाली कई छोटी-छोटी नदियां धीरे-धीरे आत्मसात होती जाती हैं और सारी धाराएं फिर नदियां बन जाती हैं। यदि आप गंगोत्री ग्लेशियर के चारों ओर देखें, तो उद्गम क्या है - चौखम्बा शिखर, समुद्र तल से लगभग 7300 मीटर ऊपर, जहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी नदी के मुख्य धारा में योगदान दे रहा है। भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में मिल रही है, उसी संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। हम गंगा का आगमन देखते हैं, तो उसकी उम्र भी भूल जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह नदी कितनी पुरानी हो सकती है या हिमालय कितना पुराना हो सकता है? मैं आपको पृथ्वी के इस मूल स्थान पर वापस ले जाना चाहता हूं। यह पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आई थी। जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब साल पहले हुई थी। पहला जीवन रूप जो नीला-हरा शैवाल है, उससे पहले प्रकृति बहुत अवायवीय थी। यहां ऑक्सीजन नहीं था और यह एक रासायनिक सूप की तरह था। लेकिन जब जैव रसायन शुरू हुआ और कोशिका से इंसान तक आया, तो इसमें लाखों-करोड़ों साल लग गए। आदिम होमो सेपियन्स जो दक्षिण अफ्रीका में दिखाई दिए, वे वर्तमान समय से लगभग 2 लाख साल पहले के हैं।

दक्षिण पूर्व एशिया में हमने लगभग एक लाख साल पहले होमो सेपियन्स की उत्पत्ति दर्ज की है। अब हिमालय के उद्भव की कल्पना करने का प्रयास करें। हिमालय कैसे अस्तित्व में आया? क्योंकि गंगा की कहानी हिमालय से जुड़ी हुई है, भगवान शिव का सिर हिमालय है और वे आदिदेव हैं, तो मैं उन्हें रुद्र या व्यक्तिगत भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक पहाड़ की तरह मानता हूं। वे ही हैं, जो नदी प्रणालियों को बनाए रख रहे हैं और कई नदी धाराओं को भी जन्म दे रहे हैं। जैसे आप मानस-रोवर जाते हैं तो मानसरोवर के हिमनदों से कितनी नदियां आ रही हैं। यदि आप भारत के भौतिक कारणों को देखें तो इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। हमारे पास अपस्ट्रीम हिमालय क्षेत्र है, निचला प्रायद्वीपीय क्षेत्र या प्रायद्वीपीय ढाल है और प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय के बीच गंगा बेसिन है।

अब लगभग 38 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व, अर्थात वर्तमान समय से 4 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी, शिव के नृत्य की तरह अत्यधिक अस्थिर काल खंड से गुजर रही थी। अस्थिर स्थिति का मतलब है कि यह अस्तित्व का सबसे गंभीर समय था और हमारी भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट से टकरा गई थी। इस टक्कर के परिणामस्वरूप बीच का हिस्सा उभर आया। हिमालय अस्तित्व में आया और इस प्रायद्वीपीय भारत तथा हिमालय के बीच एक अवसाद बन गया, जो सेडीमेंट, चट्टानों, कंकड़ों आदि से भर गया। यह किसने किया? यह नदियों द्वारा किया गया था। तो नदियों के कारण प्रायद्वी-पीय क्षेत्र और हिमालय के बीच के अवसाद का पूरा गेज उन नदियों से भर गया। भारतीय मानसून प्रणाली बहुत पुरानी है, हमारे पास जून से सितंबर तक सामान्य वर्षा होती है। हमारी मानसून प्रणाली बहुत ही पुरानी है, 15 मिलियन वर्ष पुरानी यानी 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। वर्षा के इस पुराने पैटर्न के कारण ही इतनी सारी नदियां बन रही हैं और हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत के बीच इस महान अवसाद को भरने के लिए डिस्चार्ज और सेडीमेंट का भार आ रहा है। इसमें समुद्र के स्तर में बदलाव का भी योगदान था। पिछले हिमयुग की परिणति लगभग 12000 साल पहले हुई थी, पिछले हिमयुग के दौरान समुद्र का स्तर वर्तमान स्तर से लगभग 400 फीट नीचे था। इसलिए नदी के चीरे को तराशने में भी नदी का योगदान था,

गंगा के फोरलैंड बेसिन का निर्माण मायोसीन युग में हुआ होगा। यह बहुत पुराना काल खंड है। हमें नदी प्रणालियों और इससे जुड़ी हुई सभी सहायक नदियों का सम्मान करना चाहिए। वे भू-विरासत हैं, वे इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई हैं। वे नहरें नहीं हैं, जिन्हें आप कहीं से भी काट सकते हैं।

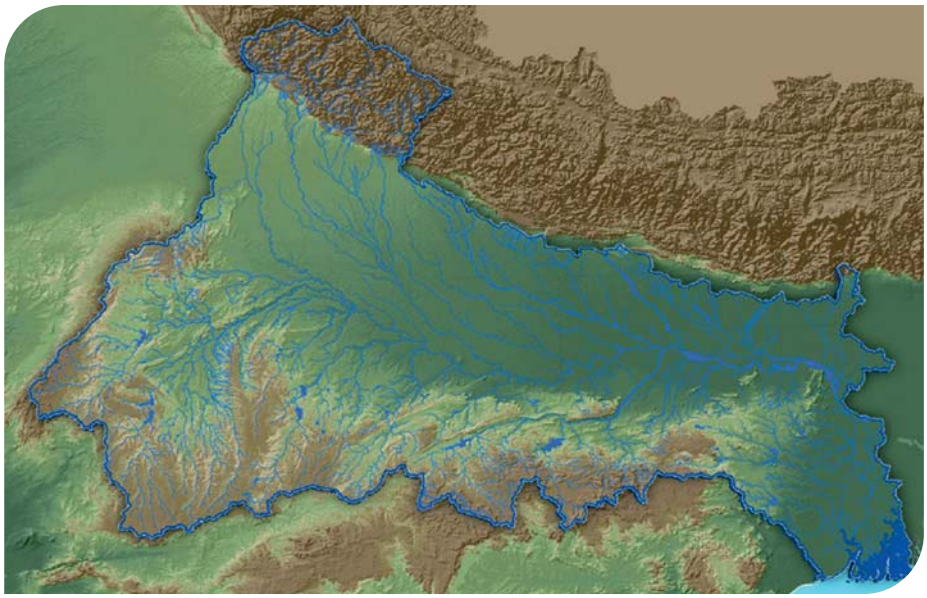

गंगा बेसिन

जिससे समुद्र के स्तर में बहुत बदलाव के कारण छोटी नदियों का निर्माण हुआ। यह भूकंप था, जिसने कई नदियों के चीरे को बनाने में भी योगदान दिया। भूकंप के कारण हुई विवर्तनिक घटनाओं के कारण भी कई नदियों का निर्माण हुआ। इस तरह देखें, तो हमारे पास गंगा के मैदान और डेल्टा का एक बहुत ही अनोखा नदी विज्ञान है।

मैं सोचता हूं कि गंगा नदी के बारे में इतना अनोखा क्या है? क्या बात है जो इसे अन्य नदियों से अलग बनाती है? गंगा जल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम अपने घरों में गंगा जल क्यों रखते हैं? अन्य नदियों का जल क्यों नहीं? क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी ने इस महान विस्तृत गंगा मैदान को बनाने में योगदान दिया है, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी समतल नदी वाली उपजाऊ भूमि है? हरिद्वार से लेकर गंगा जलोढ़ मैदान के लगभग अंत तक जाने वाली इस तरह की सबसे बड़ी समतल भूमि आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं दिखेगी। यह समतल भूमि गंगा नदी द्वारा बनाई गई थी। गंगा जलोढ़ भूमि की मोटाई 4.5 किमी या उससे अधिक हो सकती है, कहीं-कहीं आप लगभग 10 किमी मोटा जलोढ़ भी पाएंगे, जो गंगा नदी द्वारा वर्ष-दर-वर्ष सेडीमेंट ढोकर निक्षेपित किया जाता रहा है, गंगा नदी एक हजार वर्ष पुरानी ही नहीं है। यह एक लाख वर्ष भी अधिक पुरानी हो सकती है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि यह वर्तमान स्वरूप में क्वा-टरनरी के अंत में आयी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गंगा बेसिन के निर्माण की प्रक्रिया मायोसीन युग के अंतिम कल खंड से प्रारम्भ हो चुकी थी, मायोसीन युग जो आज से 23 से 25 लाख वर्ष पूर्व का काल खंड था, इसलिए गंगा के फोरलैंड बेसिन का निर्माण मायोसीन युग में हुआ होगा। यह बहुत पुराना काल खंड है। हमें नदी प्रणालियों और इससे जुड़ी हुई सभी सहायक नदियों का सम्मान करना चाहिए। वे भू-विरासत हैं, वे इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई हैं। वे नहरें नहीं हैं, जिन्हें आप कहीं से भी काट सकते हैं।

अब गंगा के बारे में दूसरी अनोखी बात यह है कि यह नदी दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी का डेल्टा बनने का मूल स्रोत है। आप जानते हैं कि मीठे पानी का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? यह सुंद-रवन और बांग्लादेश में है। यदि आप मीठे पानी के

भारत की आधी आबादी को इस उपजाऊ गंगा मैदान का सहारा मिल रहा है और गंगा बेसिन भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 40% योगदान दे रहा है। इस प्रकार उपजाऊ भूमि, और सिंचाई क्षमता के आधार पर हमारे पास एक विशाल सिंचाई नेटवर्क है। अकेले यूपी में, हमारे पास 75 हज़ार किलोमीटर नहर नेटवर्क है और यह भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 57% पोषित करता है।

दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा : सुंदनवन की सेटेलाइट तस्वीर

डेल्टा, सुंदरवन के पूरे क्षेत्र को देखें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 140,000 हेक्टेयर है। यह सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी ने बनाया था। तो कल्पना कीजिए, यह नदी इतनी अनोखी है कि यह गंगोत्री से हिमालय के ग्लेशियरों को जोड़ती है और चौखंबा चोटी से आगे बढ़कर सुंदरवन के माध्यम से बंगाल की खाड़ी तक जाती है। अगर आप सुंदरवन जाते हैं, तो आपको बहुत सारे छोटे-छोटे ज्वारीय जल-मार्ग और मिट्टी के ढेर मिलेंगे। मडफ्लैट्स महीन तलछट (सेडीमेंट) द्वारा बनाए जाते हैं जो हिमालय से सुंदरवन तक ले जाया जाता है। यह सेडीमेंट गंगा नदी द्वारा ले जाया जाता है। यह कीचड़ भरा जलमार्ग वनस्पतियों और जीवों की ढेरों प्रजातियों का घर बन गया, गंगा नदी इस दुनिया के दो प्रमुख बायोम को जोड़ रही है - गंगोत्री ग्लेशियर और सुंदरवन डेल्टा। यह है गंगा की अनोखी बात।

गंगा की तीसरी अनोखी बात है गंगा जल। अंग्रेज जब घर वापस जाते थे या यात्रा करते थे तो वे तांबे और चांदी के बड़े बर्तनों में गंगा जल ले जाते थे। यात्रा में महीनों लग जाते थे, फिर भी गंगा जल ख़राब नहीं होता था। यह क्षय का कोई संकेत नहीं दिखाता है। यह क्यों हो रहा था? ब्रिटिश चिकित्सक अर्नेस्ट हैंकिन और फेलिक्स डीहेरेल गंगा नदी पर शोध करने वाले अग्रणी व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने पहली बार दिखाया कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज हो सकता है, जो एक पुरातन वायरस है और अन्य बैक्टीरिया को मारता है। इससे गंगा नदी की स्व-शुद्धिकरण की क्षमता बरक़रार रहती है। बहुत सारे बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति के कारण गंगा का पानी खराब नहीं होता है, क्षय का कोई संकेत नहीं दिखता है। बाद में, 1980 के दशक में डॉ. डी एस भार्गव ने लिखा कि गंगा के पानी में प्राकृतिक-शुद्धि का एक अनूठा गुण है। यह लंबे समय तक ऑक्सीजन धारण कर सकता है, यानी गंगा के पानी की पुनर्जीवन और वातन क्षमता (री-एरिएशन और एरिएशन कैपेसिटी) अन्य नदियों की तुलना में कहीं बेहतर थी। इसमें बहुत सारा घुलित ऑक्सीजन, बहुत सारे खनिज होते हैं, यह बहुत ही अनोखी बात है।

अगली अनूठी बात जिस पर मैं विचार करूंगा, वह है गंगा नदी का संपूर्ण भूभाग, स्थलाकृति। यदि आप ऊपर, नीचे और मध्य गंगा को देखें, तो भूभाग और स्थलाकृति में अंतर है। कल्पना कीजिए कि गंगोत्री ग्लेशियर और हेड-स्ट्रीम की ऊंचाई क्या है? हेडस्ट्रीम समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर ऊंचा है और हरिद्वार समुद्र तल से लगभग 340 मीटर ऊँचा है। तो, गंगोत्री (गोमुख) और हरिद्वार के बीच, लगभग 4100 मीटर से अधिक की ऊंचाई का अंतर है। ऊंचाई का इतना अंतर, नदी को 300 किमी से कम दूरी में तय करना पड़ता है। इसका मतलब है कि प्रवाह, वेग, और ढलान की वजह से नदी बहुत गहरी घाटी बना देगी। अन्य नदियों की तुलना में बहाव तेज और जलप्रपात बहुत अधिक होगा, क्योंकि इसे इस ढलान में इतने अंतर के साथ यह दूरी तय करनी पड़ती है। गंगा के बारे में यह अद्वितीय है, क्योंकि हरिद्वार के बाद यह मैदान में प्रवेश करती है और अपनी ऊर्जा खो देती है।

मैंने आपको गंगा के बारे में 5 प्रमुख अनूठी बातों से अवगत कराया, अब आगे बढ़ते हैं। गंगा बेसिन कितना बड़ा है? और गंगा बेसिन में अनोखा क्या है? गंगा बेसिन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना बेसिन का एक उप-बेसिन है। हम इसे GBM बेसिन या गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन कहते हैं, जो लगभग 17 लाख वर्ग किमी में फैला है, यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह न केवल भारत के हिस्से में आता है, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और चीन के भी कुछ भू-भाग को घेरता है। इसका अस्सी प्रतिशत भारत में है, चीन में 4%, नेपाल में 15% और बांग्लादेश में लगभग 1 प्रतिशत। 17 लाख वर्ग किलोमीटर में से लगभग 8 लाख 60 हजार वर्ग किलोमीटर बेसिन क्षेत्र भारत के गंगा बेसिन में है और यह बेसिन 45 करोड़ लोगों को पानी, रोज़गार या जीने के संसाधन उपलब्ध कराता है। इसका मतलब है कि भारत की आधी आबादी को इस उपजाऊ गंगा मैदान का सहारा मिल रहा है और गंगा बेसिन भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 40% योगदान दे रहा

है। इस प्रकार उपजाऊ भूमि, और सिंचाई क्षमता के आधार पर हमारे पास एक विशाल सिंचाई नेटवर्क है। अकेले यूपी में, हमारे पास 75 हज़ार किलोमीटर नहर नेटवर्क है और यह भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 57% पोषित करता है। गंगा बेसिन में लगभग 20 बड़ी और सैकड़ो छोटी नदियां हैं, जो नदी के प्रवाह में योगदान करती हैं। इसलिए जब हम बेसिन का नक्शा बनाते हैं, तो उन 20 छोटे नदी बेसिनों का भी नक्शा बनाते हैं, जैसे यमुना, रामगंगा, गोमती, कोसी घाघरा, गंडक और अन्य जो नदी के प्रवाह में योगदान करते हैं। हमारे पास कई ट्रांसबाउंड्री नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जल चीन, भारत और बांग्लादेश द्वारा साझा किया जाता है। घाघरा, कोसी, शारदा, गंडक जैसी नदियां नेपाल से आती हैं और भारत में हमारी गंगा नदी से मिलती हैं, इसलिए उनका जल नेपाल और भारत दोनों द्वारा साझा किया जाता है। अपस्ट्रीम में बांधों या जल डायवर्जन परियोजनाओं का भारत में डाउनस्ट्रीम प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। निचले तटवर्ती क्षेत्रों के समुदायों को वह स्वीकार करना होगा, जो उन्हें दिया जा रहा है।

नदी गंगा के प्रवाह में सबसे ज्यादा योगदान

हमारे यहां वर्षा बहुत ही मौसमी प्रकृति की है, हमारे पास उष्णकटिबंधीय मानसून है और उसके बाद शुष्क मौसम है। मानसून भारी मात्रा में पानी लाता है और हमारी नदियों में प्रवाह बहुत अधिक हो जाता है। कभी-कभी शुष्क मौसम के प्रवाह से 10 से 15 गुना अधिक। असम के कुछ हिस्सों में ब्रह्मपुत्र 20 किमी तक चौड़ी हो जाती है। यह कई चैनलों के साथ एक ब्रैडेड या कई शाखाओं में विभाजित नदी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और चैनल प्रवास के लिए जाना जाता है, बिहार में कोसी नदी के समान। मजबूत धारा के कारण नदी के किनारे कटाव और चैनल प्रवास होता है। नदी पुराने मार्ग अपना लेती है और नए क्षेत्रों में बाढ़ लाती है। कोसी नदी कई बार दो धाराओं के बीच आगे-पीछे करते हुए अपना मुख्य मार्ग बदलती है। ब्रह्मपुत्र के साथ भी यही सच है। आप जानते हैं, तिब्बत हिमालय के ग्लेशियरों से, नेपाल के माध्यम से कई विशाल नदियां भारत में आ रही हैं और गंगा नदी से मिल रही हैं। मैं घाघरा, गंडक और कोसी नदी का उदाहरण लेता हूं। ये नदियां प्रवाह में भारी योगदान करती हैं। यमुना नदी भी है, लेकिन घाघरा नदी का प्रवाह बहुत अधिक है,

आप कल्पना कर सकते हैं कि हम भारत से कितना भूजल निकाल लेते हैं। हम पूरी दुनिया में नंबर वन हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल का दोहन करने वाला देश है और भूजल का सबसे बड़ा भंडार भी गंगा के मैदान के नीचे है। विशाल गंगा जलोढ़ मैदान मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार है।

अलकनन्दा और भागीरथी का देवप्रयाग में संगम

उसके बाद यमुना नदी और फिर हमारे पास गंडक और कोसी नदी है। ये सभी नदियां बहुत सारा मीठा पानी चैनल में, गंगा नदी प्रणाली में लाती हैं। इसलिए हमें इलाहाबाद के बाद बहाव की समस्या नहीं दिखती है। इलाहाबाद के अपस्ट्रीम में लीन फ्लो सीजन में प्रवाह की समस्या होती है, लेकिन डाउनस्ट्रीम में इतनी नदियों के कारण नदी में पानी की अच्छी मात्रा होती है। नदी में पानी का क्या योगदान है? यह सिर्फ हिमपात नहीं है, आपको पता होगा कि यह एक स्नो-फेड नदी है, इसलिए सारा पानी गंगोत्री ग्लेशियर से बर्फ के पिघलने से आ रहा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, केवल एक चौथाई पानी ही बर्फ के पिघलने से आता है, अन्य पानी वर्षा से और शेष भूजल से आता है। यह मैदानी नदियों में योगदान देने वाला भूजल है, जो गंगा नदी में आ रहा है, जैसे केन, बेतवा, चंबल, ये सभी भूजल से पोषित नदियां हैं। ये पठारी नदियां, मैदानी नदियां नदी के कुल प्रवाह में योगदान करती हैं। स्नो-फेड जल एक छोटा-सा घटक है, अगर हम नेपाल और तिब्बत से आने वाली नदियों को लेते हैं तो प्रवाह घटक 60% हो सकता है और शेष 40% भूजल और अन्य पठारी नदियों से हो सकता है। अब अधिकांश पानी, जो आप हरिद्वार के नीचे देखते हैं, उसमें भूजल एक प्रमुख घटक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम भारत से कितना भूजल निकाल लेते हैं। हम पूरी दुनिया में नंबर वन हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल का दोहन करने वाला देश है और भूजल का सबसे बड़ा भंडार भी गंगा के मैदान के नीचे है। विशाल गंगा जलोढ़ मैदान मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार है। भूजल भी नदी के प्रवाह में योगदान दे रहा है और मैं आपको उदाहरण के लिए बता सकता हूँ कि हम भूजल भंडार से हर साल कितना पानी खपत करते हैं। भाखड़ा बांध के कुल भंडारण के 26 गुना के बराबर। आप भाखड़ा बांध में भंडारण की कल्पना कर सकते हैं और इसे 26 से गुणा कर सकते हैं। यह भूजल की मात्रा है, जो हम हर साल उपयोग करते हैं।

अब वापस नदी की धारा में आते हैं, नदी कैसे बह रही है? मैंने आपको नदी के अपस्ट्रीम

कृषि के लिए अति-जल दोहन मुख्य नदी और कई सहायक नदियों में कम प्रवाह की स्थिति पैदा कर रहा है। अत्यधिक जल आवंटन से प्राकृतिक प्रवाह के समाप्त होने का खतरा है, जिससे नदी पारिस्थितिकी और गंगा से जुड़े लोगों की आजीविका को गंभीर रूप से नुकसान होने वाला है।

के बारे में बताया था। अब ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र अर्थात भागीरथी और अलकनन्दा पर आते हैं, जो देवप्रयाग में मिलती हैं। नदी की मुख्य धारा या स्रोत-धारा क्या है? हम पौराणिक कथाओं और अपनी पाठ्यपुस्तकों में पढ़ते हैं कि भागीरथी नदी स्रोत धारा है, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने पर ही गोमुख है। लेकिन अगर आप गोमुख के ऊपर की ओर जाते हैं, चौखम्बा चोटी से ऊपर की ओर, लगभग 35 किमी, तो पाते हैं कि संपूर्ण गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख के उद्गम से लगभग 30 किमी दूर है। ग्लेशियर की मोटाई औसतन 200 मीटर के आसपास है और चौड़ाई आधा मीटर से 3 मीटर तक हो सकती है। भागीरथी नदी में बहुत अधिक जलविद्युत क्षमता है, इसलिए हमारे पास इतने जलविद्युत संयंत्र हैं। भागीरथी, गोमुख से देवप्रयाग तक लगभग 210 किमी की यात्रा करती है। हरिद्वार में हम पानी का जितना बड़ा हिस्सा गंगा से ऊपरी गंगा नहर में ले जाते हैं, उतना पानी भागीरथी नदी में है। गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से भागीरथी नदी का प्रवाह लगभग 257 मी^{3}/सें. देवप्रयाग में आता है। मनेरी में हमारे पास जलविद्युत संयंत्र (मनेरी भाली और धारासु) है, फिर टिहरी में हमारे पास भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलने के लिए नीचे आती है देवप्रयाग में, प्रवाह की दृष्टि से अलकनंदा नदी, गंगा की मुख्य धारा या स्रोत धारा है, क्योंकि अलकनंदा का प्रवाह भागीरथी नदी के प्रवाह से लगभग दोगुना है। अलकनंदा नदी में 5 विभिन्न नदियों का योगदान है। जब भी कोई नदी किसी दूसरी नदी से मिलती है, या गंगा नदी दूसरी नदी से मिलती है तो हम उसे प्रयाग यानी दो नदियों का संगम कहते हैं। हमारे पास पंचप्रयाग है क्योंकि अलकनंदा नदी 5 नदियों द्वारा पोषित है, जो हिमनदों के पिघलने से बहुत सारा ताजा पानी लाती है। हमारे पास धौली गंगा है जो विष्णुप्रयाग में मिल रही है, नंदाकिनी नदी जो नंदप्रयाग में मिल रही हैं, पिंडर नदी जो कर्णप्रयाग में मिल रही है, मंदाकिनी नदी जो रुद्रप्रयाग में मिल रही है और भागीरथी देवप्रयाग में मिल रही है। तो ये पंचप्रयाग, अलकनंदा नदी के प्रवाह में योगदान देने वाली पांच नदियों का संगम स्थल है। एक पानी नीला है, दूसरा थोड़ा मटमैला, लेकिन ये सभी नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं और इस संयुक्त धारा को गंगा नदी कहा जाता है।

डाल्फिन की जल-क्रीड़ाओं से अब वंचित है गंगा

नदी के ऊपरी हिस्से में उच्च तल, ढलान, झरने और संकीर्ण गेज हैं। कभी-कभी नदी का रास्ता बहुत संकरा होता है, और नदी देवप्रयाग से आगे उतरकर ऋषिकेश, फिर हरिद्वार आती है। वहां से यह मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, यानी बिजनौर, नरोरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आती है और इसके बाद यह बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाती है। फिर यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। अब कई शहर और कस्बे नदी के मुख्य चैनल के आसपास स्थित हैं। यूपी और बिहार की सीमा को देखें तो गंगा नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। लगभग 100 किमी की सीमा गंगा नदी द्वारा बनाई गई है। यह यूपी में लगभग 1000 किमी और बिहार में लगभग 405 किमी की यात्रा करती है। 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल गंगा बेसिन का प्रमुख हिस्सा बनाते हैं। जल विज्ञान के दृष्टिकोण से, हम नदी को 4 खंडों में विभाजित करते हैं- अपस्ट्रीम यानी गोमुख से हरिद्वार तक, मिडस्ट्रीम यानी हरिद्वार से इलाहाबाद तक, फिर डाउनस्ट्रीम आदि इलाहाबाद से फरक्का और फरक्का से बंगाल की खाड़ी तक। इलाहाबाद से फरक्का के बीच का प्रवाह, हरिद्वार से इलाहाबाद के बीच के प्रवाह से 6-7 गुना अधिक है। हरिद्वार से इलाहाबाद क्षेत्र में प्रवाह बाधित हो सकता है, लेकिन इलाहाबाद के बाद, नेपाल से आने वाली नदियों के योगदान के कारण प्रवाह बहुत अधिक हो जाता है। अब, समस्या कहाँ है? भारी प्रदूषण भार के मामले में समस्या कानपुर और वाराणसी खंड के बीच है। यह मार्ग बहुत प्रदूषित है। कई बार पानी इतना प्रदूषित हो जाता है कि नहाने लायक भी नहीं रहता। यह सिर्फ वन्यजीवों के रखरखाव और नेविगेशन के लिए उपयुक्त ही है। आप पारंपरिक उपचार यानी कीटाणुशोधन के बाद ही पानी पी सकते हैं। हम इसे गुणवत्ता 'ए' कहते हैं और स्नान गुणवत्ता 'बी' है। वन्य जीवन के पोषण के लिए गुणवत्ता 'सी' है और शेष 'डी' सिंचाई के लिए है, 'ई' सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं है। मैंने आपको बेसिन संरचना, बेसिन विकास और उत्पत्ति, स्थलाकृति, भूभाग, गंगा जल अद्वितीय क्यों है, के बारे में बताया, अब डायवर्सन परियोजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि नहरों के लिए जल आवंटन बहुत अधिक क्यों है। सिंचाई के कारण कई जल डायवर्सन योजनाएं हैं। यह एक ऐसी समस्या है, जो गंगा के पानी का बड़ा हिस्सा ले लेती है।

नहरों के लिए जल आवंटन: गंगा नदी से हम प्रतिदिन कितना पानी निकालते हैं?

गंगा नदी से हम बहुत अधिक पानी निकालते

हैं। प्रवाह व्यवस्था के बिंदु से निकासी को जानना महत्वपूर्ण है। हरिद्वार से नीचे, भीमगोड़ा बैराज के माध्यम से ऊपरी गंगा नहर में बड़ी मात्रा में पानी आवंटित किया जाता है। इस नहर का हेड डिस्चार्ज 295 मी^{3}/सें. है। इसके आगे निचली गंगा नहर प्रणाली के लिए नरोरा में नरोरा बैराज से पानी निकालते हैं। ये नहरें दस हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई करती है, जिससे लाखों लोगों को आजीविका मिलती है। लेकिन ये भी सच है कि कृषि के लिए अति-जल दोहन मुख्य नदी और कई सहायक नदियों में कम प्रवाह की स्थिति पैदा कर रहा है। अत्यधिक जल आवंटन से प्राकृतिक प्रवाह के समाप्त होने का खतरा है, जिससे नदी पारिस्थितिकी और गंगा से जुड़े लोगों की आजीविका को गंभीर रूप से नुकसान होने वाला है।

हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज है। इसे अंग्रेजों ने बनाया था। 1842 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1852 में पूरा हुआ। यह बहुत पुराना बैराज है। यह सिंचाई के लिए बना था, क्योंकि पश्चिमी यूपी में भारी सूखा और अकाल की समस्या थी। लोग भूख से मर रहे थे। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने इस भीमगोड़ा बैराज को हरिद्वार में गंगा नदी से पानी लेने के लिए डिजाइन किया था। उस समय डिजाइन की गई क्षमता लगभग 6000 क्यूबिक फीट/सेकंड थी, अभी हमारे पास 10000 क्यूबिक फीट/सेकेंड की क्षमता है। भीमगोड़ा बैराज के पास डायवर्जन भागीरथी नदी के बहाव से अधिक है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भागीरथी नदी का औसत डिस्चार्ज करीब 257 क्यूमेक्स है, लेकिन भीमगोड़ा बैराज करीब 297 क्यूमेक्स पानी डायवर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ एक पूर्वी गंगा नहर भी है, जो लगभग 140 क्यूमेक्स पानी गंगा की मुख्यधारा से निकाल रही है। तो एक साथ, हरिद्वार में ये दो बैराज भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के वास्तविक पानी के लगभग आधे हिस्से को मोड़ देते हैं। अभी वे एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए पानी पहुंचा रहे हैं। अकेले यूपी को लें तो नहरों की लंबाई करीब 74 हजार किमी है। यूपी में ये नहरें ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी गंगा नहर पर निर्भर हैं। वे हमारे एनसीआर क्षेत्र में भी पीने के पानी का इंतजाम करती हैं, दिल्ली को भी पीने के लिए बड़ी मात्रा में गंगा जल ही मिल रहा है।

अब भीमगोड़ा बैराज से थोड़ा नीचे, बिजनौर

भागीरथी नदी का औसत डिस्चार्ज करीब 257 क्यूमेक्स है, लेकिन भीमगोड़ा बैराज करीब 297 क्यूमेक्स पानी डायवर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ एक पूर्वी गंगा नहर भी है, जो लगभग 140 क्यूमेक्स पानी गंगा की मुख्यधारा से निकाल रही है । तो एक साथ, हरिद्वार में ये दो बैराज भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के वास्तविक पानी के लगभग आधे हिस्से को मोड़ देते हैं।

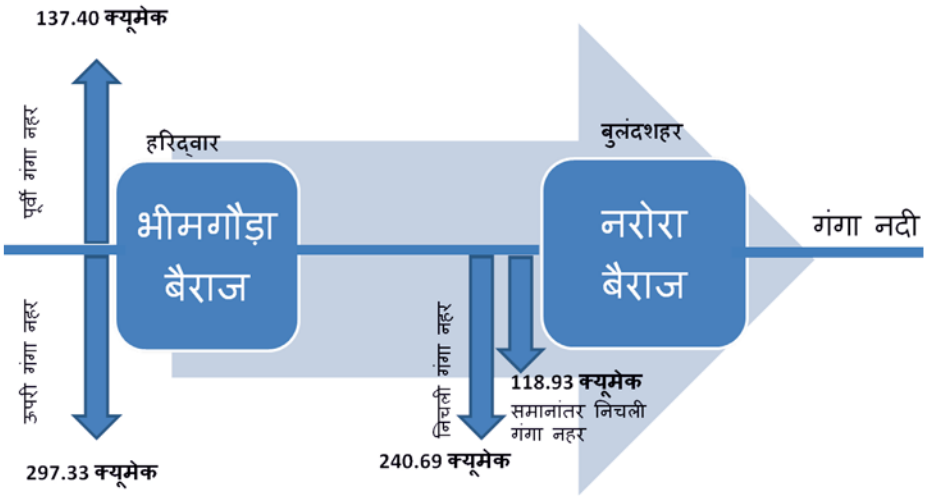

गंगा से नहर प्रणाली के जरिये जल-निकासी

में मध्य गंगा नहर पर आएं। हमने बिजनौर में मध्य गंगा नहर बनाई है। यह मध्य गंगा नहर लगभग 150 क्यूमेक्स पानी को फिर से सिंचाई के लिए डायवर्ट करती है और यदि आप और नीचे आते हैं तो आपके पास बुलंदशहर के पास नरोरा में निचली गंगा नहर है, जो आगे लगभग 240 क्यूमेक्स पानी को मोड़ देती है, यानी 240 क्यूमेक्स पानी नरौरा में डायवर्ट किया गया है। तो कल्पना कीजिए कि हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज, ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर, बिजनौर में मध्य गंगा नहर और नरोरा में निचली गंगा नहर एक छोटी सी अवधि में पानी की एक बड़ी मात्रा को गंगा से निकाल लेती हैं। यदि आप इसे जोड़ें, तो यह लगभग 800 क्यूमेक्स होगा। इन नहरों से लगभग 800 क्यूमेक्स पानी की निकासी होती है। अब सवाल यह उठता है कि पानी के इस आवंटन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने पानी का इतना अधिक आवंटन क्यों किया है?

गंगा एक जीवित शरीर

मैं हमेशा कहता हूं कि गंगा एक जीवित शरीर है। अगर मैं आपके शरीर से इतना सारा खून निकाल लूं, तो क्या आप बच पाएंगे ? नदी एक जीवित प्रणाली है, यह अपने साथ विभिन्न जीवन रूपों जैसे मछलियों, कछुओं, पौधों और डायटमों जैसे सूक्ष्म जीवों को ले जाती है। गंगा नदी में मछलियों की 150 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन भी शामिल है। नदी कहलाने के लिए इसमें पानी की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। नदी को बनाए रखने, जलीय जीवन और बाढ़ के मैदान की वनस्पति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त और निर्बाध प्रवाह की आवश्यकता होती है, जिससे नदी खुद को शुद्ध कर सके, भूजल को रिचार्ज कर सके, आजीविका का समर्थन कर सके, नेविगेशन को संभव बना सके और नदी-संस्कृति को अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बना सके। लाखों लोगों का आध्यात्मिक जीवन नदियों से जुड़ा है। डैम और कनाल से नदियों के नैसर्गिक प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कई परियोजनाओं को नदी पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभावों पर विचार किए बिना डिजाइन किया जाता है।

एक पारिस्थितिक विज्ञानी और जलविज्ञानी के रूप में, हम गंगा को मात्र एक चैनल के रूप

एक नदी तीन महत्वपूर्ण काम करती है। अपने जलग्रहण क्षेत्रों से सेडीमेंट और पोषक तत्व एकत्र करती है, उन्हें बड़ी दूरी तक पहुँचाती है और जब मैदानी इलाकों में इसकी ऊर्जा कम हो जाती है तो जमा कर देती है। इस तरह हमारा विशाल गंगा मैदान परत दर परत अस्तित्व में आया। उन्होंने हमारे एक्वीफर सिस्टम को भी नीचे बनाया, जो विशाल भूजल भंडार के रूप में नीचे बहता है।

पूर्णिया से सुपौल तक कोसी की बदलती धारा

में नहीं देखते हैं। हम इसे इको-हाइड्रोलॉजी लेंस से देखते हैं : यह विज्ञान की एक शाखा है, जो न केवल जलग्रहण क्षेत्र और बेसिन के जल विज्ञान से संबंधित है, बल्कि पारिस्थितिक पहलुओं को भी देखती है। इसलिए हम केवल एक पहलू यानी पानी को नहीं देखते हैं, हम सेडीमेंट, जलीय जीवन, पूरे जुड़े हुए परिदृश्य को भी देखते हैं, जो पूरे वाटरशेड में नदी प्रणाली को बहुत ही अनूठा बनाता है। नदी प्रणालियां, भूमि-पारिस्थितिक तंत्र और महासागरीय-पारिस्थितिक तंत्र के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे जमीन और समुद्र को जोड़ती हैं, वे पारिस्थितिकी तंत्र चला रही हैं। यदि आप किसी नदी का एक क्रॉस-सेक्शन काटते हैं, तो आप नदी को कैसे देखेंगे? एक नदी का मुख्य चैनल है, जिसमें आप देखते हैं कि नदी बह रही है। कभी-कभी आप देखते हैं कि जल स्तर ऊपर आ रहा है, उच्च प्रवाह के मौसम में तटबंधों या घाटों को छू रहा है। इसके अलावा, एक रिपेरियन फ़ॉरेस्ट बफर है, जिसे हम हमेशा छोड़ देते हैं। यदि आप एक क्रॉस-सेक्शन को लेते हैं तो सौ साल पीछे चले जाते हैं, जब इतना विकास नहीं होता है। नदी हमेशा जंगलों से जुड़ी हुई थी और जंगल के बाद एक रिपेरियन वेटलैंड था। यानी आर्द्रभूमि भी नदी प्रणाली से जुड़े परिदृश्य का एक हिस्सा थी। अब हमने नदी चैनल के साथ आर्द्रभूमि का वह संपर्क खो दिया है। हम तटीय वनस्पति और आर्द्रभूमि के साथ वह संपर्क बहाल करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि इतनी बारिश हो रही है, फिर भी हमारी आर्द्रभूमि सूखी है। यदि आप उन्नाव जाते हैं तो हमारे पास नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, और पिछले साल तक, जब इतनी बारिश हुई थी और मैंने साइट का दौरा किया, तो देखा कि यह सूखा था। यानी गंगा नदी का नवाबगंज पक्षी विहार से जो संबंध है, वह खो गया है। पहले गंगा नदी उन्नाव तक बहती थी, अभी भी पेलियोचैनल और नदी चैनल के निशान दिखाई दे रहे हैं। यदि आप कानपुर रोड से उन्नाव जाते हैं, तो आपको ये निशान और पैलियोचैनल, घुमावदार धनुषाकार झीलें दिखाई देंगी। हमारे पास उच्च बाढ़ का स्तर भी है। जब हम बसते हैं, तो हम देखते हैं कि हम नदी की छत पर अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। भारत की नदियां यूरोप की दूसरी नदियों से बहुत अलग हैं। हमारे पास उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जून से सितंबर के महीनों के दौरान हमारे पास वर्षा होती है, इस दौरान नदी कई गुना बढ़ जाती है। आपके पास पानी को स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए, कभी-कभी यह लीन सीजन डिस्चार्ज का 100 गुना होता है। उसके लिए, आपके पास पर्याप्त जमीन होनी चाहिए, जिसे हम छत कहते हैं। नदी चैनल का वह आधार, जो आप देख रहे हैं, वह T0 (टेरेस 0) है, लेकिन हमारे पास T1 (टेरेस 1), T2 (टेरेस 2) आदि भी हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हम उस छत के करीब आ गए हैं, जो T1 और T2 सतह है।

हर नदी अलग होती है। एक नदी के अलग-अलग खंड भी होते हैं। तो कोई 'टाइप ए' या 'टाइप बी' नदी नहीं है, वे अलग-अलग व्यक्तियों की तरह हैं। यहाँ तक कि बाएं और दाएं किनारे भी अलग-अलग नदी कार्यों के कारण भिन्न होते हैं, जैसे कटाव और अवसादन। एक नदी तीन महत्वपूर्ण काम करती है। अपने जलग्रहण क्षेत्रों से सेडीमेंट और पोषक तत्व एकत्र करती है, उन्हें बड़ी दूरी तक पहुँचाती है और जब मैदानी इलाकों में इसकी ऊर्जा कम हो जाती है तो जमा कर देती है। इस तरह हमारा विशाल गंगा मैदान परत दर परत अस्तित्व में आया। उन्होंने हमारे एक्वीफर सिस्टम को भी नीचे

बनाया, जो विशाल भूजल भंडार के रूप में नीचे बहता है। गंगा-ब्रह्मपुत्र प्रणाली के विशाल निर्वहन और सेडीमेंट ने एक व्यापक फ्लड प्लेन या जलोढ़ मैदान और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया है, जिसे बंगाल डेल्टा कहा जाता है। गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों में दुनिया में सबसे बड़ा सेडीमेंट लोड 1.87 अरब टन प्रति वर्ष है। इसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिस्चार्ज है।

हमने नदी के सक्रिय बाढ़ मार्ग पर अतिक्रमण कर लिया है और जब भी बाढ़ आती है, हम नदी को दोष देते हैं, हम जलवायु को दोष देते हैं और कहते हैं कि नदी विनाशकारी है, लेकिन नदी के लिए यह एक सामान्य घटना है। यह हाइड्रोलॉजिकल चक्र का हिस्सा है। हर नदी बाढ़ और सूखे के चक्र से गुजरती है, हमें नदी के वास्तविक बाढ़ मार्गों का सम्मान करना चाहिए। हर नदी एक स्थलीय चक्र या भूमि चक्र से भी गुजरती है, नदी का स्थलीय चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थलीय चक्र या शुष्क चक्र में नदी निचले तटवर्ती क्षेत्रों में बीज फैलाती है। वानस्पतिक पुनर्जनन सूखे के मौसम में होता है, इसलिए सूखा भी नदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तक कि अधिकतम प्लवक का उत्पादन भी इस शुष्क और गीले चक्र के बीच होता है।

हमें समझना चाहिए कि गंगा नदी के लिए सूखा और गीला चक्र समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जब हम प्रवाह के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मतलब स्थिर प्रवाह से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि नदी अभी बह रही है। अगली बार जब भी आप किसी नदी के किनारे पर जाएं, तो बस यह देखें कि पूरे समय प्रवाह में कैसे उतार-चढ़ाव होता है, यानी प्रवाह की आवृत्ति, प्रवाह का परिमाण और प्रवाह का समय भी बदल रहा है। इसलिए हर नदी का प्रवाह भी अलग होता है। एक नदी में कई प्रवाह व्यवस्थाएं होती हैं। यह स्थिर नहीं है कि आप एक प्रवाह बनाए रखें और नदी हमेशा उस विशेष प्रवाह के साथ बह रही है। प्रवाह का परिमाण, प्रवाह का समय और प्रवाह की आवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने नदियों के प्रवाह को कई प्रवाह व्यवस्थाओं में विभाजित किया है। कभी हमारे पास आधार प्रवाह होता है, यह भूजल द्वारा योगदान किया जाने वाला प्रवाह होता है। कभी हमारे पास उच्च बाढ़ प्रवाह होता है, जो मानसून में होता है, एक ओवरबैंक प्रवाह है, जो बर्फ पिघलने या भारी

हमने नदी के सक्रिय बाढ़ मार्ग पर अतिक्रमण कर लिया है और जब भी बाढ़ आती है, हम नदी को दोष देते हैं, हम जलवायु को दोष देते हैं और कहते हैं कि नदी विनाशकारी है, लेकिन नदी के लिए यह एक सामान्य घटना है। यह हाइड्रोलॉजिकल चक्र का हिस्सा है। हर नदी बाढ़ और सूखे के चक्र से गुजरती है, हमें नदी के वास्तविक बाढ़ मार्गों का सम्मान करना चाहिए।

वर्षा के कारण और एक निर्वाह प्रवाह भी है, जो एक नदी को बारहमासी बनाए रखता है। इस प्रकार प्रवाह की बहुलता बहुत महत्वपूर्ण है। नदियों में स्थिर प्रवाह नहीं होता, बल्कि प्रवाह के पूरे स्पेक्ट्रम को समग्रता में लिया जाना चाहिए। अब क्या हो रहा है, सभी जलाशय या बांध या बैराज परियोजनाओं को हम देखते हैं कि वे इन प्रवाह व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे इस प्रवाह व्यवस्था का सम्मान नहीं करते हैं। ये प्रवाह जेनेरिक हैं, उनकी संरचनाएं किसी प्रकार के स्थिर प्रवाह को बनाए रखने की कोशिश करती हैं।

पहली बड़ी जल डायवर्जन परियोजना ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, लेकिन हम बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए नहरों के बाद नहरें बनाते रहे और इस पूरी प्रक्रिया में, हमने पूरी नदी को बांट दिया, जो नदी के न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह को प्रभावित कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। गंगा नदी एक राष्ट्रीय नदी है। इसे 2009 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा की डॉल्फ़िन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। डॉल्फ़िन गंगा प्रणाली के लिए बहुत ही अद्वितीय है। पहले वे पूरी गंगा नदी में पायी जाती थीं। बंगाल की खाड़ी से लेकर हरिद्वार तक गंगा में डॉल्फ़िन हुआ करती थीं। गंगा की डॉल्फ़िन के पुराने रिकॉर्ड हैं। लेकिन जब हमने इन अवरोधों और बैराजों को बनाया, तो इसने डॉल्फ़िन के प्राकृतिक नेविगेशन या प्रवास या स्पॉनिंग में बाधा उत्पन्न की। बैराज के निर्माण के कारण नदी के विखंडन के बाद, डॉल्फ़िन को भीमगोड़ा बैराज से नरोरा, नरोरा से बिजनौर और फिर बिजनौर से कानपुर बैराज तक सीमित कर दिया गया। आप जानते हैं कि कानपुर में एक बैराज है, जो पीने के लिए पानी की आपूर्ति और गंगा नदी में जल स्तर को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। इन तीन-चार बैराजों ने गंगा नदी के प्रवाह में रुकावट या विखंडन पैदा कर दिया। मछलियों की कई प्रजातियाँ, घड़ियाल, डॉल्फिन अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजातियां हैं। यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। गंगा के घड़ियाल और इनकी संख्या तीन हजार से भी कम है। ये अन्य नदियों में तो हैं, लेकिन इन अवरोधों के कारण गंगा के मुख्य चैनल में इनकी आबादी 2500 से भी कम है। नरोरा और कानपुर के बीच निचली धारा में डॉल्फिन की कुछ आबादी है, लेकिन उनकी संख्या 100 से नीचे है। तो चिंता का प्रमुख कारण क्या है? पहली महत्वपूर्ण बात जल आवंटन है, हम गंगा नदी के मुख्य चैनल से आवंटन को कैसे कम कर सकते हैं? जो भी पानी नहर प्रणाली से निकाला जाता है, उस बोझ को कैसे कम कर सकते हैं?

गंगा पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत ही नाजुक क्षेत्र है

हम हमेशा एक नदी से केवल चाहते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि नदी हमसे क्या चाहती है? एक नदी की अपेक्षाएं क्या हैं?

यदि आप किसी शहर के वाटरशेड के बारे में समझना चाहते हैं तो जाकर उसकी नदी को देखें। जलग्रहण क्षेत्र में क्या हो रहा है नदी इसका दर्पण है। नदी अपने शहर की छवि प्रदान करती है। वह आपको बताती है कि जमीन पर क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली में यमुना को लें, हमने इस नदी के साथ क्या किया है? यदि आप जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) लोड देखते हैं तो यह बहुत अधिक है। यह लगभग एक बड़े नाले की तरह है। हमने अपनी गोमती, रामगंगा और हिंडन के साथ क्या किया?

शहरीकरण, औद्योगीकरण और कृषि के सघनता के कारण, नदियों को अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित घरेलू और औद्योगिक

अगली बार जब भी आप किसी नदी के किनारे पर जाएं, तो बस यह देखें कि पूरे समय प्रवाह में कैसे उतार-चढ़ाव होता है, यानी प्रवाह की आवृत्ति, प्रवाह का परिमाण और प्रवाह का समय भी बदल रहा है। इसलिए हर नदी का प्रवाह भी अलग होता है। एक नदी में कई प्रवाह व्यवस्थाएं होती हैं। यह स्थिर नहीं है कि आप एक प्रवाह बनाए रखें और नदी हमेशा उस विशेष प्रवाह के साथ बह रही है। प्रवाह का परिमाण, प्रवाह का समय और प्रवाह की आवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है।

अपशिष्ट, उर्वरक और कीटनाशक प्राप्त होते हैं। गंगा कार्य योजना (गंगा एक्शन प्लान) के पहले चरण को 1985 में गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू किया गया था और मार्च 2000 में पूरा किया गया। कार्यक्रम के दूसरे चरण को 1993 में अनुमोदित किया गया और इसमें गंगा नदी की सहायक नदियां यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा को भी शामिल किया गया। इन दोनों योजनाओं के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, सीवेज के अवरोधन और डायवर्जन, कम लागत वाली स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण, बिजली/लकड़ी श्मशान की स्थापना और नदी के सामने विकास जैसे विभिन्न कार्य किए गए थे। गंगा कार्य योजना और नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट्स के तहत गंगा पर अब तक तीस हज़ार करोड़ से अधिक पैसे का निवेश किया गया है और 1064 एम एल डी की सीवेज उपचार क्षमता बनाई गई है । इतने पैसे के निवेश के बावजूद, गंगा के कई हिस्सों में पानी की गुणवत्ता अभी भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वन्य जीवन और मत्स्य पालन के लिए निर्धारित मानदंडों से खराब है। गंगा बेसिन से लगभग 12,000 मिलियन लीटर प्रति दिन सीवेज उत्पन्न होता है, जिसके लिए वर्तमान में केवल 4,000 एमएलडी की उपचार क्षमता है।

विकास एक विरोधाभास है, अगर हम एक नदी को मात्र एक 'चैनल' की तरह देखते हैं। हम 'लैंडस्केप' के साथ यदि नदी के कनेक्शन को नहीं समझते हैं तो हम एक भारी गलती कर बैठते हैं। अब सब कुछ एक 'निर्मित परिदृश्य' या बिल्ट लैंडस्केप की तरह है, हालांकि जब हम शहरी संदर्भ में बात करते हैं, तो हम निर्मित परिदृश्य के बारे में बात करते हैं और हम पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण की संपूर्ण वहन क्षमता के कनेक्शन के बारे में भूल जाते हैं। इसलिए मैं इसे विकास का विरोधाभास कहता हूं, कि एक निर्मित वातावरण में हम एक नदी से क्या चाहते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि नदी हमसे क्या चाहती है? एक नदी की अपेक्षाएं क्या हैं? विकास का विरोधाभास यह है कि हम एक नदी बेसिन में इतने सारे 'दबाव-प्रभाव' के साथ पूर्ण प्राकृतिक सामंजस्य नहीं बनाए रख सकते हैं।

अधिकांश जल संसाधन इंजीनियर, नहर और नदी के बीच का अंतर नहीं देखते हैं। नहर का डिज़ाइन बहुत सरल है यहां तक कि बाएं और दाएं किनारे भी समान हैं, लेकिन यदि एक नदी को देखें, तो दायां किनारा बाएं किनारे से बहुत अलग होता है, हाइड्रोलॉजिकल, जियोलाजिकल और यहां तक कि इकोलॉजिकल या पारिस्थितिक रूप से भी बहुत अलग। नदियां, नहरों से अलग होती हैं, क्योंकि वे जीवित आवास और जीवों को अपने में समेटे हैं, विभिन्न प्रकार के तटीय आवास (बैंक हैबिटैट) और तटीय वनस्पतियां (बैंक वेजटेशन) हैं। दायां तट, बाएं तट से अलग है, लेकिन अधिकांश परियोजनाएं दोनों किनारों को एक समान मानती हैं। अधिकांश जल अपवर्तन परियोजनाएं दोनों नदी तटों को एक समान मानती हैं। हरिद्वार के डाउनस्ट्रीम में बहाव की समस्या है। अपस्ट्रीम में कई बांध और जलाशय हैं। कई जलविद्युत बांध वहां चल रहे हैं, और कई निर्माणाधीन हैं। संख्या बहुत बड़ी है, मैं आपको एक उदाहरण भागीरथी नदी का देता हूं। अब इस पर 18 बांध संचालन में या निर्माणाधीन या योजनाबद्ध हैं। अलकनंदा धारा में लगभग 37 जलविद्युत बांध तैयार किए जा रहे हैं। यानी हेडस्ट्रीम के अलकनंदा हिस्से में 37 हाइड्रोपावर प्लांट और भागीरथी स्ट्रीम पर 18 हाइड्रोपावर प्लांट प्रवाह को रोकेंगे। पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ हिस्से ऐसे भी थे, जहां पानी नहीं था। गंगा कुछ हिस्सों में बिना पानी के थी। इस तरह के विचलन के कारण भागीरथी बंजर हुई, इसलिए ये परियोजनाएं निश्चित रूप से गंगत्व, बैक्टीरियोफेज के समुदाय और पानी की स्वतः शुद्धि क्षमता को प्रभावित करने वाली हैं।

मैं यहां दो बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं: जलविद्युत महत्वपूर्ण है, लेकिन जल विद्युत अब ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत नहीं रह गया है। आपके पास अभी सौर ऊर्जा हो सकती है। गंगा प्रणाली से, गंगा में कुल 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। टिहरी बांध आपको 1000 मेगावाट दे रहा है, इसके अलावा 1000 मेगावाट टिहरी बांध के भंडारण से आ रहा है, इसकी कुल डिजाइन क्षमता 2000 मेगावाट की है। दूसरा विष्णुप्रयाग और मनेरीमाली जैसे कई नियोजित जलविद्युत हैं। मैं उन विवादों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, उन अन्य विकल्पों के बारे में सोचने की कोशिश करें, जिन्हें आप जानते हैं। ये प्राकृतिक परिदृश्य हैं, ये विरासत स्थल हैं, ऊपरी गंगा पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत ही नाजुक पारिस्थितिक क्षेत्र है। भूगर्भीय रूप से हिमालय अभी भी सक्रिय है और अभी भी विकसित हो रहा है, भूकंप अभी भी हो रहे हैं। ये पनबिजली सुरक्षित विकल्प नहीं है। आप जलविद्युत के बदले सौर ऊर्जा का विकास क्यों नहीं करते,

आभार

सर्वोदय जगत पत्रिका के प्रकाशन हेतु एकनाथ डगवार, सचिव, भूदान मंडल, यवतमाल, महाराष्ट्र द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ है।

सर्व सेवा संघ इस सहयोग के लिए अपने साथी डगवार भाई के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता है।

ताकि नुकसान को कम कर सकें। इसलिए गंगा नदी में मोटे तौर पर तीन प्रमुख समस्याएं हैं। एक ऊपरी हिस्से के जलविद्युत संयंत्र हैं, बांध हानि-कारक प्रभाव पैदा कर रहे हैं, दूसरा नहरों के लिए पानी का बहुत अधिक आवंटन है, और तीसरा, हमारे प्रमुख शहर और कस्बे नदी में इतना अधिक प्रदूषण पैदा कर रहे हैं कि नदी स्वयं उपचार करने में असमर्थ है।

हम अब पूर्ण प्राकृतिक वातावरण नहीं बनाये रख सकते हैं। हम एक कृत्रिम परिदृश्य में हैं, जहां बहुत कुछ बदल चुका है। इसलिए हमें एक तरह से समझौता करने वाली स्थिति बनानी होगी। यह हमारा लक्ष्य हो सकता है कि इस नदी को पूरे वर्ष हर समय, नहाने योग्य, तैरने योग्य, मछली पकड़ने योग्य और पीने योग्य बनाया जाए, लेकिन हमने इतने ढांचे, इतने सारे बैराज, इतने बांध बना दिए हैं कि प्रवाह को बहाल करना ही मुश्किल हो गया है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन नमामि गंगे ने पारिस्थितिक पवित्रता और भूवैज्ञानिक पवित्रता को जोड़ा है, पहले वे केवल स्वच्छ गंगा, अविरल गंगा, निर्मल गंगा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन पिछले दो वर्षों से वे पारिस्थितिकी और भूवैज्ञानिक अखंडता पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और मैं हमेशा कहता हूं कि हर समय सरकार को दोष मत दो। सरकार कौन बनाता है? नीति कौन बनाता है? हम में से कुछ मंत्री बनेंगे, हम में से कुछ नौकरशाह बनेंगे। हम ही दोषपूर्ण योजनाएं बनाते हैं, हम गलत नीति बनाते हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों के हमारे अधिकारों को प्रभावित करता है।

हम नदियों को कैसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं?

भारत के संविधान के अंतर्गत जल राज्य का विषय है। राज्य सरकारों के पास अधिकार है और वे अपने अधिकार क्षेत्र में नदी के पानी के विकास और उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं। नदी बेसिन की सीमाएं राज्य या प्रशासनिक सीमाओं का पालन नहीं करती हैं। देश की कई प्रमुख नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। एक अपस्ट्रीम राज्य में पानी का उपयोग, डाउनस्ट्रीम राज्यों में प्रवाह की मात्रा और वितरण को बदल देता है। इसके अलावा, अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित जल-मल के कारण पानी की गुणवत्ता अक्सर खराब हो जाती है। बेसिन नियोजन की

ये प्राकृतिक परिदृश्य हैं, ये विरासत स्थल हैं, ऊपरी गंगा पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत ही नाजुक पारिस्थितिक क्षेत्र है। भूगर्भीय रूप से हिमालय अभी भी सक्रिय है और अभी भी विकसित हो रहा है, भूकंप अभी भी हो रहे हैं। ये पनबिजली सुरक्षित विकल्प नहीं है।

ऋषिकेश में गंगा नदी

अवधारणा को सही तरीक़े से लागू नहीं किया जा रहा है। सात आईआईटी के संघ ने गंगा नदी के लिए एक बेसिन प्रबंधन योजना बनाई है, लेकिन इसे लगभग 30 साल पहले बनाया जाना चाहिए था। अब हमें एक अलग तरह की रेट्रोफिटिंग की जरूरत है। 1999 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को दिल्ली में यमुना नदी में पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए न्यूनतम 10 मी^{3}/सें. प्रवाह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इतने प्रयासों और निवेश के बाद भी दिल्ली में वांछित नदी जल गुणवत्ता के मानकों को पूरा नहीं किया गया है।

हमारी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट, सिंचाई और खेती की उपज जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। आर्थिक दृष्टि से बहुत दबाव है। लेकिन हम अपनी नदियों को जलीय जीवन के साथ बहते हुए देखना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि खेती बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 56% गंगा बेसिन से है और सकल घरेलू उत्पाद का 40% गंगा बेसिन का है। हम अपनी कृषि उत्पादकता से समझौता नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी नदियों में 'अविरल, निर्मल,' मुक्त-प्रवाह भी देखना चाहते हैं। हम पारिस्थितिक अखंडता को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम जल विज्ञान और भूवैज्ञानिक अखंडता को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो पहली चीज जो हम कर सकते हैं, वह है सटीक सिंचाई प्रणाली को जमीन पर उतारें, जो नहर पर निर्भर हो। यह कदम नदी में अधिक पानी सुनिश्चित कर सकता है, ताकि नदी न्यूनतम पारिस्थितिकी कार्य कर सके। प्रत्येक नदी को कुछ स्तर के पारिस्थितिक कार्य करने होते हैं और हम नदी की प्राकृतिक-सफाई और स्व-शुद्धि क्षमता को परिभाषित करते हैं, जो अत्यधिक जटिल कार्य है।

अब वापस नदी के कायाकल्प पर आते हैं, हम नदियों को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं? मैं बहुत सी छोटी और बड़ी नदियों के साथ काम करता हूं और हम कई उपायों के माध्यम से नदियों को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वस्थ नदी अपनी स्वस्थ सहायक नदियों पर निर्भर करेगी। नदी केवल इसका मुख्य चैनल नहीं है। कई सहायक नदियां, छोटे नाले हैं, जो गंगा नदी के मुख्य धारा में मिलते हैं और वे समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मैंने एक अवधारणा विकसित की है, जिसे मैं 'पंचामृत' कहता हूं। एक नदी को जीवित करने के लिए पांच चीजें बहुत जरूरी हैं, सबसे पहले

इसलिए गंगा नदी में मोटे तौर पर तीन प्रमुख समस्याएं हैं। एक ऊपरी हिस्से के जलविद्युत संयंत्र हैं, बांध हानिकारक प्रभाव पैदा कर रहे हैं, दूसरा नहरों के लिए पानी का बहुत अधिक आवंटन है, और तीसरा, हमारे प्रमुख शहर और कस्बे नदी में इतना अधिक प्रदूषण पैदा कर रहे हैं कि नदी स्वयं उपचार करने में असमर्थ है।

गंगोत्री के पास भागीरथी की धारा

हम चाहते हैं कि हमारी नदियां साफ हों। पानी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप स्नान कर सकें, इसका उपयोग पीने के लिए कर सकें। तभी वन्यजीव जीवित रह सकते हैं। दूसरा, हम एक स्वस्थ प्रवाह व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। नदी को बहना चाहिए और संस्कृत में हम कहते हैं "नद्यः बेगेन शुद्धयति ": यह नदी का प्रवाह ही है, जो इसे शुद्ध करता है। इसलिए हम अपनी नदियों में स्वस्थ प्रवाह चाहते हैं। तीसरा, हम प्राकृतिक बायोटा, पूरी मछली आबादी, कछुओं, मगरमच्छों, डॉल्फ़िन, सभी दुर्लभ और मूल्यवान बायोटा को भी देखना चाहते हैं, जिन्हें हम अपनी नदियों में संरक्षित करना चाहते हैं। हम और क्या चाहते हैं? हम वनस्पति भी चाहते हैं, यानी अगर कोई नदी है तो हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ रिपेरियन वनस्पति हो या नदी का किनारा हरा हो। यह कंक्रीट की दीवार की तरह नहीं होना चाहिए, यह बहुत बदसूरत साइट है। यदि आप किसी नदी को देखने जाते हैं, तो आप आसपास भी देखते हैं। जलग्रहण क्षेत्र, बाढ़ का मैदान, और संपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें स्वस्थ वनस्पतियों को बनाए रखना चाहिए। चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम चैनल को परिदृश्य से जोड़ना चाहते हैं। आपने "ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना" गाना तो सुना ही होगा। ताल से शुरुआत होती है। आर्द्रभूमि, तालाब आदि छोटे चैनलों से मिलते हैं और छोटे चैनल बड़ी धाराएं बन जाते हैं और वे जाकर अंततः समुद्र से मिल जाते हैं।

सबसे पहले हम नदी में प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने का प्रयास करते हैं। प्रवाह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रवाह का परिमाण, प्रवाह का समय और प्रवाह की आवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रवाह के साथ काम करते हैं और भूजल स्तर को बढ़ाकर, नहरों के आवंटन को कम करके अधिक पानी लाने का प्रयास करते हैं। यदि आप प्राकृतिक संरचनाओं के माध्यम से, पुनर्भरण योजनाओं के माध्यम से वृद्धि करते हैं, तो कृत्रिम संरचनाएं बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक संरचनाएं प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं। पूरे गंगा के मैदान में, कई झीलें, तालाब और वेटलैंड्स हैं, यदि आप उन संरचनाओं का जीर्णोद्धार और कायाकल्प करते हैं, तो वर्षा जल को संग्रहित करने की क्षमता पर्याप्त होगी। यह भूजल स्तर के सामान्यीकरण में योगदान देगा, उथले भूजल के स्तर में वृद्धि से नदी को लाभ होगा। आवंटन बोझ को कम करने के अलावा हम भूजल को बहाल करने का प्रयास करते हैं। यदि आप नहर के आवंटन पर 20% मांग कम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि नदी को अपने प्राकृतिक कार्यों को बनाए रखने और अपने न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पानी मिलेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि गंगा किसी अन्य नदी की तरह नहीं है, आप सिर्फ चैनल नहीं देखते हैं, आप पानी को समग्रता में देखते हैं, परिदृश्य से जुड़ा पानी, जलभृत से जुड़ा पानी, भूजल से जुड़ा हुआ पानी, वनस्पतियों से जुड़ा पानी देखते हैं। मैं गंगा का अर्थ ढूंढ रहा था। काफी शोध के बाद यह पता चला की गंगा शब्द 'गं' धातु से बना है। गंगा में दो बार 'गं' धातु का प्रयोग किया गया है - 'गंगं' और गं का अर्थ है बहना, गंगा का अर्थ है निर्बाध रूप से बहना क्योंकि 'गं' का दो बार प्रयोग किया गया है। एक नदी को अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपनी नदी के संपर्क को बनाए रखने के लिए और नदी के सभी कार्यों को बनाए रखने के लिए अबाधित, अविरल बहना पड़ता है। अतीत में कई योजनाएं विफल रही हैं, क्योंकि हम अभी भी नदी विज्ञान से परे काम कर रहे हैं। हमें बेसिन स्केल पर काम करना होगा। हमें एक छोटी नदी से शुरुआत करनी होगी। इसलिए जीर्णोद्धार का काम छोटी धारा से शुरू होना है और बड़ी धारा तक ले जाना है। यदि नदी प्रणालियों को समाज और पारिस्थितिकी की बदलती और अक्सर बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए संरक्षित किया जाना है, तो अभी और भविष्य में, यह जरूरी है कि ये मीठे पानी की प्रणालियां खराब न हों। ❐

* *प्रोफेसर वेंकटेश दत्ता स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरनमेंटल साइंस, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ में फैकल्टी मेंबर हैं।*

नदियों को बाजार की वस्तु बनाने की साजिश

डा. सीताराम टैगोर

भारतीय संस्कृति तो नदियों को पोषणकारी मां मानकर व्यवहार करती रही है। आज की शोषणकारी सभ्यता नदियों का इस्तेमाल उद्योगों के लिए मालगाड़ी की तरह करती है। नदियों को बाजार की बस्तु बनाने की साजिश दिखती है। इस साजिश को रोकना हमारे समय का सबसे जरूरी काम है। नदियों का अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण रोकने वाली नीतियां कभी नहीं बनीं। हमने नदी नीति तैयार की है। नदियों के लिए अगर कोई नीति हो, तो ऐसी होनी चाहिए।

भूमिका :

नदी सिर्फ बहते स्वच्छ जल की धारा नहीं है। यह एक परिपूर्ण जलतंत्र, भूआकृति, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव-विविधता संपन्न व्यवस्था होती है। यह न केवल स्वच्छ जल का प्रवाह बनाए रखने में एक अहम भूमिका अदा करती है, बल्कि वृष्टिपात (वर्षा या हिमपात के जरिए), हिम संपदा (जिसमें ग्लेशियर भी शामिल हैं), सतही पानी और भूमिगत जल-भंडारों के बीच एक आवश्यक संतुलन बनाने का काम भी करती है। इसके साथ ही नदी अपने आस-पास पड़ने वाले समाजों और पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक सुविधाएं भी प्रदान करती है। उक्त बात कुछ पेचीदा महसूस हो सकती है, लेकिन तथ्य यही है कि नदी एक बेहद जटिल और खूबसूरत प्राकृतिक व्यवस्था होती है, जो अपने रास्ते में न जाने कितने सारे कामों को अंजाम देती जाती है! ज्यादातर नदियों को कभी न कभी बांधों में बांधा गया है और वे बार-बार तबाह होती रही हैं। बहुत सारी नदियां इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि उनके पास आप खड़े भी नहीं हो सकते, उनमें नहाने और उनका पानी पीने की बात तो सोचना भी दूर है।

हमारे देश में नदियों के रख-रखाव और संचालन पर सरकार का ही एकाधिकार है। दुर्भाग्यवश यह व्यवस्था, उदासीन, गैर-पारदर्शी, गैर-सहभागी और लोगों के प्रति गैर-जवाबदेह रवैये की शिकार है। राज्य तंत्र का रवैया न केवल गैर-सहभागी और गैर-संवेदनशील रहा है, बल्कि वह अपनी गलतियों से सबक लेने को भी तैयार नहीं है। राज्य तंत्र ने नदियों या उनसे मिलने वाली सेवाओं को कभी कोई महत्व नहीं दिया। उसके लिए नदी सिर्फ एक संसाधन है, जिसका दोहन किया जा सकता है; उसके स्थायी अस्तित्व के बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण तंत्र को ज्यादा से ज्यादा अकुशल और भ्रष्ट ही कहा जा सकता है। भारत की एक भी नदी को प्रदूषण मुक्त करने का श्रेय उसके खाते में नहीं जाता। हिमाचल प्रदेश में जारी की गई एक अधिसूचना को छोड़ कर इस देश में एक भी कानून नहीं है, जो इस बात पर जोर देता हो कि नदियों में पूरे साल ताजे पानी का प्रवाह बनाए रखना अनिवार्य है। जब सरकार बांधों, जल विद्युत परियोजनाओं, खादर क्षेत्र में घुसपैठ या पानी के बहाव की दिशा मोड़े और सीवेज तथा गंदगी को नदियों के पानी में फेंकने की योजनाओं को मंजूरी देती है, तो वह इन नदियों से मिलने वाली असंख्य सेवाओं का खयाल नहीं करती। ये सारी ऐसी कार्रवाइयां हैं, जो अंततः नदियों को मौत की तरफ धकेल देती हैं।

नदी नीति का दृष्टिकोण

नदी हमारी धरती की नाड़ी है। इनके साथ कहीं भी कुछ भी बुरा काम होता है, तो इसका असर पूरी भूसांस्कृतिकता व प्रकृति को बिगाड़ता है। आज नदियों पर अतिक्रमण से बाढ़ और सुखाड़ बढ़ा है। प्रदूषण से बीमारी आई है। भूजल शोषण से पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। किसी भी शहर-गांव में अब नदी मूल स्वरूप में नहीं बची है। कहीं का भी गंदा और दूषित जल नदी को नाले में बदल देता है। नदी की भूमि में बनने वाले मकान, होटल, रिसोर्ट तथा सीमेंट-कंकरीट से निर्मित नालियों, नालों एवं नदी किनारों का बदलना भी नदियों को नाला ही बना रहा है। इससे नदी की आजादी नष्ट हुई है। नदियों के किनारे बसे शहरों की गंदगी से नदियों का मूल व पवित्र स्वरूप नष्ट हुआ है।

भारतीय संस्कृति तो नदियों को पोषणकारी मां मानकर व्यवहार करती रही है। आज की शोषणकारी सभ्यता नदियों का इस्तेमाल उद्योगों के लिए मालगाड़ी की तरह करती है। नदियों को बाजार की बस्तु बनाने की साजिश दिखती है। इस साजिश को रोकना हमारे समय का सबसे जरूरी काम है। नदियों का अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण रोकने वाली नीतियां कभी नहीं बनीं। हमने नदी नीति तैयार की है। नदियों के लिए अगर कोई नीति हो, तो ऐसी होनी चाहिए।

नदी की परिभाषा

हिम, भूजल स्रोत एवं वर्षा के जल को उदगम से संगम तक स्वयं प्रवाहित रखती हुई जो अविरलता, निर्मलता और स्वतंत्रता से बहती है तथा सदियों से सूरज, वायु और धरती का आजादी से स्पर्श करती हुई जीव-सृष्टि से परस्पर पूरक और पोषक नाता जोड़कर जो प्रवाहित है, वह नदी है।

लक्ष्य : भारत की नदियों का चरित्र बिगड़ गया है, उसे उनके मूल स्वरूप में लाकर नदी को उसकी परिभाषा के अनुरूप बनाना।

कारण : 1. नदियां राज, समाज और सृष्टि की साझी हैं। साझे हित में इनकी सुरक्षा, संरक्षा, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक आस्था की योजना बनाने वाली समाजोपयोगी मार्गदर्शिका बनाना ही इस नदी नीति निर्माण का उद्देश्य है।

2. नदियों को 'जल बाजार' से बचाने के लिए उन्हें बड़े बांध, अतिक्रमण, शोषण और प्रदूषण से मुक्त रखना आवश्यक है। 'जल बाजार' वाली ताकतें पहले हमारी नदियों को मैला करती हैं, और फिर उसे साफ करने के नाम पर पैसा लगाकर अतिक्रमण करती हैं। जल को दूषित करके बोतल का जल खरीदने पर मजबूर करती हैं। हमारा ही जल हमें बिक्री करके हमारे जल और धन की लूट करती हैं। जल, धन तथा स्वास्थ्य की लूट रोकने हेतु नदी नीति आवश्यक है।

3. नदी विवाद को का नीति के बिना समाधान नहीं है। विवादों के समाधान हेतु नदी नीति का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है।

4. स्वार्थी शक्तियां नदी नीति के विरूद्ध तनकर खड़ी हैं। उन्हें हटाकर पर्यावरण रक्षा एवं आस्था को कायम रखना है, तो भी नदी नीति का निर्माण अतिआवश्यक है। राज, समाज एवं संतों की अब पहली प्राथमिकता है, नदी पुनर्जीवित करने वाली नदी नीति बनाना। नदियों, उपनदियों, प्राकृतिक नालों का प्रबंधन स्थानीय समुदायों, जिला पंचायतों के स्तर पर किया जा सकता है। लेकिन नदियों को पुनर्जीवित करने का काम प्राथमिक तौर पर करना चाहिए।

5. पृथ्वी की गर्मी व मौसम के मिजाज के साथ मिट्टी की नमी का नदी के जल प्रवाह से गहरा रिश्ता है। जब यह बिगड़ता है, तब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव गहरा होता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहने हेतु नदी नीति का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

नदी नीति के सिद्धान्त

1. नदियों की भूमि का सीमांकन, 100 साला बाढ़ क्षेत्र के अनुसार गजटेड डिमार्केशन तथा नोटीफिकेशन किया जाय। नदी के प्रवाह क्षेत्र तथा बाढ़ क्षेत्र का उपयोग नहीं बदला जाय। उद्गम से लेकर समुद्र तक नदी को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाय। सीमांकन के सीमा चिन्हों का पूरे समुदाय को पता हो।

2. नदियों में किसी भी आबादी एवं उद्योग का प्रदूषित जल न डाला जाय। रिवर और सीवर को अलग रखने वाला सिद्धान्त अपनाया जाय।

3. नदी जल को दूषित करने वालों के खिलाफ सूचना के आधार पर फौजदारी अपराध और अर्थदण्ड का प्रावधान किया जाय।

4. नदियों की अविरलता-निर्मलता बनाए रखने के सभी उपाय किये जायं। बेसिन क्षेत्र का संरक्षण एवं नदी पुनर्जीवन को सुरक्षा प्रदान की जाय।

5. नदियों में 'पर्यावरणीय प्रवाह' सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय कानून बनाया जाय।

भारत की नदी नीति

1.1 नदी जल का उपयोग पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करके ही किसी दूसरे कार्यों में किया जायेगा। हमें विश्वास है कि समाज की आवश्यकता को पूरा करने के रास्ते में यह सिद्धान्त आड़े नहीं आएगा।

नदी नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता नदी की अविरलता-निर्मलता कायम रखना है। नदी जल के उपयोग की प्राथमिकता तय की जानी चाहिए।

1.2 पर्यावरणीय प्रवाह की प्राथमिकता में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। नदी जल व भूजल साझा सामाजिक संसाधन है। इसका नियोजन स्थानीय समुदाय के हाथ में हो। सामुदायिक नदी प्रबंधन पहले भी था, अब भी पुनः वहीं तंत्र खड़ा किया जाय।

सभी कौटुबिंक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अध्यात्मिक संस्थाओं के जरिये नदी संरक्षण और नदी पुनर्जीवन के मूल्यों को नागरिक जीवन में स्थापित करने के लिए शासन की ओर से नदी, उपनदी अथवा स्थानीय प्राकृतिक नालों पर सभी को हर हफ्ते 'स्वैच्छिक श्रम' से जोड़ा जाय।

नदी जल के प्राकृतिक प्रवाह में वृद्धि

1.3.1 नदी के सभी संभावित एवं उपलब्ध जल संसाधन, स्थाई एवं अस्थाई जल स्रोत, सतही जल, भू-जल आदि की एक वृहद सूची तैयार की जाय। इन संसाधनों के मॉडल तैयार करने की क्षमता का विकास किया जाय।

1.3.2 जन सहभागिता से स्थानीय, सब-बेसिन, बेसिन तथा भूमिगत जलधर से संबंधित जल संसाधन एवं पर्यावरण विकास की योजनाएं बनाई जाय। भारत सरकार इस नीति द्वारा यह सुनिश्चित करायें कि भूसांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जायेगा।

1.3.3 प्रस्तावित नई परियोजनाओं का पर्यावरण मूल्यांकन, समाज पर उनके प्रभाव, उनकी पर्याप्तता, जल संसाधनों के संरक्षण और निरन्तर घटते भूजल के आधार पर किया जाय।

1.3.4 पुराने तालाबों-बावड़ियों-कुओं का जीर्णोदार कराया जाय तथा इनके कब्जे हटवायें जायं।

1.3.5 स्थानीय सतही जल के संग्रहण के समुचित उपाय प्राथमिकता के आधार पर किये जायं।

1.3.6 पारम्परिक जल संग्रहण संरचनाओं के संरक्षण और नई स्थानीय सरंचनाओं एवं नई तकनीक वाली स्थानीय लघु जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाये। छत के वर्षा जल के संग्रहण, अन्य वर्षा जल का संग्रहण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग एवं चक्रण (रिसाइकिल) को प्रबल रूप से प्रोत्साहित किया जाये।

1.3.7 खेती हेतु जल के यथोचित उपयोग को प्रोत्साहित किया जाय।

1.3.8 सभी बेसिनों में उपचारित जल के पुनः उपयोग की तकनीकी एंव आर्थिक संभावनाओं का आंकलन किया जाये।

1.3.9 नदियों में गंदे नाले न मिलाये जायं। वर्षा जल व मल जल अलग-अलग रखा जाये। नदियों में पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित किया जाये। मल जल का उपचार करके खेती-बागवानी में उपयोग किया जाय।

1.3.10 कृषि हेतु भू-जल शोषण का इस प्रकार प्रबंधन किया जाये कि वह औसत दीर्घकालीन पुनर्भरण से ज्यादा न हो। भू-जल पुनर्भरण क्षमता का भी मूल्याकंन किया जाय, जिसमें जल-संकट वाले एवं अत्याधिक जल दोहन वाले क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाय।

1.3.11 लवणीय भू-जल को काम में लेने योग्य बनाने हेतु उपलब्ध तकनीकों की विभिन्न परिस्थितियों में लागत-प्रभावकारिता का आंकलन किया जाय। इन तकनीकों को प्रायोगिक परियोजनाओं की मदद से क्षेत्रीय परिस्थितियों में जांचने हेतु उन इलाकों में लागू किया जाये, जहां पीने के पानी की या तो कमी है या जहां कोई अन्य जल स्रोत उपलब्ध नहीं है।

1.3.12 भू-जल के बेहतर उपयोग हेतु फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित एवं और अधिक सुसाध्य बनाया जाय।

1.3.13 भारत भर में जल के अनुशासित उपयोग के संस्कार-दस्तूर-कानून-कायदे थे। उनमें समानता मूलक संशोधन के बाद उनका सम्मान किया जाये। जल पर सामुदायिक हक कायम करने वाली भारत की राष्ट्रीय जल नीति बने।

1.4 परियोजनाओं की संरचना एवं क्रियान्वयन

1.4.1 आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण एवं वित्तीय आधारों पर नदी प्रवाह बढ़ाने की परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित की जाये।

1.4.2 यथा सम्भव परियोजना में सतही एवं भू-जल का एकीकृत उपयोग किया जाय।

1.4.3 जल क्षेत्र से संबंधित विभागों की तकनीकी सहायता से हितभागियों द्वारा भविष्य में जल मांग के मात्रात्मक अनुमान तैयार किए जांय।

1.4.4 आयोजन, निर्माण और परियोजना संचालन काल में जल परियोजनाओं के प्रभावों

(सामाजिक एवं पर्यावरण पर प्रभावों सहित) की परियोजना से जुड़े प्राधिकारों द्वारा समीक्षा की जाये।

1.4.5 परियोजना की शुरूआत वृहद जांच और विस्तृत परिकल्पना पर निर्भर करे, जिसमें सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी आयाम अहम होंगे।

2. एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन

2.1 जल उपभोक्ताओं का संगठन एवं भागीदारी सुनिश्चित हो।

2.1.1 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को पूरे राष्ट्र में सामुदायिक समग्र जल प्रबंधन के लिए लागू किया जाय।

2.1.2 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जल उपभोक्ता समूहों को जल विषयों में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की जाय।

2.1.3 बड़े एवं लघु जल उपयोगकर्ताओं द्वारा इन जल उपभोक्ता संगठनों के सदस्यों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से उचित प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाय।

2.1.4 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को प्रभावित किये बगैर राज्य सरकार एवं जल उपभोक्ता संगठनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु सहयोग स्थापित किया जाय।

2.1.5 जल संरक्षण हेतु सम्पूर्ण सामुदायिक चेतना जगाने के लिए संगठनों को उत्तरदायित्व सौंपा जाय और उनके माध्यम से अभियान चलाए जाय, जिसका प्रमुख लक्ष्य यह होगा कि भूजल का उपयोग वार्षिक उपयोग सीमा के अन्दर होगा।

2.1.6 अरवरी नदी जल संसद के अनुभवों के आधार पर अन्य नदी जल संसदों को बेहतर जल उपयोग के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जिम्मेदारी दी जायेगी। जल संसदों के निम्न दायित्व भी होंगे, परन्तु यह इन तक ही सीमित नहीं होंगे -

नदी जल विषयों पर सामुदायिक शिक्षा। कम जल में खेती करें। नदी जीवन कायम रखें। नदी का पर्यावरणीय प्रवाह कायम रखने के बाद ही आगे विचार किया जायं। ज्यादा बेहतर एवं समान आधार पर जल वितरण/सामान्य जल संसाधन प्रबंधन/आधारभूत ढांचे का संचालन एवं रख-रखाव/जल उपभोग के पूर्ण शुल्क की वसूली के चरणबद्ध प्रयास/आंकडे संग्रहण में सहयोग/हाइड्रोलॉजिक आंकड़ों का उचित प्रयोग/जल गुणवत्ता एवं जनस्वास्थ्य की समुचित रक्षा।

2.1.7 जल क्षेत्र के विभागों द्वारा जल संबंधित तकनीकी आंकड़े, निर्देशिका, सूचना आदि जल संसदों को प्रदान की जाये। कुशल डेटा वितरण, डेटा संग्रहण की निरन्तरता और आंकड़ों की गुणवत्ता पर नियंत्रण निरंतर रखा जाये। जल आंकड़े आसान और पारदर्शी समाजोपयोगी बनें।

2.2 नदी जल संसद के लिए संसाधन

2.2.1 प्रभावी जल संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन, जल गुणवत्ता संरक्षण आदि के लिए नदी जल संसदों को प्रशिक्षण हेतु तकनीकी, लाजिस्टिक एवं सामग्री रूपी सहायता प्रदान की जाये।

2.2.2 जल परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के कार्यों में उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाये, जहां किसान, नदी जल संसदों से जुड़ने की इच्छा रखते हों।

2.2.3 छोटे सामुदायिक स्तर पर नदी जल संसदों में जल संसाधनों के प्रबंधन, संचालन, रख-रखाव एवं जल संरचना की शुल्क वसूली हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम को लागू किया जाय।

2.2.4 जल संरचनाओं का प्रबंधन एवं उत्तरदायित्व निभाने हेतु जल उपभोक्ता समूहों को दिशा-निर्देश एवं आवश्यक सहायता प्रदान की जाये। भूमिहीन भी जल मालिक है, यह विश्वास पैदा करने वाले सामुदायिक जल संसाधन समुदायों को मान्यता दी जाय।

2.3 सामुदायिक स्तर पर तकनीकी प्रोत्साहन एवं सहायता

2.3.1 जल संसाधन आयोजना विभाग, जल संबंधित जानकारियों के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करे एवं जल संसदों को क्रियाशील बनाने में योगदान दे।

2.3.2 जन जागरूकता हेतु एक अभियान चलाया जाय, जिसमें समुदायों को उनके विधिक सामर्थ्य, अधिकार, उत्तरदायित्वों एवं जल संसाधन प्रबंधन के सामान्य संसाधनों की जानकारी दी जाय।

2.3.3 सामुदायिक जल प्रबंधन के लिए बहु-विषयक तकनीकी सहायता को उच्च प्राथमिकता दी जाय। इसके साथ आवश्यक योजना जैसे जल संसाधन मॉडलिंग एवं नदी बेसिन/सब-बेसिन/जलघर प्रबंधन की निर्देशिका उपलब्ध करवाई जाय।

3. सिंचाई पद्धति

3.1.1 सतही जलापूर्ति का प्रथम उद्देश्य उपलब्ध जल से ज्यादा से ज्यादा जमीन की सिंचाई करना होगा, भू-जल स्तर को दीर्घ कालीन नुकसान पहुंचाए बिना, भू-जल से सिंचाई का मूल उद्देश्य उपलब्ध जल से ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र की सिंचाई करना होगा। वर्तमान में भूजल शोषण को व्यैक्तिक अधिकार समझे जाने वाले अनियंत्रित तरीकों को हतोत्साहित किया जाय। इसके स्थान पर भूजल सामुदायिक दायित्व से दीर्घकालीन सामूहिक जल संसाधन बनाये रखा जाय, ताकि भूमिगत जलघर अधिक समय तक सामुदायिक संसाधन बने रहें।

3.1.2 न्यायसंगत और प्रभावी सिंचाई व्यवस्था लागू की जाय।

4. जल संसाधन आधारभूत ढांचा

4.1.1 आंकड़ा संकलन की विश्वसनीयता, निरन्तरता, अभिलेखों का रख-रखाव एवं अन्य संबंधित तथ्यों के आधार पर राज्य में जल सर्वेक्षण से संबंधित माध्यमों एवं आंकडों के संग्रहण की समीक्षा की जाय।

4.1.2 भू-जल की स्थिति के अध्ययन हेतु बोरहोल्स एवं भूजल स्तर मापक यंत्रों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार सुधार किया जाये। मॉनीटरिंग की समीक्षा की जाय, जिससे बोरहोल्स के तंत्र एवं नक्शों में सुधार होगा।

4.1.3 सतही एवं भूजल संबंधित आंकड़ों को यथाशीघ्र जल उपभोक्ता समूहों तथा जिला एवं ब्लाक स्तर के मध्यवर्ती स्तरों तक पहुंचाने हेतु एक आधार संहिता का विकास किया जाय।

4.2 सूचना प्रबंधन तंत्र

4.2.1 एक अन्तर विभागीय सूचना प्रबंधन तंत्र का विकास किया जाये। जल संबंधित सूचनाओं को जल उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुसार संकलन, परिष्करण एवं उपलब्ध कराने का काम किया जाय।

4.2.2 सुरक्षित सूचना प्रबंधन तंत्र को राज्य जल संसाधन योजना विभाग में स्थापित किया जाये। राज्य जल संसाधन योजना विभाग, डेटा की जांच एवं एन्ट्री, संकलन, बैकअप, डेटाबेस संचालन में पारदर्शिता बरते।

4.2.3 इस डेटाबेस में हाइड्रो-मैटीरियोलोजिक, जल विज्ञान, भूजल गुणवत्ता आदि से संबंधित सूचनाओं के अतिरिक्त जल संसाधन से संबंधित जल उपभोक्ता समूहों, जनसंख्या एवं सामाजिक आंकड़ों के अभिलेख भी शामिल किए जाय।

4.2.4 आंकड़ों के संकलन की निरंतरता

सुनिश्चित की जायं और सभी पुराने अभिलेख डेटाबेस में शामिल किए जायं।

4.2.5 भूजल, बाढ़ क्षेत्र, पर्यावरण जोन आदि के मानत्रित तैयार किय जायं।

4.2.6 आमजन के लिए सुलभ एक संदर्भ जल पुस्तकालय बनाया जाय, जिसमें पूर्वकालिक एवं अब तक की जल क्षेत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स संकलित होंगी। इन सभी स्रोतों की कम्प्यूटरीकृत सूची सार्वजनिक या निजी सुलभता के लिए तैयार की जाय।

4.2.7 पानी के वाष्पीकरण को मापने एवं जल संचयन संरचनाओं में इसे कम करने की संभावित पद्धतियों के लिए अनुसंधान किया जाय। यथासंभव इन पद्धतियों के मूल्याकंन अध्ययन किए जाय।

4.3 संरचनाओं की क्षमता एवं सुरक्षा

4.3.1 बांध सुरक्षा कमेटी को प्रभावी एवं उचित आकार का बनाया जाय। यह कमेटी निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कमेटी को निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन एवं विनियम के अधिकार हों।

4.3.2 दैनिक आवक, उत्प्रवाह, वर्षा अभिलेख, संचयन स्तर एवं अन्य प्रचलनीय दस्तावेज सभी प्रमुख बांधों पर रखे जाय। वाष्पीकरण का भी सभी बडें बांधों पर प्रेक्षण किया जाय।

4.3.3 जो समुदाय प्रमुख बांधों की तलहटी में बसे हैं, उन्हें बाढ़/बांध टूटने की चेतावनी एवं आपातकालीन निष्क्रमण तरीकों की जानकारी देनी होगी। आपातकालीन बंदोबस्तों को जिला प्रशासन द्वारा उचित समय-बाध्यता एवं विभागों की प्रतिक्रिया के लिए दो वर्ष में एक बार जांचा परखा जाय। इन आपात स्थितियों के लिए सामाजिक तैयारी का भी आंकलन किया जाए और इनमें सुधार भी किया जाये।

4.4 जल निकास एवं लवण

4.4.1 शुरुआती एवं वर्तमान लवणीय क्षेत्रों तथा बहुत कम जल निकास क्षमता वाले क्षेत्रों के मानचित्र तैयार किए जाएं। समुद्री जल को उपयोगी जल बनाने की सरल-सहज तकनीक खोजी जाय।

4.5 शहरी जल आपूर्ति एवं दूषित जल निकास

4.5.1 सभी शहरों के लिए मूलभूत जल एवं स्वच्छता सेवाओं की योजना बनाकर क्रियान्वित की जाय। प्रभावी जल दरें अपनाई जायं, जो संचालन एवं रख-रखाव की लागत को समाहित करेंगी। इससे जल उपयोग पर भी नियंत्रण किया जायेगा।

4.5.2 ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जायेंगे, जिनसे शहरी क्षेत्र में दूषित जल के निकास एवं प्रशोधन हेतु सीवरेज प्रशोधन संयंत्र (एसटीपी) के निर्माण की आवश्यकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जन-मानस में जागरूकता पैदा हो। जल शोधन मापक अभी तक विदेशी बीओडी और सीओडी पर ही आधारित है। हमें जल शोधन के भारतीय मापक बनाने की पहल इस जल नीति द्वारा करानी होगी। भारतीय जलशोधन विधि अपनाने पर बल दिया जाय। जल शोधन में भारतीय ज्ञान तंत्र का उपयोग करने पर बल दिया जाये।

5.1 सामान्य जल संरक्षण

5.1.1 जल बचत तकनीकों के व्यावहारिक प्रयोग एवं जागरूकता को बढ़ाया जाय। जल उपभोग को और बेहतर बनाने के लिए मल्टी मीडिया से जागरूकता, स्कूली शिक्षा एवं तकनीकी सहायता द्वारा सभी वर्गों को एक निरंतर कार्यक्रम द्वारा प्रेरित किया जाये। जल संरक्षण के सामुदायिक तरीके सिखाये जाय। परम्परागत जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाय।

5.1.2 हर तरह के अपशिष्ट प्राथमिक एवं द्वितीय प्रशोधित सीवेज जल, घरेलू उपयोग में लिया हुआ जल एवं पुनःचक्रित औद्योगिक जल आदि के उपयोग हेतु उचित प्रणाली का विकास किया जाय।

5.2 शहरी जल संरक्षण

5.2.1 जल रिसाव एवं जल वितरण में अनधिकृत जल शोषण को रोकने के लिए एक आवर्ती प्रोग्राम हाथ में लिया जायेगा। जल वितरण से संबंधित सभी प्राधिकारों को बेहिसाब जल को 20 प्रतिशत से भी कम करना होगा।

5.2.2 जल हानि को रोकने हेतु कार्यक्रम चलाया जाये। जल संरक्षकों को सम्मान तथा जल-शोषण करने वालों को दंड का प्रावधान हो।

5.3 नगरपालिका एवं औद्योगिक जल संरक्षण

5.3.1 सीवेज निकास के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए एवं उचित प्रशोधन के पश्चात इसे नगरपालिका उपयोगों जैसे औद्योगिक शीतल यंत्रों में, जंगलों, बागवानी, लाभदायक सतही उपयोग एवं भूजल पुनर्भरण हेतु उपयोग में लिया जायेगा। अधिक जल उपयोग करने वाले उद्योगों को जहां तक हो सके, जल को पुनःचक्रित कर उपयोग में लाने हेतु बाध्य किया जायेगा।

5.3.2 खनन विभाग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि जिस भूजल का खनन के दौरान दोहन किया गया है, वह रासायनिक प्रदूषण को दूर करने के पश्चात किसी लाभदायक कार्य के लिए उपयोग किया जाय।

5.3.3 सभी बड़े एवं छोटे उद्योगों के जल मापन हेतु एक आवर्ती कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सभी बड़े एवं लघु उद्यागों के औद्योगिक जल उपयोग का एक रजिस्टर भी तैयार किया जाएगा। इस जल अंकेक्षण में मात्रात्मक जल उपभोग, जल पुनःचक्रण एवं संरक्षण की क्षमता एवं संभावित प्रदूषण की मात्रा की जानकारी होगी।

5.4 ग्रामीण एवं कृषि जल संरक्षण

5.4.1 सिंचाई दक्षता में सुधार हेतु कार्यक्रम विकसित एवं क्रियान्वित किया जाएगा।

5.4.2 सिंचाई में जल हानि को कम करने के लिए आवर्ती प्रोग्राम चलाया जायेगा।

5.4.3 खेतों को पानी से भर कर सिंचाई के विकल्प के स्थान पर दाब सिंचाई तंत्र, जैसे बूंद-बूंद एवं फौव्वारा सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

5.4.4 सिंचाई के पश्चात बचे जल के पुनः प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

5.4.5 जलोत्थान द्वारा सिंचाई करने पर मीटर लगाना आवश्यक किया जायेगा।

5.4.6 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन को हर एक बेसिन पर लागू किया जायेगा।

5.5 भू-जल

5.5.1 भूजल दोहन नियंत्रण हेतु नए कुओं/बोरहोल्स की गहराई बढ़ाने की इजाजत तभी दी जाये, जब उपभोक्ता समूहों द्वारा भूजल प्रबंधन के दूरगामी एवं प्रभावी उपाय लागू किए गए हों।

5.5.2 सभी खुदाई यंत्रों को जल स्तर की दीर्घकालीन स्थिरता को देखते हुए ही लाइसेंस दिये जायं। सम्भव हो तो जल शोषण करने वाले यंत्रों पर रोक लगायी जाय। जहां जल अधिक हो, वहां लाइसेंस दिया जाय।

5.5.3 सभी खुदाई यंत्रों के माध्यम से भूजल से संबंधित तथ्य एकत्रित करके जल क्षेत्र के आंकड़ा आधार में जोड़े जायं। जल स्तर में कमी का भी विश्लेषण किया जाय एवं एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाय।

5.5.4 चयनित क्षेत्रों में एकीकृत जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण को लम्बे समय तक टिकाऊ बनाने हेतु प्राथमिकता दी जाय।

6.1 जल गुणवत्ता एवं प्रदूषण

6.1.1 विभाग की विश्लेषण क्षमता एवं उसके जल मानकों के अनुरूप होने की समीक्षा की जाय। सामुदायिक मॉनीटरिंग हेतु समाज को तैयार किया जाय। समुदायों को जल मॉनीटरिंग व नदी मॉनीटरिंग करना सिखाया जाय।

6.1.2 जिला स्तर पर जल की मूल गुणवत्ता, जन स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जाय। जिला स्तर पर एक आवर्ती प्रोग्राम विकसित किया जाये, जो जिला स्तर पर जल विश्लेषण की क्षमता में सुधार करे। सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से जल के नमूनों और विश्लेषण की प्रभावी लागत की समीक्षा की जाये। जल और मानव सेहत का संबंध समझाया जाये।

6.1.3 जन स्वास्थ्य पर खतरों को देखते हुए प्राथमिकता पर बेहतर घरेलू जल गुणवत्ता हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम चलाया जाय।

6.1.4 स्थानीय पेयजल में फ्लोराइड अधिकता वाले क्षेत्रों की प्रगति समीक्षा की जाये और जरूरत पड़ने पर उपचारात्मक उपाय भी किए जायें। इस कार्य में समुदाय की समझ बढ़ायें। समुदाय की समझ का उपयोग किया जाये।

6.1.5 सभी प्रदूषण स्रोत बिन्दुओं की एक आवर्ती सूची बनाई जाये।

6.1.6 उद्योग निष्कासित जल को प्राकृतिक जल स्रोतों में छोडा ही नहीं जाए और न तो भूजल पुनर्भरण के उपयोग में ही लिया जाए। समस्त स्रोतों का भारतीय मानकों के अनुसार उपचार किया जाय। उपचार के बाद खेती-बागवानी और उद्योगों में ही काम किया जाय। उद्योगों एवं नगरों का शोधित जल किसी कीमत पर प्राकृतिक जलस्रोतों में न मिलाये जायें।

6.1.7 नए, पुराने प्रदूषणकारी उद्योग एवं पुनरस्थापित हो चुके उद्योगों को चिन्हित किया जाये। किसी भी गंदे एंव संक्रमित जल को भूजल या सतही नालियों में छोडने पर रोक लगायी जाय।

6.1.8 जल प्रदूषण फैलाने की आशंका वाले औद्योगिक ठोस पदार्थों का निपटारा विशेष सुविधाओं द्वारा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के आधार पर किया जाये। बहुत से प्रदूषित उद्योग ऐसा दूषित जल छोड़ते हैं, जिसका उपचार संभव नहीं है। ऐसे दूषित उद्योगों को सदैव हेतु बंद कर दिया जाये।

6.2 गंदा पानी

6.2.1 बिना प्रशोधित सीवेज के गंदे जल को प्राकृतिक जल स्रोतों में नहीं छोड़ा जायेगा और न ही भूजल पुनर्भरण के उपयोग में लिया जायेगा। वर्षा जल व गंदा जल अलग-अलग ही रखने की बाध्यता हो।

6.2.2 समस्त शहरी एवं उच्च प्राथमिकता वाले ग्रामीण इलाकों में सीवेज प्रशोधन संयंत्र एसटीपी के आकल्पन एवं निर्माण का एक प्रोग्राम लागू किया जाये। प्रशोधित व निष्कासित जल के निपटारे में पूर्णकालिक स्वास्थ्य मानकों का पालन किया जाये। अपशिष्ट जल का प्रशोधन करके लाभकारी उपयोग आवश्यकता के अनुसार तय किया जाये।

7. पर्यावरण प्रबंधन

7.1.1 सीमांत एवं पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में मौसम की प्रवृत्तियों और उनके दीर्घाकालीन प्रभावों का अध्ययन किया जाये। इस अध्ययन को एकीकृत जल प्रबंधन योजनाओं की प्लानिंग के लिए काम में लिया जाये।

7.1.2 बृहद एंव मध्यम जल संसाधन परियोजनाओं से पर्यावरण पर प्रभाव का स्वतंत्र अध्ययन किया जाये। उच्च प्राथमिकता पर अधिक अनुवांशिक विविधता वाले पर्यावरण तंत्रों की एक सूची तैयार करके उसमें मानव प्रभावों को आंका जाये।

7.1.3 झीलों एवं आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाये, जिससे पर्यावरण प्राकृतिक अनुवांशिक निरन्तरता को बनाए रखने का प्रयास किया जाये। नयी आर्द्र भूमि के निर्माण पर भी विचार किया जाये।

7.1.4 बृहद एवं मध्यम जलाशय परियोजनाओं के उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को योजना स्तर पर पहली प्राथमिकता दी जाये।

7.1.5 नदियों का पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित कराने हेतु भारत की सभी नदियों का पर्यावरणीय प्रवाह सिद्धांत बनाया जाये। इनका पालन कराने वाली अच्छी व्यवस्था बने। नदियां नाले में न बदलें।

7.2 सूखा प्रबंधन

7.2.1 जल संसाधन प्रबंधन में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की मांग को प्राथमिकता दी जाये। सामुदायिक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन की मदद से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सूखे के प्रति बहुआयामी तरीकों को प्रोत्साहित किया जाये।

7.2.2 नई जल संसाधन विकास योजनाओं के लिए संभाव्यता संबंधी अध्ययन किए जायं एवं सूखा प्रभावित क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी जाये।

7.2.3 वर्षा जल सहेजकर अनुशासित उपयोग करके नदी को पुनर्जीवित किया जाये। जैसे तरुण भारत संघ ने सूखा प्रभावित क्षेत्र में नदी पुनर्जीवित की है।

7.3 बाढ़ नियंत्रण एवं जल संग्रहण

7.3.1 अधिक बहाव वाली नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान हेतु क्रियाशील तंत्र स्थापित किया जाये।

7.3.2 बाढ़ से खतरों के अनुमान हेतु संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाये। हर बाढ़ संभावित बेसिन/क्षेत्र के लिए आपातकालीन बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन योजना तैयार की जाये।

7.3.3 बाढ़ से बचाव हेतु पहाड़ों में घने जंगल रूपी नैसर्गिक बंधों में पानी रोककर निकाला जाये। पानी को मैदान में इकट्ठा होने से पहले भूजल भंडारों तथा अधोभूजल भंडारों को भरने से बाढ़ कम होती है। जल का समान वितरण होता है। समान जल वितरण से बाढ़ नियंत्रित रहती है।

8. जल शुल्क

8.1.1 जल की दरें इस प्रकार निर्धारित की जायं, जिससे जल की कमी का एहसास हो तथा उपभोक्ता को जल के उपयोग में सावधानी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जल शुल्क, पूर्ण संचालन तक खर्चो की वसूली आदि को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जाये। इसके अनुरूप ही संचालन की दक्षता और रख-रखाव की क्षमता का विकास किया जाये।

8.1.2 गैर कृषि जल वितरण के लिए तीन या चार स्तरीय जल शुल्क हो, जिसमें सर्वाधिक जल प्रयोग के लिए सबसे ज्यादा शुल्क वसूला जाये। इस स्तरीय जल शुल्क को इस तरह निर्धारित किया जाये कि निम्न एवं अधिकतम जल दरों में परिमाण का भेद हो। जल शुल्क के पहले स्तर पर जल सस्ता होगा और सभी जल उपभोक्ताओं के लिए समान होगा।

8.1.3 औद्योगिक, व्यावसायिक एवं नगरपालिकाओं के जल उपयोग पर विभिन्न स्तरीय जल दरें लागू की जा सकती हैं। सभी मामलों में जल दर द्वारा अनावश्यक जल उपयोग को हतोत्साहित किया जाये।

8.1.4 वर्तमान अनुदानित कृषि जल और राज्य द्वारा अनुदानित सिंचाई के स्थान पर पूर्ण संचालन एवं रख-रखाव, शुल्क वसूली और उपभोक्ताओं द्वारा नए आधारभूत ढांचे के निर्माण में उत्तरोत्तर बदलाव होंवे।

8.1.5 जल प्रबंधन कार्य हेतु जल उपभोग मापन कार्यक्रम को सभी महत्वपूर्ण जल स्रोतों अथवा जल स्वामित्व वाले उपभोक्ताओं पर लागू किया जाये।

9. विधिक आधार

9.1.1 जल क्षेत्र कानून की आलोचनात्मक समीक्षा की जाये। अप्रचलित कानूनों को हटाया जाये या अधिक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन एवं प्रभावी सरकारी क्रियाओं के लिए जरूरी विधि के रूप में संशोधित किया जाये। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले एवं अधिकार, उत्तरदायित्व, शक्तियां, संसाधन एवं जल क्षेत्र के सभी हितभागियों के कार्य संचालन को दृढ़ता से लागू करने वाले विधान लाए जायें।

9.1.2 स्थानीय जल उपभोक्ताओं के अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का कानून में निर्धारण किया जायेगा, जिससे वे अपने जल संसाधनों का खुद प्रबंधन कर सकें। इन विधायी प्रावधानों में किसानों, गरीबों एवं महिलाओं के जल उपभोक्ता समूहों में प्रतिनिधित्व एवं मुख्य भूमिका का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

9.1.3 अति-शोधित एवं क्षीर्ण भूजल वाले क्षेत्रों में भूजल दोहन के नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु कानून पारित किए जायेंगे।

9.1.4 एक समयावधि के बाद भी एवं इन उपायों के बावजूद यदि अत्यधिक भूजल दोहन होता रहे, तो ऐसी परिस्थिति में स्थानीय भूजल स्वामित्व को वापस लेकर विधान बनाए जायेंगे एवं भूजल दोहन दर को रोका जाएगा। भूजल उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधिक आज्ञा स्पष्ट हो।

9.1.5 जल क्षेत्र में विवादों को हल करने हेतु विधिक संरचना का विकास किया जायेगा। यह प्रक्रिया समुदाय के स्तर पर समाधानों से शुरू होगी एवं सरकार में उच्च स्तर पर अपील की जा सकेगी।

9.1.6 ऐसे विधान बनाए जायेंगे, जिससे अधिक मात्रा में सीधे या स्थानीय भूजल उपभोग करने वालों को जल संरक्षण के क्षतिपूरक उपाय लागू करने के लिए बाध्य किया जा सके। जल संरक्षण के इन उपायों की व्यापकता पूरे जल उपयोग को ध्यान में रखकर बनाई जायेगी। जल संरक्षण में सहायक दिशा निर्देश तैयार किए जायेंगे। जल संरक्षण संबंधी मुख्य आवश्यकताओं की लगातार एवं अनुचित अनदेखी होने पर भूजल उपलब्धता को बंद करने के लिए कानूनी आधार बनाया जाएगा या फिर वितरित जल पर उच्च दरें लागू की जायेंगी।

9.1.7 मौजूदा नदी जल इकाइयों को अतिक्रमण एवं प्रदूषण से बचाने के लिए जल का कानूनी आधार बनाया जाएगा। बहुत अधिक प्रदूषण की दशा में स्थानीय जल उपभोक्ता समूहों को यह जिम्मेदारी दी जायेगी कि वे संबंधित विभाग से तकनीकी एंव अन्य सामग्री सहायता द्वारा प्रदूषण को खत्म करने का उपाय करें।

9.1.8 सभी स्तरों पर मात्रात्मक जल संसाधन प्रबंधन को सुचारु करने के लिए जल उपभोक्ता समूह से लेकर जल संसाधन विभाग तक कुओं एवं बोरहोल्स की मीटरिंग, कूपों, जल-टैंकरों द्वारा वितरण, सिंचाई जल का वितरण एवं प्रमुख खंडों में नदी बहाव के जल मापन अथवा मीटरिंग के लिए एक आवर्ती कार्यक्रम शुरू किये जायं। इसके लिए विधिसम्मत आदेश पत्र तैयार किया जाये, जो सम्पूर्ण जल का मापन सुनिश्चित करे।

9.1.9 भूजल और जमीन का मालिकाना हक अलग-अलग किये जायें। जमीन का मालिक भूजल का मालिक नहीं हो सकता। जल पर सबको जीने हेतु समान हक दिया जाये।

10. क्षमता विकास

10.1.1 सामुदायिक, मध्यस्तर राज्य सरकार, भारत सरकार स्तर पर सांस्थानिक क्षमता का विकास किया जाये। इस क्षमता विकास में सभी स्तरों पर राष्ट्र और राज्य आधारित प्रचलित अभियांत्रिकी से जल संचालन प्रबंधन के स्थान पर पूर्ण सामुदायिक सहभागिता संबंधी दृष्टिकोण अपनाया जाय।

10.1.2 सामुदायिक क्षमता विकास में संरचनात्मक अधिकार एवं उत्तरदायित्वों आदि में जल उपभोक्ता समूहों एवं जल क्षेत्र के अन्य समुदाय आधारित हितभागियों का प्रशिक्षण शामिल होगा।

10.1.3 शासन स्तर पर क्षमता विकास की दिशा इस प्रकार होगी। (अ) अपने कौशल को और अधिक बढ़ाना (ब) बेहतर तकनीकी सहायता (स) डाटा प्रोसेसिंग, बेसिन जल संसाधन प्रबंधन हेतु योजना पर अधिक बल (द) कार्य की स्वायत्ता (ए) प्रतिक्रियात्मक प्रशासन के स्थान पर अग्रसक्रिय होकर प्रश्नात्मक परीक्षण एवं जल संसाधन समीक्षा का दृष्टिकोण विकसित करें।

10.1.4 योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन करने वाली पारम्परिक भूमिका को छोड़कर नदी जल उपभोक्ता समूहों एवं जल क्षेत्र के अन्य समुदाय आधारित उपभोक्ताओं को समय रहते दक्ष तकनीकी एवं भौतिक सहायता प्रदान करना प्रमुख कार्य होगा। सरकारी एजेन्सियों एवं जल उपभोक्ता समूहों के बीच विशेषकर तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान हेतु बेहतर संचार के लिए प्रभावी साधन विकसित किए जायें।

10.1.5 कुछ सिद्धांत जैसे सामुदायिक जल प्रबंधन की जरूरत, नदी जल संरक्षण, जल प्रबंधन, अनुकूलतम जल उपभोग आदि को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाये।

10.1.6 नदी जल की कमी के बारे में जागरूकता के पश्चात सामुदायिक जल प्रबंधन की व्यावहारिकता, बेहतर जल उपभोग में दक्षता, बेहतर जल संरक्षण के उपाय, जल संबंधित जन स्वास्थ्य एवं बेहतर जल निकास स्वच्छता आदि में जन प्रशिक्षण शुरू किया जाये।

10.1.7 राष्ट्र एवं राज्य सभी नदी और जल क्षेत्र की विधाओं में प्रशिक्षण को प्रोत्साहित एवं समर्थन दें, जिसमें एकीकृत जल विकास, जल वितरण, सामाजिक ढांचा, जन स्वास्थ्य, रासायनिक एवं माइक्रोबायोलॉजिकल जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, सूखा क्षेत्र एवं खारे जल से कृषि को बढ़ावा दिया जाता है।

10.1.8 जल उपभोग एवं जल गुणवत्ता आंकड़ा संग्रहण की विभिन्न राजकीय विभागों की क्षमता की समीक्षा की जायेगी। पूर्व में एकत्रित आंकड़ों की सटीकता, पूणर्ता, विश्वसनीयता एवं व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित गलतियों की जांच की जायेगी एवं जहां तक हो सकेगा, इन कमियों को दूर एवं सीमित करने हेतु क्रमसंगत पद्धितयां लागू की जायेंगी।

10.1.9 मानवीय एवं पंजीकृत आंकड़ा संकलन, भौगोलिक सूचना तंत्र डेटाबेस, वेबसाइट, भौगोलिक सूचना तंत्र उपयोजन, कम्प्यूटर मॉडलिंग (भूजल, सतही जल एवं बेसिन हाइड्रोलॉजी), भूजल पुनर्भरण, जल संसाधनों के आंकलन एवं परिवर्तन तथा बेहतर सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के क्षेत्र में तकनीकी क्षमता विकास किया जाये।

10.2 अनुसंधान

10.2.1 भारत के नदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण विषयों पर केन्द्रित जल संसाधन अनुसंधान को शैक्षणिक एवं अन्य सरकारी संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाये एवं इन दोनों इकाइयों में सहभागिता की भावना का विकास किया जाये। अनुसंधान में आंतरिक एवं वाह्य, विशेषतः अन्तर्राज्जीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ संस्थानों से सहयोग की संभावनाओं की खोज की जाये। ❐

* *लेखक राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उत्तर प्रदेश, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। E-mail : srtganga@gmail.com*

ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की दखलंदाजी बंद हो

जसवा के तत्वावधान में जमशेदपुर में 'उलगुलान एवं पंचायत' विषयक संगोष्ठी

उलगुलान दिवस पर 9 जनवरी को जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी के तत्वावधान में जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित भोजपुरी साहित्य परिषद के सभागार में "उलगुलान एवं पंचायत" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया. संगोष्ठी में उपस्थित साथियों ने झारखण्ड में बिरसा मुंडा के उलगुलान से लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंचायत की सार्थकता एवं महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला.

मंथन ने कहा कि गांवों में पारंपरिक व्यवस्था में कोई सामंजस्य नहीं है. इसमें केवल जातीय व्यवस्था निहित है. ग्राम सभा भी यदि जनतांत्रिक तरीके से बने तभी ठीक है, राज्य में ग्राम सभा में वंशवाद हावी है, जिससे गांवों का हित कदापि नहीं होगा. पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को सामान अधिकार दिए जाने की बात है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है. पंचायत राज में वार्ड सदस्य की न तो कोई प्रासंगिकता है, न ही कोई सार्थकता, अतः इसका चुनाव ही नहीं होना चाहिए. हमें रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर कुछ गलत परम्पराओं को समाप्त कर कुछ अच्छी चीज़ों को आगे लाना होगा. ग्राम प्रधान का चुनाव भी लोकतांत्रिक पद्धति से करना होगा.

अरविन्द अंजुम ने कहा कि एक सवाल पंचायती व्यवस्था में जन सहभागिता का तथा दूसरा सवाल पारंपरिक व्यवस्था का है. सारे पारंपरिक व्यवस्था वाले लोग पंचायत चुनाव का विरोध करते हैं. पारंपरिक रूप से वंश के नेतृत्व का सिद्धांत रहा है. जबकि आधुनिक सिद्धांत योग्यता के नेतृत्व का है. आलोचना की दिशा रास्ता निकालने की होनी चाहिए.

रुस्तम ने कहा कि लोकतंत्र दुनिया की सुन्दर व्यवस्था है. तंत्र को लागू करने की प्रक्रिया में जो खामियां है, उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश होनी चाहिए, न कि सिर्फ आलोचना. विकास को जितना विकेन्द्रित करें, उतना अच्छा है. उन्होंने पंचायत चुनाव की हिमायत करते हुए कहा कि जागरूकता एवं तत्परता से ग्राम सभा में रचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं. वैकल्पिक मार्ग तलाश कर उस पर आगे बढ़ने का प्रयास होना चाहिए.

जगत ने कहा कि पारंपरिक स्वशासन में कुछ कमियां भी हैं. जब ग्राम प्रधान को वज़ीफ़ा मिलने लगा, तो पारंपरिक ग्राम प्रधान को उपेक्षित कर नया ग्राम प्रधान चुनने की परंपरा चल पड़ी और पारंपरिक व्यवस्था को ख़त्म किया जाने लगा.

शशांक शेखर ने कहा कि जहां जिन जातियों की संख्या ज्यादा है, प्रभुत्व उन्हीं का होता है. एक के लिए कोई व्यवस्था अच्छी हो सकती है तो दूसरे के लिए बुरी. पंचायत व्यवस्था लागू होने के बाद से सरकारी योजनाएं ज़बरन थोपी जाती रही हैं. ग्राम सभा में पंचायत की दखलंदाजी गलत है. वार्ड सदस्य का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि इसके कारण गांवों में आपसी सम्बन्ध भी खराब हो रहे हैं.

दिलीप कुमार ने कहा कि नगर निगम का चुनाव बहुत जगह हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया. आज हो रहा है. यह अपनी जगह है, लेकिन 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा निर्णायक होती है, लेकिन बिना ग्राम सभा की बैठक किए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है. पंचायतों में जहां मुखिया ठीक है, वहाँ काम अच्छा हुआ है. यह विडम्बना है कि कुछ लोग पंचायती व्यवस्था में आने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं. पंचायत व्यवस्था में कई खामियां हैं. पंचायत सचिव के पास मुखिया से ज्यादा पावर होता है. कुछ मॉडल ग्राम सभा की बात हमने सोची थी. अभी उस दिशा में कुछ काम करने होंगे.

अमर ने कहा कि छोटे स्तर पर ग्राम सभा का आन्दोलन चले, क्योंकि अभी यह अफसरशाही के चंगुल में है. मुखिया चाहता है कि ग्राम सभा ख़त्म हो जाय. दो टर्म पंचायत को हमने देखा. ऊपर के आदेश से ही काम चलता है. ग्राम सभा के निर्णय से काम नहीं होता है. पंचायत प्रतिनिधि अपनी कमाई में ही रमे रहते हैं. महिला भागीदारी ज्यादा है, पर उनकी सक्रियता वैसी नहीं है. ग्राम सभा में वंशवाद की प्रवृत्ति गलत है.

कुमार दिलीप ने कहा कि पूरे समाज को पंचायत के सन्दर्भ में शिक्षा देने की ज़रुरत है. ग्राम प्रधानों की बात करें, तो ज्यदातर सिर्फ परंपरा का निर्वहन कर रहे है. कुछ मज़बूत हैं भी, तो वे मनमानी करते हैं. यह अभी तक साफ़ नहीं हुआ है, कि पंचायत चुनाव झारखण्ड में होना चाहिए या नहीं. पंचायत चुनाव हो, लेकिन ग्राम सभा के अधिकारों का अतिक्रमण न हो.

झारखण्ड विकलांग मंच के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह ने देश में विकलांगों की दशा बयान करते हुए कहा कि समाज में एक बड़ा तबका अपने अधिकारों के लिए वर्षों से लड़ रहा है. उन्होंने विकलांगों को न्याय दिलाने पर जोर दिया.

भाषाण मानमी ने कहा कि ग्राम सभा स्वशासन व्यवस्था है, इसलिए इसे व्यावहारिक स्तर पर कारगर बनाने की आवश्यकता है. जब तक ग्राम प्रधान और माझी महाल जागरूक नहीं होंगे, गांवों का कल्याण संभव नहीं है. उन्हें अपने अधिकारों के लिए आगे आने की आवश्यकता है. फिलहाल पंचायत चुनाव होने चाहिए. ❐

पद्मश्री शांति देवी का निधन

विनम्र श्रद्धांजलि

ओड़िशा की प्रमुख सर्वोदय नेत्री, पद्मश्री शांति देवी का बीती 16 जनवरी को दिल के दौरे के कारण स्वर्गवास हो गया। वे बालेश्वर जिले के एक देशभक्त रईस परिवार की बेटी थीं। उनके पिता राजेन्द्र मोहनदास ब्रिटिश सरकार की सेना में थे। स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और गुप्त रूप से आंदोलन को समर्थन और सहयोग करते रहे।

आदिवासी जिलों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना की कमी थी। शांति देवी ने उसके लिए महिलाओं को जागृत किया और उन क्षेत्रों को व्याधि मुक्त बनाया। महिला शिक्षा की उनके अंदर तड़प थी। उन्होंने कोरापुट, कालाहांडी और सुंदरगढ़ जिलों में आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा देने की कोशिश की। शांति देवी शांत, सरल और मानवतावादी व्यक्तित्व थीं, आदिवासी इलाकों में लोग उनको अपनी मां की तरह आदर देते थे। जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार के साथ-साथ उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार मिले। बीती 9 दिसंबर को उनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था।

70 सालों तक सर्वोदय आंदोलन की सेवा करने वाली 88 साल की शांति देवी की कमी की भरपाई असंभव है। सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल और महामंत्री गौरांग चंद्र महापात्र ने शांति देवी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है।

-सर्वोदय जगत डेस्क

हरेकृष्ण ठाकुर एवं त्रिभुवन नारायण सिंह के निधन पर शोक

पटना में 18 जनवरी को सर्वोदय आंदोलन के नेता हरेकृष्ण ठाकुर एवं बिहार सर्वोदय मंडल के पूर्व अध्यक्ष त्रिभुवन नारायण सिंह की शोकसभा का आयोजन किया गया। दिवंगतों के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।

त्रिभुवन बाबू का निधन करीब 80 वर्ष की उम्र में 11 जनवरी 2022 को मधेपुरा में हुआ, वे अपने पीछे 6 पुत्रों एवं एक पुत्री का भरापूरा परिवार छोड़कर गये हैं। त्रिभुवन बाबू ने 1964 में सर्वोदय आंदोलन को केवल कोशी में ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में आगे बढ़ाया।

1966 में बिहार के अकाल में उन्होंने तपेश्वर भाई के साथ गरीबों की सेवा की और कार्यालय मंत्री की जिम्मेवारी का निर्वाह किया। वे उसी समय से सर्वोदय आंदोलन के जीवनदानी बने और जीवन भर उसी में लगे रहे। बाद में वे बिहार सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष भी हुए।

हरेकृष्ण ठाकुर और त्रिभुवन बाबू को सहरसा, सुपौल, मधुबनी, जहानाबाद, गया, भोजपुर आदि जिलों में भी श्रद्धांजलि दी गयी। शोक सभा में सर्व सेवा संघ के पूर्व मंत्री विजय भाई, प्रमोद शर्मा, बबन सिंह, रामनाथ ठाकुर, प्रवीण कुमार सिंह, कमलबाबू, क्रांति बहन और अनमोल कुमार आद ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की।

- चंद्रभूषण

हीरा भाई नहीं रहे

1990 से 2017 तक सेवाग्राम आश्रम में 27 साल अपनी समर्पित सेवा देने वाले हीरा भाई नहीं रहे. 7 जनवरी 2021 को भंडारा, महाराष्ट्र में उनका देहावसान हो गया. उन्होंने आजीवन साधक वृत्ति से आश्रम की चर्या अपनाई. सेवाग्राम आश्रम आने के बाद उन्होंने सिले हुए कपड़े पहनने बंद कर दिए और धोती के दो टुकड़े लपेटकर ही जीवनयापन करते रहे.

अपने कर्त्तव्य और सेवा-भावना के प्रति निष्ठावान हीरा भाई ने आश्रम के शौचालयों और रसोड़े की नियमित सफाई का काम अपने हाथ में ले लिया था. वे आश्रम के रसोड़े के प्रबंधन का काम भी देखते थे. अपने अंदर के सुधार से ही बाहर की दुनिया में अपेक्षित बदलाव लाया जा सकता है, गांधी जी के इस आदर्श में उनका गहरा विश्वास था. उन्होंने अनेक महापुरुषों द्वारा समय समय पर कहे गये वचन इकठ्ठा करके 'महापुरुषों की सूक्तियां' नामक एक पुस्तिका भी सर्व सेवा संघ प्रकाशन से प्रकाशित करवाई थी. इस पुस्तक की मांग पाठकों के बीच बराबर बनी ही रहती थी.

मित्रों की सार-संभाल करने में उन्हें विशेष आनंद आता था। वे हमेशा आंतरिक विकास की चर्चा से आपसी संवाद की शुरुआत किया करते थे. अपनी गलतियां सबके सामने स्वीकार करने की उनकी सदैव तैयारी रहती थी. चार वर्ष पहले वे तुमसर, अपने पुस्तैनी घर में रहने चले गये थे. इस बीच सेवाग्राम आश्रम और तुमसर के बीच उनका नियमित आना-जाना बना रहा. इधर कभी कभी उनके मानसिक संतुलन से सम्बन्धित समस्या रहने लगी थी, फिर भी सभी के साथ मोबाइल के माध्यम से हमेशा संपर्क में रहते थे। तुमसर में उन्होंने कुछ सहमना साथियों के साथ गरीबों की सेवा का काम भी शुरू किया था. आज अचानक उनके जाने की खबर सुनकर हम सभी बहुत मर्माहत हैं. हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे निष्ठावान साधक को अपने चरणों में स्थान दे.

-अविनाश काकड़े

विकास और विरासत को जोड़कर होगा सनातन विकास

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में परिचर्चा

केवल विकास के रास्ते पर चलने का मतलब है विनाश, इसलिए विकास और विरासत को साथ लेकर जो सनातन विकास होगा, वही वास्तविक विकास है। सनातन का आशय है, जहां नित्य नूतन निर्माण होता हो। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययनपीठ में पुरातन छात्र समागन और 'विरासत व विकास तथा जलवायु परिवर्तन' विषय पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हुए राजेन्द्र सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालयों में जल पोषण और संरक्षण के बारे में पाठ्यक्रम चलाये जाने चाहिए।

गांधी अध्ययनपीठ के निदेशक प्रो. संजय ने कहा कि आज हमको विकास को अपने सांस्कृतिक संदर्भों में पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। जब तक हम समपोषीय विकास का मार्ग नहीं अपनायेंगे, तब तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं रुकेगा। हमें प्रकृतिवादी विकास का मॉडल अपनाना होगा। उ. प्र. सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष रामधीरज ने गांधी विचार के अध्ययन एवं उसके प्रसार के लिए विद्यार्थियों को आगे आने के लिए प्रेरित किया। परिचर्चा में महेशानंद, अरविन्द, ईश्वरचंद, सौरभ, अमित कुमार केशरी, नीरज सिंह, विनय कुमार, सैयद अशफाक हुसैन 'शान', स्वीटी गुप्ता, बेलाल अहमद, सुरेश चन्द्र राय, अभिषेक गुप्ता, जावेद खान, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। स्वागत प्रो. संजय, संचालन धीरेन्द्र शंकर श्रीवास्तव व धन्यवाद ज्ञापन डॉ. नवरत्न सिंह ने किया। **-सौरभ सिंह**

ओड़िशा के ढिंकिया गांव में प्रदर्शनकारी ग्रामीणों पर पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज

जिंदल समूह का प्रोजेक्ट ओड़िसा से तत्काल हटाने की मांग

ओड़िसा के पारादीप के पास ढिंकिया, नुआगांव और गड़कुजंग पंचायतों के गांवों के लोग लंबे समय से जनविरोधी जिंदल परियोजना के विरोध में अपनी आजीविका तथा अपनी जमीन बचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले दक्षिण कोरियाई कंपनी पॉस्को के विरोध में लंबी जंग लड़कर उन्होंने यहां से इस प्रोजेक्ट को हटा दिया था। यहां के लोग अपना खुद का धान, पान, मछली, काजू और अन्य कृषि उत्पादों को उगा कर खुशी से अपने परिवार के साथ जीवनयापन रहे हैं। यहां तक कि इस जिले के लोग इस कृषि समृद्ध क्षेत्र से बाहर अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए नहीं जाते। ओड़िशा के अन्य जिलों से लोग आजीविका के लिए यहां आते हैं। 8 साल से लेकर 80 साल तक का यहां का हर आदमी आत्मनिर्भर है।

लंबे समय से सरकार और कंपनी की ओर से तरह-तरह की चालाकियां अपनाने के बावजूद, स्थानीय लोग किसी भी प्रलोभन के आगे कभी नहीं झुके और ग्राम समिति के माध्यम से बैरिकेड्स का निर्माण करके अपने गांव में पुलिस और कंपनी के गुंडों को घुसने नहीं दे रहे थे। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन ओड़िशा सरकार की पुलिस ने मानवाधिकार का उलंघन करते हुए ढिंकिया गांव में युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी। 13 जनवरी को अंग्रेजों की तरह

स्थानीय प्रशासन ने ढिंकिया में घुसपैठ की और गांव के लोगों के ऊपर डंडों का इस्तेमाल किया, जिनमें कई बच्चों और किशोरों समेत बूजुर्ग और महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए स्थानीय तहसीलदार के नेतृत्व में आयी एंबुलेंस और पुलिसकर्मियों को गांव वालों ने वापस लौटा दिया। महिलाओं ने पुलिस के आक्रमण से बचने के लिए अपनी साडी उतारकर उनके ऊपर फेंका, लेकिन पुलिस वालों को तब भी दया नहीं आयी, वे निर्दयता से लाठी भांजते रहे।

पॉस्को विरोधी आंदोलन के नेता डा. विश्वजीत जिंदल विरोधी आन्दोलन का भी नेतृत्व कर रहे थे। स्थानीय जिल्ला प्रशासन की तरफ से उनके खिलाफ पॉस्को विरोधी आंदोलन के समय हुए 47 केस फिर से खोले गये। उनकी जमीन से उन्हें बेदखल करने के लिए न्यायालय से मांग की जाएगी, ऐसी धमकी अखबारों के जरिए दी गयी है। दूसरी ओर डॉ. विश्वजीत ने प्रशासन को जवाब दिया कि जेल या कोर्ट का डर दिखाकर सरकार मेरा मुंह नहीं बंद कर पाएगी। मैं हर लोकतांत्रिक व शांतिमय आंदोलन में लोगों के साथ खड़ा हूं।

सर्व सेवा संघ, उत्कल गांधी स्मारक निधि, गांधी शांति प्रतिष्ठान व राष्ट्रीय युवा संगठन की ओर से कृष्णा मोहंती, डॉ. विश्वजीत, सूर्य नारायण नाथ, मानस पटनायक, आद्यश्लोक मिश्रा और सागर दास आदि ने पुलिस बर्बरता की कड़ी निंदा करते हुए गांव से पुलिसकर्मियों को वापस बुलाने की मांग की है। साथ ही सरकार के इस क्रूर दमन पर मुख्यमंत्री ने तुरंत सार्वजनिक बयान देने और जिंदल संयंत्र को ढिंकिया, नुआगांव तथा गड़कुजंग पंचायतों से तुरंत हटाने की मांग की है।

-मानस पटनायक

वर्ष 2021 के लिए सर्व सेवा संघ का 'गांधी पुरस्कार' कुसुम बोरा मोकाशी को

सर्व सेवा संघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2021 के लिए सर्व सेवा संघ का गांधी पुरस्कार असम की वरिष्ठ सर्वोदय कार्यकर्ता **कुसुम बोरा मोकाशी** को प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय की घोषणा 22 जनवरी 2022 को सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चन्दन पाल ने महोबा में की।

उल्लेखनीय है कि कुसुम बोरा मोकाशी का जन्म लखीमपुर, असम के पदमपुर गांव में 1944 में हुआ था। असम के विभिन्न क्षेत्रों में वे 1961 से ही महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से जुटी हुई हैं। वे कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट से भी जुड़ी रही हैं। 1973 में उन्होंने विनोबा के मार्गदर्शन में असम के हर विकासखंड में स्त्री शक्ति जागरण सप्ताह का संचालन किया। 1974 में असम के चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए काम किया। यह कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का आयोजन था। 1986 में उन्होंने नेचुरल हेल्थ कैम्प

की ओर से जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। 1987 में गोवंश संरक्षण के लिए वर्धा से दिल्ली पदयात्रा में भी शामिल रहीं। 2002 में उन्होंने ग्राम स्वावलम्बन सद्भावना यात्रा में भी भाग लिया।

संत विनोबा की जन्मशती पर उन्होंने 18 जिलों में एकता यात्रा भी निकाली और युवाओं के बीच विनोबा के संदेशों का प्रचार किया। लखीमपुर, असम के नेचुरल हेल्थ कैम्प से जुड़कर वे लम्बे समय से लोक स्वास्थ्य के लिए भी सघन रूप से कार्यरत हैं। वे देश भर में अनेक संस्थाओं के साथ जुड़कर अभी भी सामाजिक सेवा कर रही हैं। हिंसा के खिलाफ अहिंसा की स्थापना के लिए असम के अशांत क्षेत्रों में उन्होंने अभियान चलाया। असम के अलग-अलग हिस्सों में स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सरकार के साथ मिलकर वे समय-समय पर बैठकों एवं सेमिनारों आदि का आयोजन करती रही हैं। वे असम सर्वोदय मंडल, गो-सेवा समिति, गांधी स्मारक निधि की सदस्य तथा सर्वोदय ट्रस्ट की ट्रस्टी भी हैं।

इस पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा करते हुए सर्व सेवा संघ कार्यसमिति ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल ने पुरस्कार के लिए चुने जाने पर कुसुम बोरा मोकाशी को बधाई दी है। **-सर्वोदय जगत डेस्क**

शंकरगढ़ में आदिवासियों के सत्याग्रह की जीत

शंकरगढ़ में टंडन वन क्षेत्र के 13 गांवों के 40 किसानों पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया था। वन विभाग का आरोप था कि ये आदिवासी वन विभाग की जमीन पर खेती कर रहे हैं। मजबूर होकर आदिवासी किसानों ने शंकरगढ़ ब्लॉक परिसर में सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन की अगुवाई कृष्ण कांत मिश्रा ने किया। लगभग 5 दिनों के अनशन के बाद भी जब किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया तब 3 जनवरी को ने तय किया गया कि अगले दिन सभी डीएम कार्यालय के लिए पैदल मार्च करेंगे।

4 जनवरी को प्रशासन से मांग की गयी कि जमीन नापी का काम पूरा करने की लिखित समयसीमा बता दें, तो हम अपना अनशन त्याग देंगे। अधिकारियों ने जब शाम तक कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया, तब आदिवासी किसानों ने डीएम कार्यालय के लिए प्रस्थान किया। अगले दिन यह यात्रा जसरा ब्लॉक पहुंची, पूरा प्रशासन इस यात्रा को रोकने के लिए मान-मनौवल में लगा रहा। अंततः प्रशासन ने आदिवासी किसानों को

लिखित आश्वासन दिया, तब यह यात्रा रुकी और किसान वापस अपने घरों को गए।

उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष राम धीरज ने इलाहाबाद प्रशासन के इस अड़ियल रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जो लिखित आश्वासन देने का काम प्रशासन ने आज किया, वह एक सप्ताह पहले भी कर सकता था। लेकिन अनावश्यक रूप से उन किसानों और मजदूरों को एक हफ्ते तक खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए मजबूर किया गया। यह अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। जनता के टैक्स से वेतन पाने वाले कर्मचारी और अधिकारी जनता का सम्मान तो छोड़ दीजिए, उनकी परवाह भी नहीं करते हैं। कितने कार्य दिवसों का नुकसान हुआ, कितनी राष्ट्रीय क्षति हुई? इसके लिए तो अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और जितनी राशि का देश और किसानों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई इन अधिकारियों की तनख्वाह से की जानी चाहिए। आन्दोलनकारियों की इस टीम में राम धीरज के साथ श्याम नारायण, चंद्र प्रकाश, बृजभान सिंह, सर्वेश पांडेय, शिवम वाजपेई, विजय चितौरी तथा सत्येंद्र के साथ आसपास के और भी कोई साथी शामिल थे। **-कृष्णकांत मिश्रा**

महात्मा गांधी की स्मृति में

उस दु:खद घटना के दिन प्रात: ही उन्होंने अपनी पोती से कहा था : "आभा, सारे महत्त्वपूर्ण कागजों को आज मेरे पास ले आओ। मुझे आज ही उन सब का उत्तर देना पड़ेगा। कल शायद कभी न आये।"

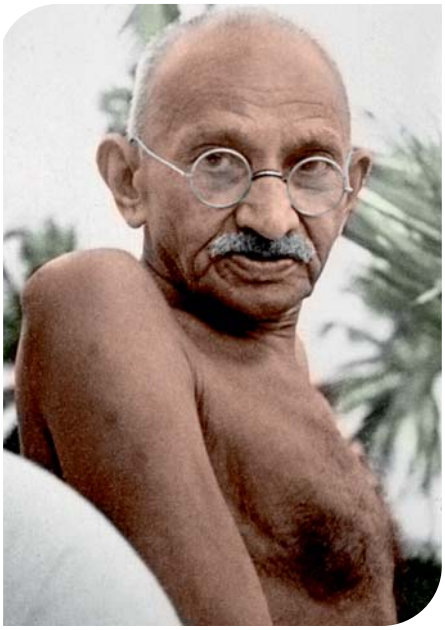

किसी विशिष्ट सत्कार्य को संपन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाले सभी महापुरुषों के जीवन के साथ कोई न कोई सांकेतिक अर्थ जुड़ा रहता है। भारतीय एकता की खातिर नाट्यमय रीति से हुई गांधी जी की मृत्यु ने प्रत्येक महाद्वीप में आपसी फूट और कलहों से विदीर्ण हुए संसार को उनका संदेश और भी अधिक स्पष्ट कर सुनाया है। उन्होंने एक भविष्यवाणी के रूप में वह संदेश दिया है – "मनुष्यों के बीच अहिंसा का पदार्पण हो गया है और अब यह यहीं रहेगी। यह विश्वशांति की अग्रदूत है।"

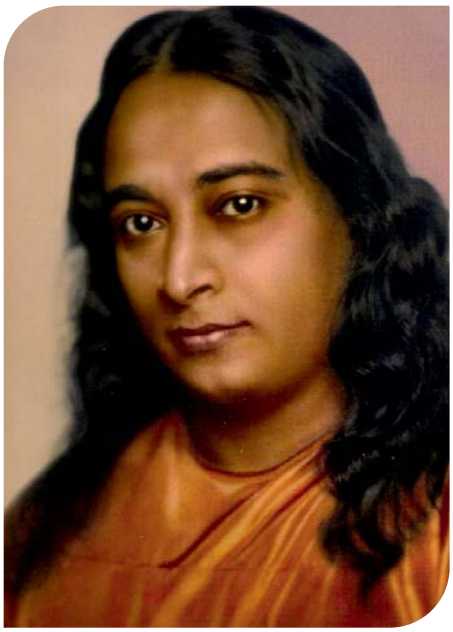

''वे सच्चे अर्थ में राष्ट्रपिता थे और एक पागल ने उनकी हत्या कर दी। कोटि-कोटि नर-नारी शोक में डूबे हैं, क्योंकि दीपक बुझ गया है... इस देश में जो दीपक जगमगा रहा था, वह कोई साधारण दीपक नहीं था। हजार वर्षों तक उस दीपक का प्रकाश इस देश में दिखता रहेगा और सारा संसार उसे देखेगा।'' ये शब्द भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या हो जाने के थोड़ी ही देर बाद कहे थे।

पांच ही महीने पहले भारत ने शांतिपूर्ण रीति से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। 78 वर्षीय गांधीजी का कार्य पूरा हो गया था। उन्हें अपना अंत निकट होने का आभास हो गया था। उस दु:खद घटना के दिन प्रात: ही उन्होंने अपनी पोती से कहा था : ''आभा, सारे महत्त्वपूर्ण कागजों को आज मेरे पास ले आओ। मुझे आज ही उन सब का उत्तर देना पड़ेगा। कल शायद कभी न आये।'' अपने लेखों में अनेक स्थानों पर गांधी जी ने अपनी अंतिम नियति के संकेत दे दिये थे।

उपवास से क्षीण हुई काया में तीन गोलियां उतार दी गयी थीं। धीरे-धीरे भूमि पर ढहते हुए महात्मा जी ने हाथ ऊपर की ओर उठाये और अपनी ओर से क्षमा प्रदान कर दी। अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में वे भोले कलाकार तो थे ही, मृत्यु के क्षणों में वे महानतम कलाकार बन गये। उनके नि:स्वार्थी जीवन के सारे त्यागों ने ही प्रेम की वह अंतिम अभिव्यक्ति संभव बना दी।

गांधीजी को अपनी श्रद्धांजलि अपर्ण करते हुए अल्बर्ट आइनस्टाइन ने लिखा, ''आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास कर पायेंगी कि इनके समान कोई पुरुष कभी इस धरती पर रक्त-मांस के शरीर में चलता था।'' रोम में वैटिकन से अपने संदेश में पोप ने कहा, ''महात्मा गांधी की हत्या के कारण यहां भारी शोक छा गया है। हम गांधी को ईसाई मूल्यों का देवदूत मानते हैं।''

किसी विशिष्ट सत्कार्य को संपन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाले सभी महापुरुषों के जीवन के साथ कोई न कोई सांकेतिक अर्थ जुड़ा रहता है। भारतीय एकता की खातिर नाट्यमय रीति से हुई गांधी जी की मृत्यु ने प्रत्येक महाद्वीप में आपसी फूट और कलहों से विदीर्ण हुए संसार को उनका संदेश और भी अधिक स्पष्ट कर सुनाया है। उन्होंने एक भविष्यवाणी के रूप में वह संदेश दिया है – ''मनुष्यों के बीच अहिंसा का पदार्पण हो गया है और अब यह यहीं रहेगी। यह विश्वशांति की अग्रदूत है।''

-परमहंस योगानंद

'Sarvodaya Jagat' Hindi Fortnightly
Registered under RNI No. 35495/78, Postal Registration No. VSI-(E) 04, Valid upto 31 December 2023

गांधी के एकादश व्रत का आधार पातंजलि योगसूत्र

पातंजलि योग सूत्र,योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। षड् आस्तिक दर्शनों में योग दर्शन का मूल स्थान है। कालांतर में योग की नाना भाषाएं विकसित हुईं, जिन्होंने व्यापक रूप से साधना पद्धतियों पर प्रकाश डाला। चित्तवृत्ति निरोध को भी योग का अंग मानकर यम, नियम, आसन,प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि; योग के ये आठ मूल सिद्धांत उपस्थित किये गये। गांधी जी ने इन्हीं सिद्धांतों से अपनी साधना के लिए कुछ व्रत, कुछ संकल्प ग्रहण किये तथा उसमें अस्पृश्यता का व्रत जोड़ा। उन्होंने एकादश व्रत को दैनिक प्रार्थना का अंग बनाया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन, सर्व धर्म समानत्व, स्वदेशी और स्पर्शभावना, ये ग्यारह व्रत मनुष्य के जीवन में संयम, सादगी, सरलता, सहजता,स्वाभिमान, स्पष्टता, आत्मविश्वास, सेवा और साधना के अभ्यास का अवसर प्रदान करेंगे, एक स्वावलंबी समाज की ओर ले जाएंगे, समाज में एकता, सद्भावना, सौहार्द, साझापन, समझदारी और अपनापन पैदा करेंगे, जीव एवं प्रकृति के संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे, ऐसा उनका विश्वास था। उनका यह भी विश्वास था कि ये एकादश व्रत आज़ादी के संघर्ष, समाज रचना के निर्माण और वैकल्पिक दुनिया की तलाश में जुटे नागरिकों के चारित्र्य और कर्मण्यता का पाथेय बनेंगे।

अहिंसा

सत्य के साक्षात्कार का एक ही मार्ग, एक ही साधन अहिंसा है। बगैर अहिंसा के सत्य की खोज असंभव है। किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से नुकसान न पहुँचाना, किसी का अहित न सोचना, किसी को दुखी न करना अहिंसा है।

सत्य

सत्य इस संसार में बड़ी शक्ति है. सत्य ही परमेश्वर है। सत्य-आग्रह, सत्य-विचार, सत्य-वाणी और सत्य-कर्म, ये सब उसके अंग हैं। जहां सत्य है, वहां शुद्ध ज्ञान है। जहां शुद्ध ज्ञान है, वहीं आनंद संभव है।

अस्तेय (चोरी न करना)

योग के सन्दर्भ में अस्तेय, पांच यमों में से एक है। अस्तेय का व्यापक अर्थ है चोरी न करना तथा परायी सम्पत्ति को चुराने की इच्छा न करना। मनुष्य अपनी कम से कम जरूरत के अलावा जो कुछ भी संग्रह करता है, वह चोरी है।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्म आदि सत्य की खोज में अपनाया जाने वाला आचरण ब्रह्मचर्य है। इसका मूल अर्थ है- सभी इंद्रियों का संयम। व्यास जी ने विषयेन्द्रियों के सुख त्याग को ब्रह्मचर्य कहा है।

असंग्रह (अपरिग्रह)

असंग्रह राजयोग का हिस्सा है। इसका अर्थ कोई भी वस्तु संचित न करना होता है। ज्यों-ज्यों परिग्रह कम होता जाता है, सच्चा सुख, संतोष और सेवा-शक्ति बढ़ती जाती है।

शरीर श्रम

श्रम, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बिना श्रम के शरीर अकर्मण्य हो जाता है, जिनका शरीर काम कर सकता है, उन स्त्री-पुरुषों को अपने रोजमर्रा के सभी काम खुद करने चाहिए। बिना कारण दूसरों से सेवा नहीं लेनी चाहिए।

अस्वाद

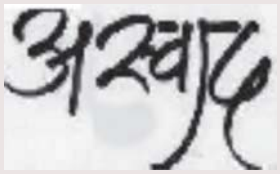

अस्वाद व्रत का संबंध जीभ से है, अस्वाद व्रत के पालन के लिए जीभ को चम्मच मान लें। चम्मच में मीठी चीज रखें या नमकीन, वह एक पात्र है। जिस दिन जीभ चम्मच की भूमिका में आ जाएगी, उस दिन अस्वाद व्रत सधने लगेगा।

सर्वत्र भय वर्जन (अभय)

एकादश व्रत में अस्वाद और सर्वत्र भय वर्जन का महत्व अध्यात्मपरक दृष्टि से अधिक है. यह गांधी जी का नवां व्रत है, जहां सारी इकाइयां पूर्ण होकर अद्वैत रूप धारण कर लेती हैं।

सर्वधर्म समानत्व

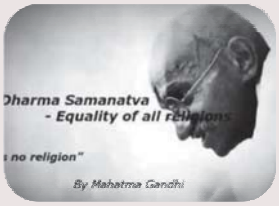

इस विचार का उद्गम वेदों में है। यह भारतीय पंथनिरपेक्षता के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, जिसमें धर्म को एक-दूसरे से पूरी तरह अलग न करके सभी धर्मों को समान रूप से महत्त्व देने का प्रयास किया जाता है। हमेशा प्रार्थना की जानी चाहिए कि सभी धर्मों में पाये जाने वाले दोष दूर हों।

स्वदेशी

अपने भौगोलिक क्षेत्र में जन्मी, निर्मित या कल्पित वस्तुओं, नीतियों, विचारों को स्वदेशी कहते हैं। स्वदेशी आन्दोलन स्वतन्त्रता आन्दोलन का केन्द्र-बिन्दु था। गांधी जी ने इसे 'स्वराज की आत्मा' कहा। अपने आसपास रहने वालों की सेवा में ओत-प्रोत हो जाना स्वदेशी धर्म है।

स्पर्श भावना (अस्पृश्यता निवारण)

स्पर्श भावना यानी अस्पृश्यता या छूआछूत, ऊंच-नीच का भाव वह रोग है, जिससे समाज के समूल नष्ट होने की आशंका रहती है। अस्पृश्यता मानव-समाज के लिए एक भीषण कलंक है। इसका निवारण करना ही प्रत्येक का धर्म है। ❐

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए प्रकाशक अरविन्द अंजुम द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा महावीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसी से मुद्रित। संपादक : बिमल कुमार